छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

नवम् सत्र

गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

(पौष 03, शक सम्वत् 1942)

[अंक 04]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

(पौष 03, शक् संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, जब से आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं पूरा सत्तारूढ़ दल आपकी उपेक्षा कर रहा है ।

चित्रकोट वि. स. क्षेत्र के आंगन बाड़ी केन्द्रों की रंगाई पोताई

1. (*क्र. 729) श्री राजमन बेंजाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत कितने आगनबाड़ी भवनों की रंगाई-पोताई की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में, रंगाई पोताई का कार्य किस एजेंसी के द्वारा किया गया है क्या इसके लिए निविदा बुलाई गई थी ? भवनों की पोताई की गुणवत्ता की जॉच किसने की और कार्य एजेंसी को भुगतान किसके द्वारा किया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 539 आंगनबाड़ी भवनों में रंगाई पोताई किया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मरम्मत/रंगाई पोताई की स्वीकृति निरंक है. (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत/रंगाई-पोताई का कार्य स्थानीय स्तर पर कराया गया है. आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. राशि की सीमा को ध्यान में रखते हुए निविदा बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं है. बाल विकास परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक के सत्यापन के आधार पर संबंधित व्यक्ति/एजेंसी को राशि का भुगतान संबंधित बाल विकास परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया गया है.

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने आंगनबाड़ी भवनों की रंगाई-पुताई का काम स्थानीय स्तर पर किया जाना बताया है । स्थानीय स्तर की क्या परिभाषा है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कृपया प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए ।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय मंत्री जी ने आंगनबाड़ी भवनों की रंगाई-पुताई का काम स्थानीय स्तर पर किया जाना बताया है । स्थानीय स्तर की क्या परिभाषा है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- स्थानीय यानी जिला स्तर पर पुताई कार्य कराया गया है । जिला स्तर के डी.पी.ओ. ने जवाब दिया है और पूरे जगदलपुर जिले का है। आपके जिले के अनुसार ही पुताई कार्य हुआ है ।

श्री राजमन बेंजाम :- मैडम, आपने इसका जवाब मुझे 18 पृष्ठ का दिया है । इसमें राजेश बदर्स, कुम्हारपारा जगदलपुर बताया है । ऐसे लगभग 8 लोगों काम दिया गया है । चित्रकूट और जगदलपुर का स्थानीय स्तर क्या है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें सारे जगदलपुर जिले का है । कुछ धरमपुरा के हैं, कुछ जगदलपुर के हैं । ज्यादातर जगदलपुर के हैं ।

श्री राजमन बेंजाम :- मेरा क्षेत्र तो चित्रकूट है ना ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जगदलपुर जिले में ही आता है । जिले का स्थानीय ही मानेंगे ।

श्री राजमन बेंजाम :- कुल लगभग 539 आंगनबाड़ी भवनों का रंगाई-पुताई करना बताया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक भवन की रंगाई-पुताई का कितनी राशि का भुगतान किया गया है । शासन के नियमानुसार पंचायत स्तर पर 50 हजार से अधिक राशि का कोई कार्य होता है तो निविदा आमंत्रित की जाती है, जबकि लगभग 32 लाख 34 हजार रूपए का भुगतान किया गया है, इसके लिए निविदा आमंत्रित क्यों नहीं की गई ?

श्री अनिला भेंडिया :- एक आंगनबाड़ी के लिए 3 हजार की राशि स्वीकृत की जाती है उसमें निविदा की कोई प्रक्रिया नहीं होती ।

श्री राजमन बेंजाम :- मैडम, 3 हजार नहीं, 6 हजार एक आंगनबाड़ी का भुगतान किया गया है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- एक साल का 3 हजार है, दो साल के लिए 6 हजार। पहले साल नहीं हो पाया था, दिसम्बर में, इसलिए फरवरी में फिर से दूसरी किश्त जारी की गई है । इस कारण 6 हजार हो गया, इसके लिए निविदा की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजमन बेंजाम :- सभापति महोदय, कई भवनों की पुताई नहीं हुई है और जिन भवनों में पुताई की गई है वह बहुत घटिया स्तर की है । कुल मिलाकर लगभग 32 लाख 34 हजार की राशि का दुरूपयोग हुआ है । मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मेरे पास आपके जिले का फोटोग्राफ आया है, परंतु आपके पास ऐसा कोई आंगनबाड़ी हो, जिसकी पुताई न हुई हो तो आप मुझे जानकारी दे देंगे तो मैं उसको दिखवा लूंगी ।

श्री राजमन बेंजाम :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गृह निवास के आंगनबाड़ी की पुताई नहीं हुई है और उसकी राशि भी निकाली गई है । मैं आसंदी से चाहता हूं कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, उसको दिखवा लेंगे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल, मैं दिखवा लूंगी, आप लिस्ट दे दीजिए ।

श्री राजमन बेंजाम :- नहीं, मुझे कार्रवाई चाहिए मैडम ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप देंगे, उसके बाद जरूर कार्रवाई करेंगे । इसको दिखवा लेंगी ।

<u>राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा भू संरक्षण हेतु कराये गये कार्य</u>

2. (*क्र. 660) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 30 नवंबर, 2020 तक भू संरक्षण हेतु कितनी-कितनी संख्या में किन-किन पंचायतों में चेक डेम, स्टॉपडेम एवं एनीकट का निर्माण कराया गया है ? स्थानवार, लागतवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" में कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं, तथा उक्त निर्माण से कितने हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकती है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 111 चेकडेम स्वीकृत किये गये है. स्थानवार, लागतवार, पंचायतवार एवं विकासखंडवार जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार स्वीकृत चेकडेम में से 88 पूर्ण एवं 23 अपूर्ण है. उक्त स्वीकृत कार्यों से लगभग 974.683 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है.

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- उपाध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से चेकडेम और स्टॉपडेम की जानकारी चाही थी । जिसमें जानकारी मिली है कि 2018-19 से 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में 111 स्थानों पर चेकडेम, स्टापडेम और एनीकट का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें 88 स्थानों पर कार्य पूर्ण होना बताया गया है जबकि 23 स्थानों पर कार्य अपूर्ण बताया गया है । मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जिन 23 स्थानों का कार्य अपूर्ण बताया गया है उसमें कब तक पूर्ण हो जाएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, अब ये तो निर्माणाधीन कार्य हैं। एकदम तिथि बताना संभव नहीं है, लेकिन शीघ्र कह दूंगा तो उत्तर छोटा हो जायेगा। किसी स्पेशिफिक जहां बहुत आवश्यकता है, जहां किसी कारण से रूका हुआ है, आपकी जानकारी में है, आपकी constituency में हैं तो उसके बारे में कुछ पूछिएगा, उसके संदर्भ में स्पष्ट निर्देश जारी कर देंगे, लेकिन यह काम चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में उसे पूरा कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी चलते रहेगा।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, बाकी। (हंसी)

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, राजनांदगांव जिले में 111 चेक डेम स्वीकृत किये गये हैं, जिनका निर्माण कार्य डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के देख-रेख में बनाया जाता है क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, ये सब विभागीय कार्य हैं। तीन प्रकार के चेक डेम, स्टॉप डेम और एनीकट बनाये गये हैं। कुछ मनरेगा से बनाये गये हैं। लेबर ओरियेन्टेड काम होता है। पक्का काम डिपार्टमेंट करता है। दूसरा soil conservation से होता है। तीसरा वाटर शेड मिशन से स्थानीय समितियां करती हैं। तो तीनों प्रकार के काम होते हैं। इंजीनियरों के लिए अभी इसमें अलग से कोई कांट्रेक्ट जैसा कोई अभी इसमें प्रावधान नहीं है।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- हम छोटा सा घर भी बनाते हैं तो इंजीनियर बुलाकर वहां डाइनिंग किया जाता है। यह तो किसानों की महत्वपूर्ण योजना है, जो हमारी सरकार आने के बाद जो नरवा योजना के तहत पानी की रोकथाम के लिए योजना चलायी गयी है तो मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के कारण कई ग्रामीणों में शिकायत आती है कि चेक डेम, स्टॉप डेम ठीक-ठाक नहीं बन रहा है, जिसमें पानी नहीं रूक पायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी और इसमें उदाहरण देना चाहूंगी कि जो छुरिया ब्लॉक के पिनकापार का है। जो कागज और जानकारी दिये हैं, उसमें 9 लाख दिये हैं और स्थान पर जो बोर्ड बनाया जाता है, उसमें 12 लाख दिया है और वहां ग्रामीण लोगों ने भी शिकायत की है कि वहां पर जो चेक डेम बना है, वे गुणवत्ताहीन बने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि छुरिया ब्लॉक का, इसमें तो बहुत सारा है। एक छुरिया ब्लॉक का पिनकापार का और चौंकी ब्लॉक का पेदलकुही का, वहां दोनों की जांच करवा दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई आपत्ति नहीं है। बात यह है कि आपने इंजीनियर कहा। इसमें तकनीकी स्वीकृति ली जाती है। इसके बाद विभाग काम करता है, लेकिन आपने दो जगह का कहा। गुणवत्ताविहीन गांव वालों ने कहा, ऐसा आप कह रहे हैं तो उसको दिखवा लेंगे। जांच करा लेंगे। जिस स्तर पर भी आप कहेंगे, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- चूंकि, मेरा राजनांदगांव से रिलेटेड है तो मैं चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि जो आपने चेक डेम बनाये हैं, वह कौन सी योजना के तहत बनाये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं और उसी में एक प्रश्न है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दोनों में क्या अंतर है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही मूल प्रश्न में आपको कहा आई.डब्ल्यू.एम.पी. integrated water management programme के तहत और दूसरा मैंने कहा वाटर शेड

का अलग काम है। एग्रीकल्चर का अलग काम है और रोजगार गारंटी का अलग काम है। तीन प्रकार के वहां चेक डेम बनाये गये हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- चूंकि इस प्रश्न को पिछले समय भुवनेश्वर बघेल जी ने लगाया हुआ था, उसी काम को आप इसी में दर्शा रहे हैं और इसी काम को यहां पर दर्शाया गया है। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी क्या इसे काम में लिया गया है? मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं। क्योंकि सेम फिगर इसमें है।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसी particular का इसमें पूछना चाहेंगे तो मैं उसे दिखवा लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- सत्यनारायण शर्मा जी।

<u>जल प्रबंध संभाग 3 रायपुर में सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था</u>

3. (*क्र. 94) श्री सत्यनारायण शर्माः क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल प्रबंध संभाग क्रमांक 3 रायपुर के अंतर्गत वर्तमान में कितनी जल उपभोक्ता संस्थाएं हैं ? (ख) वर्ष 2020-21 को खरीफ फसल की सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था की गई थी ? इस व्यवस्था में कितनी राशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नांश में वर्णित नाम से कोई कार्यालय कार्यरत नहीं है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आशय उप संभाग से है। उप संभाग क्रमांक 3 से है। माननीय मंत्री जी कृपा करके क्या उप संभाग क्रमांक 3 की जानकारी देंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप प्रश्न करें।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैंने प्रश्न ही तो किया। मेरा उप संभाग से तात्पर्य उप संभाग क्रमांक 3 है। क्या वर्तमान में जल उपभोक्ता समितियां कार्यरत हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- जी नहीं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अगर नहीं है तो सिंचाई व्यवस्था किस तरह से की जा रही है?

श्री रविन्द्र चौबे :- अब ये जो जल उपभोक्ता समितियां हैं, जब इन्हें भंग की गई तो स्पष्ट रूप से आदेश किया गया कि जो प्रभार के सब इंजीनियर हैं, उसका कार्य करेंगे। उन्हीं के माध्यम से कार्य संपादित कराया गया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- दूसरा, ये जो पानी पहुंचाने की व्यवस्था पर जो निश्चित व्यय है, क्या उसी सीमा के अंतर्गत व्यय किया जा रहा है या उससे अधिक।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आपने व्यय की जानकारी मांगी थी। आपने पहले तो संभाग की जानकारी मांगी। संभाग है नहीं तो उप संभाग की जानकारी दी गई। 10261 हेक्टेयर का अनुबंध किया गया था,

सिंचाई उससे ज्यादा 10265 हेक्टेयर में किया गया । विभाग के द्वारा 5,43,000 रूपये का खर्च बताया गया है ।

<u>बस्तर के पोलावरम बांध के निर्माण कार्य से प्रभावित क्षेत्र</u>

4. (*क्र. 586) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोलावरम बांध के निर्माण कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति है ? निर्माण कब तक पूर्ण होना अनुमानित है ? (ख) पोलावरम बांध के निर्माण की वजह से बस्तर के कौन से क्षेत्र प्रभावित होने का अनुमान है ? इन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या निवास करती है ? (ग) क्या सरकार द्वारा पोलावरम बांध से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन किया गया है ? यदि हां, तो अध्ययन रिपोर्ट में किन बातों को प्रमुखता से उजागर किया गया है ? प्रभावितों को नुकसान से बचाने सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) पोलावरम बांध परियोजना आंध्रप्रदेश में निर्मित होने वाली एक राष्ट्रीय परियोजना है. बांध निर्माण की अद्यतन स्थिति एवं पूर्णता के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है. (ख) पोलावरम बांध के निर्माण की वजह से रिड्यूस्ड लेबल 150 फीट पर बस्तर संभाग के सुकमा जिले के कोन्टा विकासखण्ड के 9 ग्राम क्रमशः बंजामगुड़ा, मेटागुड़ा, पेदाकिसोली, आसीरगुड़ा, इंजरम, फंदीगुड़ा, ढोंढरा, कोन्टा एवं वेंकटपुरम के प्रभावित होने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में निवास करने वालों की जनसंख्या 18510 है. (ग) इस परियोजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य के हितों की सुरक्षा हेतु याचिका प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है, अतः अध्ययन रिपोर्ट के तथ्यों को बताया जाना उचित नहीं है.

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वर्तमान में पोलावरम बांध की क्या स्थिति है और यह कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सम्माननीय भाभी जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । अब पोलावरम दूसरे राज्य का प्रोजेक्ट है । अब वह क्या स्थिति में है, कब तक पूर्ण किया जाएगा ? मैं समझता हूं कि इसका उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आगे आप राज्य के संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगी तो मैं इस का उत्तर दे दूंगा ।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा है कि 9 गांव डूब में आ रहे है और लगभग 18 हजार व्यक्ति प्रभावित होंगी । पूर्व में इसी विषय पर माननीय कवासी लखमा जी ने भी एक ध्यानाकर्षण लगाया था, उस समय जानकारी मिली थी कि करीब 85 मजरा-टोला और 19 गांव इसमें डूबान में आ रहे हैं । दोरला और पोया जाति जो विलुप्त होती हुए जनजाति है, जब बांध का निर्माण होगा तो वह भी डूब में आ जाएगी और विभिन्न

प्रकार की वन प्रजातियां जो दुलर्भ हैं और छत्तीसगढ़ का 13 किलोमीटर का एरिया डूबेगा । तब यह संकल्प पारित हुआ था कि केन्द्र शासन को इस बारे में लिखा जाएगा क्योंकि सिंचाई का कुछ भी रकबा यहां नहीं मिलेगा । सारा का सारा आंध्रप्रदेश में जाएगा तो इस बारे में प्रश्न के उत्तर में आपने लिखा है कि कोर्ट में और केन्द्र सरकार को भी आपने पत्र लिखा है । दोनों सरकारों की उदासीनता के कारण इसमें जानकारी लिखी है कि 2019 तक इसे पूर्ण करना था । अभी वर्तमान में आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में या केन्द्र सरकार के तरफ कुछ लिखा है क्योंकि हमारे ही वनवासी भाई प्रभावित हो रहे हैं, दुलर्भ जातियां उसमें डूब रही हैं । इसमें मैं अंतिम प्रश्न कर लूं कि आंध्रप्रदेश में प्रति एकड़ कितना मुआवजा दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ मुआवजा देने का क्या प्रस्ताव है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीया भाभी जी ने जो प्रश्न किया, 9 गांव के बारे में उत्तर में स्पष्ट है जिसमें कोन्टा, वेंकटपुरम, ढोंढरा, फंदीगुड़ा, इंजरम, आसीरगुड़ा, पेदाकिसोली, मेटागुड़ा, और बंजामगुड़ा । यह कुल डूबान का जो कुल योग है, वह लगभग इसमें निजी भूमि 459 हेक्टेयर और वन भूमि 88.51 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 842 हेक्टेयर और कुल डूबान 1390.14 हेक्टेयर आएगा। निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ की भूमि है, जो डूबान में आएगी । आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रश्न किया । छत्तीसगढ़ शासन का वाद क्रमांक 3/2011 पोलावरम पर हम लोगों ने आपत्ति की हुई है और इसके कुछ कारण जो सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, उसमें मूल रूप से बात यह है कि पोलावरम के बैक वाटर के डूबान का जो लेवल है, वह 177.44 फीट है, ये 150 फीट ही होना चाहिए जो पारित गोदावरी जल विवाद अभिकरण है, उसके अनुसार है, इसको 177.44 किया गया है। ये गोदावरी जल विवाद के द्वारा अभिकरण के द्वारा पारित अवार्ड का उल्लंघन है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कोई जन सुनवाई नहीं हुई है। नंबर तीसरा, पेशा एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के डूबान प्रभावित गांव में ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त नहीं की गयी है। माननीया, एक बिंदु और है, सुरक्षा तटबंध जो वहां के डैम प्रस्तावित हैं, उसमें लगभग 30 किलोमीटर तक 50 फीट ऊंचाई के सुरक्षा तटबंध प्रस्तावित किया गया है और उसमें कहा गया है कि इसमें लगभग 24,630 एच.पी. के पंपों के माध्यम से बैकवाटर को शबरी नदी में डालने का प्रस्ताव है तो छत्तीसगढ़ के लिये बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है। अन्य राज्यों ने भी इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में लगाया है और मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से तीनों राज्यों की सुनवाई नहीं हो जायेगी, आखिरी रिट में फैसला नहीं आ जायेगा, पोलावरम का काम इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बांध की ऊंचाई 150 फीट होना था, जिसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसे बढ़ा दिया गया है। उसका जो बैकवाटर है, वह शबरी नदी में पूरा आयेगा जिससे कि सुकमा जिले के तीनों ब्लाक कोंटा, छिंदगढ़, और सुकमा, तीनों में पानी बैकवाटर के

रूप में भी नुकसान करेगा। इसके बारे में भी हमारी सरकार को विचार करना चाहिए और गंभीरता से करना चाहिए। क्योंकि सारा नुकसान तो छत्तीसगढ़ को हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग तत्परता से और अच्छे से अपना केस प्रजेंट करें। यही मेरी इच्छा है। छत्तीसगढ़ की धरती को नुकसान न हो और यहां के जो भी लोग 18,500 के लगभग प्रभावित हो रहे हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाये। आपने मुआवजे की राशि नहीं बताई है तो कृपया बतायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी तो डिस्पूट ही है, अभी तो कंपनसेशन और Acquisition की कार्यवाही तो लंबित है। अभी वह दूर तलक बातें हैं। भाभी जी, दूसरी बात है, आपने चिंता व्यक्त की, आपकी सारी चिंताओं को ले करके राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की हुई है। दो अन्य राज्य, उड़ीसा और तेलंगाना ने भी किया हुआ है। ये पहले आंध्रप्रदेश का स्टेट प्रोजेक्ट था, अब इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट बनाया गया है, केन्द्र की राशि इसमें लगातार दी जा रही है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले, जिनका जिक्र आपने भी किया, जिसका जिक्र मैंने भी किया, ये जब तक निराकृत नहीं हो जायेगा, मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा आगे कार्यवाही करने की स्थिति में न हम होंगे न आगे की सरकार होगी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के हितों के लिये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार विधानसभा में आ चुका है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर को आप भी पढ़ लीजिए। पोलावरम बांध परियोजना आंध्रप्रदेश में निर्मित होने वाली एक राष्ट्रीय परियोजना है। बांध निर्माण की अद्यतन स्थिति एवं पूर्णता के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी उपलब्ध नहीं है, मतलब, छत्तीसगढ़ को जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जायेगा। अब जो दूसरी लाईन आपने लिखी है, इस परियोजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ राज्य के हितों की सुरक्षा हेतु याचिका प्रस्तुत की गई है, बताना उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, यदि हम जिन बिन्दुओं पर न्यायालय में गये हैं, उसको राज्य विधान सभा में बताने से कोई न्यायिक प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जिन-जिन बिन्दुओं में सर्वोच्च न्यायालय में गये हैं, कृपया उनको बताने का कष्ट करें कि हम इन-इन बिन्दुओं में छत्तीसगढ़ का पक्ष रिट में रखे हैं। वे कौन-कौन से बिन्दु हैं और किन-किन बातों की आपको अध्ययन नहीं है। आप अध्ययन करवाने के लिये क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बता रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में क्या है कि आपका ध्यान केवल प्रश्न करने तक था। आदरणीय भाभी जी ने यही प्रश्न पूर्व में पूछा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों को पूरा पढ़कर सुनाया है। अगर आप कहे , आप इजाजत दे तो दूसरी बार पढ़ देता हूं। मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा है कि कौन-कौन सी चीजें आपकी जानकारी में नहीं है, उसकी जानकारी लेने के लिए आप किनसे अध्ययन करवायेंगे ? उसमें क्या अध्ययन की जरूरत है ? मैंने पहला प्रश्न यह किया है। दूसरा प्रश्न, कौन-कौन से मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय में है तो आपने कहा कि बताना उचित नहीं है। जब आपको अध्ययन नहीं है तो आप कौन से मुद्दे पर न्यायालय गये हैं ? आप कौन सी जानकारी लेकर सर्वोच्च न्यालय में गये हैं ? तो पहले आप मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिये कि कौन-कौन से अध्ययन की जानकारी आपके पास नहीं है और अध्ययन करवाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, और किस प्रकार से ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यही मूल प्रश्न में था कि कब पूरा होगा, क्या स्थिति है ? आदरणीय भाभी जी ने कहा तो मैंने कहा। आन्ध्रप्रदेश के बारे में कहा कि कब पूरा किया जायेगा, कितना मुआवजा दिया जायेगा, मैं उसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि यह आन्ध्रप्रदेश की सरकार बता पायेगी कि उसको कब पूरा कर पायेगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों के प्रश्नों पर भी ध्यान रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ध्यान दें। चूंकि पोलावरम बांध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये न। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वे इकट्ठा जवाब दे देंगे न। मंत्री जी, आप इकटठे जवाब दे दीजियेगा। आपने कह दिया कि वहां क्या स्थिति है, मालूम नहीं है। यदि वे तेज गति से पूरा बांध बना लेंगे तो हमको तो डूबना ही है। उसमें दोरला जनजाति के लोग डूब रहे हैं। वहां की दोरला जनजाति बहुत ही सीमित जनसंख्या वाली जनजाति है। तो माननीय मंत्री जी, आप यहां से अपने अधिकारियों का शिष्ट मण्डल भेजेंगे क्या ताकि वे लोग बांध का स्थल निरीक्षण करके आ जाये ? ठीक से बन रहा है या निर्माण गति कम है ? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा ? बांध को तोड़ने का आदेश कर नहीं सकता। फिर बसाहट की बात होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दिलवा दीजिये ?

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप वहां अधिकारियों का एक दल बांध की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के लिए भेजेंगे क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है और कहीं न कहीं इसमें बस्तर के आदिवासियों का हित है। चूंकि इसमें छत्तीसगढ़ का हित है। इसलिए इसमें विस्तृत चर्चा के लिए अनुमति दी गई है।

इसमें माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सारी चीज नहीं है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पहले प्रश्नों का उत्तर दिलवा दीजिये। आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर दे रहे हैं। आप बैठिये, आप बार-बार उठेंगे तो कहां से उत्तर मिलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप भी बैठिये। शर्मा जी, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विधानसभा में जितने भी प्रश्न लगते हैं, सब महत्वपूर्ण होते हैं। खाली एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि विषय की गंभीरता को देखते हुए ये सारी चीजें की गई है। आप बोलिये। ले-दे के तो बस्तर वाले बैठे हे शर्मा जी, ओखर बाद बस्तर के मुद्दा में ऐसा करोगे तो ठीक नहीं है न।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह था कि माननीय सदस्यों के प्रश्न लगे हुए हैं। आप इस प्रश्न में आधे घण्टे की चर्चा करवा लीजिये और एक दिन उसमें विस्तार से चर्चा करवा लीजिये। बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा और मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- बात को इधर-उधर ले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिये तो। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उत्तर दिलवाईये न।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, उत्तर दे दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है। आपने भाभी जी, धर्मजीत जी और आदरणीय विद्वान सदस्य अजय जी को भी प्रश्न करने की इजाजत दी। जैसा कि अभी धर्मजीत जी ने कहा कि आप पोलावरम में अधिकारियों का दल भेजेंगे क्या ? यदि आन्ध्रप्रदेश पूरा कर लेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा ? कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में इतना तो मत कहिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- यही उत्तर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा और मैं फिर से ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- यदि आन्ध्रप्रदेश तेज गति में बांध बनायेगा तो सुप्रीम कोर्ट उतने बड़े प्रोजेक्ट को तोड़ने के लिए तो नहीं बोलेगा, इतना ज्ञान तो सबको है। इसलिए स्थिति क्या है, आप अपने सचिव के नेतृत्व में वहां एक दल भेज दीजिये। वे फील्ड में देखकर तो आ जाये कि मामला क्या है ?

अगर मामला धीरे चल रहा हो तो कोर्ट-कचहरी में मामला लड़े और यदि तेज गति में निर्माण चल रहा हो तो कम से कम आगे की कार्रवाई के बारे में विचार करें। गरीब आदिवासियों को आन्ध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भरोसे में डूबने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि आप वहां एक दल भेज दीजिये। वे वहां के अधिकारियों से मिलकर स्थल निरीक्षण करके आ जायेंगे और रिपोर्ट बता देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या जब से चंद्राकर जी के संपर्क में आये हैं ना तब से गड़बड़ा गये हैं। हम बहुत दिन से देख रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सी.एम. साहब को आपके सामने में आपके बारे में बताया हूं। अभी और बोलूंगा आपके बारे में।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, अजय जी ने कहा कि अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- प्लीज, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने ये कहा है कि यदि अध्ययन आपके पास नहीं है तो अध्ययन उन बिंदुओं का करवायेंगे क्या और कब, किससे करवायेंगे और कौन-कौन से मुद्दे पर आपने याचिका दायर की है? आप यह बता दीजिए। भाभी जी बैठी हैं आपने उनके प्रश्न के उत्तर में याचिका में कौन-कौन से बिन्दु शामिल किए हैं यह नहीं बताये हैं। मैं इतनी ही बात पूछ रहा हूं, बार-बार खड़ा नहीं होऊंगा भैय्या।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद आप खड़ा नहीं हों तो मैं पूरा पढ़ दूं।

श्री अमरजीत भगत :- ज्यादा खड़ा हाईयेगा तो हम बृहस्पत सिंह जी को आपके पीछे लगायेंगे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- बृहस्पत जी को पूरे विपक्ष की तरफ से हम प्रणाम करते हैं कि वह मत खड़े हुआ करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज मंत्री जी के एक और दो नहीं आये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, अध्ययन के बिन्दु मैं बहुत संक्षिप्त वाला आपको पढ़कर सुना देता हूं।

1. परियोजना के अधिकतम जलस्तर से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण और कंटूर चिन्हांकन
2. बाढ़ जल स्तर में वृद्धि पोलावरम परियोजना से पूरा प्रभावित क्षेत्र का चिन्हांकन
3. जल आयोग द्वारा पोलावरम परियोजना की जारी स्वीकृति के आधार पर राज्य में अधिकतम बाढ़ स्तर में बैक वॉटर का जल स्तर का चिन्हांकन।

श्री अजय चंद्राकर :- जांच किससे करवायेंगे यह बताईये ना?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है उसी का बिंदु है और आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के जो बिन्दु हैं जिसे मैं आदरणीया भाभी जी को पूर्व में बता चुका हूं आप यदि चाहते हैं तो मैं फिर से पढ़कर सुना देता हूं। सबसे पहला तो वही ऊंचाई वाला है।

1. गोदावरी जल विवाद अभिकरण द्वारा पारित शर्त के अनुसार पोलावरम का बैक वॉटर डुबान सहित 150 फिट होना चाहिए। वह 177 फिट है जो कि गोदावरी जल विवाद अभिकरण के पारित अवार्ड का उल्लंघन है।
2. जन सुनवाई नहीं की गई है।
3. पेशा कानून के तहत राज्य में डुबान प्रभावित ग्राम सभा की सहमति क्यों प्राप्त नहीं की गई।
4. सुरक्षा तटबंध के बारे में मैंने कहा कि ये विद्युत पंपों के माध्यम से सबरी नदी में पानी डालने का प्रावधान जो किया गया है वह अव्यवहारिक है।
5. तटबंध निर्माण में छत्तीसगढ़ की 1300 एकड़ भूमि जो ली जायेगी उसकी आवश्यकता से सबरी नदी के किनारे जो आबादी प्रभावित होगी उसके बारे।

यही तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। बार-बार आप उसी पर प्रश्न करते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोलावरम बांध राष्ट्रीय परियोजना है जिसे बनना तो तय है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो वहां के 18510 प्रभावित लोग हैं उनके लिए बसाहट की क्या व्यवस्था है? सरकार उसके लिए कोई कार्ययोजना बनाई है क्या? जब बांध बन जायेगा, जब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो डुबान एरिया में जो हमारे प्रभावित लोग हैं सरकार ने उनके लिए क्या कार्ययोजना बनाई है?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कुछ निर्णय होता है उसके बाद उनके लिए हम पुनर्वास की नीति बनायेंगे।

अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट फुड की सप्लाई

5. (*क्र. 367) श्री अनूप नाग: क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु कौन-कौन से समूह कार्यरत हैं? कृपया विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु प्रत्येक माह समूहों को कितनी राशि का आवंटन होता है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत नगर पंचायत अंतागढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्र में जनवरी, 2020 से दिनांक 27-11-2020 तक हितग्राही को फफुन्द लगे रेडी टू ईट फुड

वितरण करने की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत के विरूद्ध विभाग द्वारा संबंधित समूह के लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त समूह को रेडी टू ईट फुड निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- (क) जानकारी †[2] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. रेडी टू ईट फूड निर्माण हेतु महिला स्व सहायता समूहों को राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया जाता है. अपितु महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट फूड निर्माण/प्रदाय की गई सामग्री के भुगतान हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी को राशि आवंटित की जाती है. (ख) जी नहीं. अपितु समाचार पत्र (कांकेर संस्करण) में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए जिला स्तर से जांच की गई जांच में प्रकाशित समाचार सही नहीं पाया गया. अतः संबंधित समूह के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरंक है. मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह मद्रासी पारा को जनवरी 2020 से 27-11-2020 तक कुल 1125925/- रुपये का भुगतान किया गया है.

श्री अनूप नाग:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि मेरे अंतागढ़ प्रापर में रेडी टू ईट समूह में जो खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं उसमें फफूंद लगा हुआ था। मैं उसकी जांच चाहता था और जांच के बाद कार्रवाई चाहता था। जवाब में आया है कि जांच में यह सही नहीं पाया गया। मैं जबकि उसी मोहल्ले का रहने वाला हूं, वहां के लोगों ने उस फफूंद युक्त सामग्री को लाकर मेरे समक्ष रखा था, मैंने शिकायत की थी। कांकेर के अधिकारियों को भी शिकायत की थी और जांच चाहा था मगर अभी जो जवाब आया है उसमें जांच में सही नहीं पाया गया। मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि बतायें कौन ऐसे अधिकारी हैं जो जांच करके अवगत कराये हैं?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी शिकायत लिखित में कहीं किसी ने नहीं किया था। पेपर के माध्यम से विभाग के द्वारा वहां पर पहुंचकर जांच की गई है और पंचनामा सहित जिस शिकायतकर्ता ने भी शिकायत की थी वह भी पंचनामा के साथ वहीं पर खड़े थे, उनकी भी रिपोर्ट आई है। इसलिए ये जो फफूंद लगी हुई शिकायत है वह सही नहीं पाया गया है। वह पंचनामा मेरे पास आ गया है।

श्री अनूप नाग :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पत्र में स्पष्ट रूप से कीड़े लगे हुए सामग्री दिख रहा है । मैंने भी देखकर, तत्काल अधिकारियों को टेलीफोन से अवगत कराया था, उसके बाद भी वह सही नहीं पाया जा रहा है तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मोहल्ले के लोगों ने सामग्री लेकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी जिला स्तर पर कौन से अधिकारी ने जांच की?

---

†[2] परिशिष्ट "दो"

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पेपर के माध्यम से जानकारी मिलने पर जिला की महिला बाल विकास अधिकारी के माध्यम से और जो वहां शिकायतकर्ता है वह भी। दोनों वहां पर जाकर, उसमें पर्यवेक्षक, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्ता भी थे। सभी ने वहां जाकर जांच की और वह जो खराब होने के कारण, उनको फेंकने के लिए निकाला गया था, उसी को पेपर वाले ने ही उनकी फोटो खिंचकर, पेपर में दिया था, उसी के माध्यम से हमारे अधिकारी जांच करने गये थे ऐसी कोई लिखित में शिकायत नहीं है।

श्री अनूप नाग :- माननीय मंत्री महोदय, मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूँ कि 15 वर्षों से वह समूह खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं और वह दिन-ब-दिन लापरवाही बरत रहे हैं उन पर शिकायत करने का कोई असर नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन यही है कि पुन: आप एक बार दिखवा लीजिए।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल हम आपके साथ अधिकारी को भेजकर, उस समूह की जांच कर लेंगे।

श्री अनूप नाग :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। धन्यवाद्।

जिला जांजगीर चांपा में कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना अंतर्गत ट्रैक्टर की खरीदी एवं प्रदत्त अनुदान

6. (*क्र. 685) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में शासन द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना अंतर्गत कितने कृषकों को ट्रैक्टर खरीदी में अनुदान से लाभान्वित किया गया है ? (ख) जिले में लाभान्वित किसानों की संख्या विकासखण्डवार प्रदान करें ? (ग) क्या किसानों को प्रदान किये गये ट्रैक्टर्स में मिलने वाली अनुदान की राशि में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) एवं (ख) जानकारी ††[3] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) जी हां, प्राप्त शिकायत पर जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला जांजगीर चांपा में कृषि यांत्रिकीकीरण सब मिशन योजना, जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है उससे संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जी हां, प्राप्त शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह योजना लघु और सीमांत जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, उनको सब्सीडी दी जाती है और अधिकारियों के द्वारा इसका भौतिक सत्यापन समय

[3] परिशिष्ट "तीन"

पर नहीं किया जाता। कई बार तो पुराने ट्रैक्टर का ही भौतिक सत्यापन कर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, पहला, अनुदान के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया का आधार क्या है? जांजगीर चांपा जिले में 9 विकासखण्ड हैं और सिर्फ तीन विकासखण्डों में क्यों इसे प्रदान किया गया है ये दोनों बातें पहले बता दीजिए?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नारायण भईया, कभी-कभी बहुत कठिन प्रश्न कर देते हो। जिला स्तर के टारगेट तय होते हैं। अब आपके जिले के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया किसानों का ऑनलाईन आवेदन लिया जाता है अब तीन विकासखण्ड के लोग ज्यादा दे दिये होंगे और उसके वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान है। यह कब से है, मैं उन सारी बातों में नहीं जाना चाहता और उसके बाद उनको अनुदान दिया जाता है। प्रक्रिया केवल यह है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बता दिये कि वर्ष 2019-2020 का लक्ष्य क्या है, यह भी बता देंगे। दूसरा इस योजना के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया क्या है? और आपने यह कहा है कि इसमें जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी जांच जारी है, कब-कब, किस-किस व्यक्ति ने शिकायत की? जांच अधिकारी कब नियुक्त किये गये? किसके नेतृत्व में जांच हो रही है उस जांच टीम में कितने लोग हैं ? जांच की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई है? और जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने लक्ष्य जानना चाहा। वर्ष 2018-19 का टोटल, राज्य का बताऊं या आपके जिले का बताऊं?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो जिला का पूछा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में जो आपके जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 34 और उसमें केवल 4 लोग कृषक अंश जमा किये, उनको ट्रेक्टर प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 में 16 लोगों को और वर्ष 2020-21 में अभी तक 12 लोगों को मिल चुका है। आपने जांच के बारे में जानकारी चाही है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत भी पढ़ देता हूँ, कृषक झगरूराम सोनवानी के संदर्भ में एकमात्र शिकायत है। मानव मोटर्स के द्वारा john deere कंपनी का ट्रेक्टर था, दुर्भाग्य से उसके यहां एक पुराना ट्रेक्टर था। वेरीफिकेशन करने वाली थर्ड पार्टी जिनका निरीक्षण था, मेसर्स IR CLASS Systems and Solutions Pvt. Ltd यह भोपाल की पार्टी है, जिसके पहले टेन्डर करके चेम्स के माध्यम से थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन के लिए अधिकृत किया गया था, इसके द्वारा निरीक्षण किया गया। आपकी शिकायत सही है वह john deere कंपनी का नया ट्रेक्टर लिया, अभी तक उसको अनुदान नहीं मिला है, लेकिन इसके द्वारा पुराने ट्रेक्टर का वेरीफिकेशन किया जा चुका है। ये सच्चाई सामने आई है। विधानसभा में प्रश्न लगा है, जिनके द्वारा गलत ट्रेक्टर का ये थर्ड पार्टी निरीक्षण किया गया है, हालांकि

इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। किसान को अनुदान दिया ही जायेगा। किसान के खिलाफ कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि उसके यहां john deere का पुराना ट्रेक्टर था और IR CLASS Systems and Solutions Pvt. Ltd जिसके नाम का मैंने उल्लेख किया, इसके द्वारा पुराने ट्रेक्टर का वेरीफिकेशन किया गया। इसलिए थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए इसका जो एग्रीमेन्ट है, उसको मैं निरस्त करने के लिए आदेश करूंगा। किसान के नये ट्रेक्टर का अनुदान किसान को दिया ही जायेगा, ये सुनिश्चित करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आपके अधिकारी भौतिक सत्यापन करते हैं, कई बार तो एक ट्रेक्टर का दो बार भौतिक सत्यापन कर देते हैं, पुराने ट्रेक्टरों का कर देते हैं। ऐसे अधिकारियों पर जो अपने कर्तव्य के निर्वाह के प्रति सजग नहीं हैं, क्या उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोग तो देसी घी हो। बैला के सींग छोल के पोत के दूसरा बाजार में दूसरा ला बेच देना, वोइसने वाला हे।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा कहीं हुआ होगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री नारायण चंदेल :- आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा न कि इसका एग्रीमेन्ट समाप्त कर रहा हूं। इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मैं सदन में कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि सरकार आपकी है, जितनी शिकायत सब करते हैं न..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठिये। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं तो उतना समय लगता है।

श्री नारायण चंदेल :- यह आपके विभाग में सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा व्यापक रूप से सुधारिये, चाहे वह बीज निगम, ट्रेक्टर का मामला हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, विभाग में फर्जीवाड़ा हो रहा है, अरे वह फर्जीवाड़ा के उस्ताद हैं, कब मनखे ला कहां का बना देही, कोई भरोसा नई हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें आप टाईम लिमिट कीजिए कि इतने दिन में जांच होगी, इतने दिन में कार्यवाही होगी। प्रक्रियाधीन उत्तर नहीं है, आप गंभीर मंत्री हैं, वरिष्ठ आदमी हैं। प्रकिया पारदर्शी होगी, ये सुनिश्चित किया जाये। एक ही बैल को तीन बाजार में मत बेचा जाये।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं तो आप हम लोगों की उपस्थिति में जांच कराईये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, उत्तर तो देने दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अजय जी ने कहा कि एक ही बैला को तीन बाजार में मत बेचा जाये, ऐसा संभव नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक ही मनखे ला दू जाति के अलग-अलग बताये के तोर मास्टरी हे!

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रक्रियाधीन कहां बोल रहा हूं। मैंने जिस कंपनी का नाम लिया, मैं तो उसके एग्रीमेन्ट को निरस्त करने की बात कह रहा हूं। इसी सदन में घोषणा कर रहा हूं। तीसरी बात आपने जो प्रक्रिया के बारे में कहा। यह क्या है कि 4-5 कंपनियों के ट्रेक्टर विक्रेताओं का आपस में सब किसान तक ग्राहकी चलती रहती है, अपना-अपना ऑनलाईन एप्लीकेशन कराते हैं और उसी का ये प्रतिफल है। उसके कारण यह हो जाता है कि जो टारगेट होता है, एक किसान का एप्लीकेशन लग गया तो फिर समझ लीजिए कि अगर 30 का टारगेट है और 30 किसान का एप्लीकेशन लग गया तो फिर ब्लाक हो जाता है फिर उसमें नये किसान जुड़ नहीं पाते हैं। हम उस प्रक्रिया को भी सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, आपका बहुत हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो गया वह तो ठीक है, माननीय मंत्री जी, चलते रहता है, बोल रहे हैं तो क्या चलते रहता है। यह आपके विभाग में ही क्यों चलते रहता है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि जांच जारी है, ठीक है । जांच अधिकारी कौन है और कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी, हो गया अब उसके बाद अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो सप्लाई, ट्रेक्टर और कंपनी यह कुछ पुण्यात्मा होते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- कृषि विभाग की आत्मा योजना की तरह है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं फिर से कह रहा हूं न कि ये गड़े पुण्यात्मा होते हैं । आप थे तब भी यही लोग थे, हम हैं तब भी यही लोग हैं, सतयुग-द्वापर में भी इन्हीं लोगों ने सप्लाई किया होगा । (हंसी) इन धर्मात्माओं के बारे में आप क्या कह पायेंगे?

श्री नारायण चंदेल :- यह सब चोचो-बोरो जवाब है । (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह ।

श्री संतकुमार नेताम :- 15 सालों में आप लोगों ने जो सीखा दिया है न, अभी भी वही वाला चल रहा है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में पूरे जांजगीर जिले में केवल 12 ट्रेक्टरों का ही वितरण हुआ है । चूंकि यह सबसे ज्यादा कृषि के रकबा का जिला है और केवल 12 ट्रेक्टरों का ही वितरण हुआ है, केवल 03 महीने बचे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो टारगेट है क्या उसे 03 महीने में पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टारगेट भी पूरा करेंगे और उसके अलावा भी किसानों का यदि एप्लीकेशन होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने लगभग 02 वर्षों में इसका टारगेट दुगूना किया है उसके बावजूद भी किसानों को आवश्यकता होगी तो हम इसका विस्तार करेंगे और किसानों को प्रदान करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांजगीर जिले में 09 विकासखण्ड हैं । 09 विकासखण्डों में पूरी योजना पिछले 03 सालों में केवल 03 विकासखण्डों में ही ट्रेक्टर दिये गये हैं । अन्य विकासखण्डों के किसानों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कृपापूर्वक इसकी जांच करायें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है । हम अपने जिला अधिकारियों को निर्देश करेंगे कि यह संतुलन बराबर बना रहे । जिले में पूरे सब लोगों को हमारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इन्दू बंजारे जी ।

शेखरपुर तथा डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कार्य

7. (*क्र. 624) श्रीमती इन्दू बंजारे (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग के जशपुर जिला के अंतर्गत शेखरपुर वृहद सिंचाई परियोजना तथा डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु आवश्यक स्वीकृति कब व किसके द्वारा प्रदान की गयी है ? (ख) उक्त दोनों योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु कितना-कितना व्यय कब-कब किया गया है ? (ग) उक्त दोनों योजनाओं में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य के पूर्व केन्द्रिय जल आयोग की सैद्धांतिक सहमति कब प्राप्त की गयी ? क्या केन्द्रिय जल आयोग के सैद्धांतिक सहमति के बिना विस्तृत सर्वेक्षण किया गया ? (घ) यदि हां, तो उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) सरगुजा संभाग के जशपुर जिला के अंतर्गत शेखरपुर तथा डांडपानी वृहद सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु शासन द्वारा क्रमशः दिनांक 31-01-2018 द्वारा रु. 703.949 लाख एवं दिनांक 30-01-2018 द्वारा रु. 892.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है. (ख) उक्त दोनों योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के फलस्वरूप उक्त दोनों परियोजनाओं के सैद्धांतिक सहमति के प्रकरण केन्द्रीय जल आयोग में लंबित है तथापि कार्य विभाग मैन्युअल की कंडिका 2.026 एवं केन्द्रीय जल आयोग की 2017 की मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1 के पालनार्थ योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया गया है. (घ) सर्वेक्षण कार्य नियमानुसार किए गए हैं, अतः प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केंद्रीय जल आयोग में यह प्रकरण लंबित है लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी जब केंद्रीय जल आयोग में यह प्रकरण आया तो विवादित होने के कारण इसको वापिस कर दिया गया था लेकिन शेखरपुर एवं डांडपानी के गूगल के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण कराकर इसका कार्य कर दिया गया तो इस हिसाब से तो शासन के पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जशपुर और अंबिकापुर ईलाके की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और केवल सर्वे कराने से चूंकि पैसे का दुरूपयोग जैसा आप प्रश्न कर रही हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह पैसे का दुरूपयोग नहीं है । वर्ष 2017-18 से इसके सर्वे का निर्देश हुआ था, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी जारी हो गया है । मैनी और ईब नदी पर शेखरपुर और डांडपानी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक में 38,000 हैक्टेयर में सिंचाई होना है, दूसरे में 24,000 हैक्टेयर में सिंचाई होना है । यह अगर महानदी ट्रियूबनल के विवाद डिसपुट का अगर उड़ीसा के साथ नहीं होता तो अभी तक यह दोनों परियोजनाएं शुरू हो गई होतीं और आपका मूल प्रश्न स्वाभाविक है कि सी.डब्ल्यू.सी. में भेजने के पहले सर्वे क्यों कराया गया ? प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट के पहले क्यों कराया गया तो उसके लिये भी अनुमति ली गई है और वहां से भी निर्देश हुआ था, सर्वे कराकर डीपीआर तैयार करके रखा जाए, जब तक यह ट्रियूबनल का जो डिसपुट है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला हो जायेगा और यह दोनों महतवपूर्ण योजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग शुरू कर पायेंगे ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और अगर इसको सही ढंग से नहीं किया जायेगा तो इसके पैसे का दुरूपयोग होगा इसलिए मैंने यह प्रश्न उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह माना गया कि माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि विवादित रहा और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जल विवाद का रहा । जब विवाद का ही रहा तो सैद्धांतिक सर्वे के नाम पर करोड़ों रूपये अपने लोगों को दिया गया क्या यह उचित है ? जब विवादित है, केंद्रीय जल आयोग में एक्सेप्ट ही नहीं है तो फिर किस बात का सर्वे, किसको उपकृत करने के लिये सर्वे किया गया और करोड़ों रूपये का फिजूलखर्च किया गया । दूसरा है स्थान का परिवर्तन, स्थान भी बदला गया तो क्या यह स्वेच्छाचारिता है कि विभाग के अधिकारी लोग हैं कि जिन स्थानों पर प्रस्ताव हुए थे उसकी जगह में सरगुजा जिले के अन्य क्षेत्रों में लाया गया, उसको सीतापुर में लाया गया जबकि उसको जशपुर में होना था । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, यह बड़ा दुर्भाग्य है, डॉक्टर बांधी ने कह दिया स्वेच्छाचारिता है, पैसे का दुरूपयोग है और पता नहीं क्या-क्या आरोप अपनी सरकार पर उन्होंने लगा दिया ? यह सब कुछ उन्हीं की सरकार के कार्यकाल का है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जांच कराइए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं जांच की आवश्यकता भी नहीं समझता । यह उपयोगी काम है । अगर छत्तीसगढ़ में 38 हजार, 22 हजार, 24 हजार हेक्टेयर में सिंचाई करने के लिए किसी परियोजना का डीपीआर बनाया गया, सर्वेक्षण किया गया तो इसमें कौन सा गलत काम हुआ है, वह चाहे आपने किया या हमने किया । न इसमें कोई गलती हुई और न इसमें कोई स्वेच्छाचारिता हुई । उसका सर्वे कराया गया है, डीपीआर तैयार कराया जा रहा है, प्रीफिजिबिलिटी के लिए सीडब्ल्यूसी को भेजा गया है । केवल महानदी विवाद के कारण, ट्रिब्यूनल में लंबित होने के कारण, केवल यह योजना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी परियोजनाएं लंबित हैं । हम तो आपका भी सपोर्ट चाहेंगे । केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री जी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में जब हमने चर्चा की तो हमने उनसे आग्रह किया है कि अगर विवाद ट्रिब्यूनल में होने के कारण अगर छत्तीसगढ़ की अनदेखी हो रही है, छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है तो केन्द्र सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभाए । पानी में जितना अधिकार छत्तीसगढ़ का है उतने पानी का तो हम उपयोग कर सकते हैं । आप केवल यह कहकर कि अगर केन्द्र सरकार अनुमति नहीं देगी तो क्या हम अपनी योजनाओं को रोक देंगे ? हमने केन्द्र से अनुरोध किया है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह जो डीपीआर बना है, टेंडर हुआ है । सर्वे के लिए कब कब टेंडर जारी किया गया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- जिनको सर्वे का काम मिला है आने वाले समय के लिए उसको भी मैंने निरस्त कर दिया है । लेकिन यह पूर्वकालीन सरकार के समय का हुआ है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बांधी साहब अब क्या करें, 15 साल बोल नहीं पाए । अब बोलने का मौका मिला है तो अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ना चाहते हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोगों का मूल प्रश्न लगा है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर टेंडर निरस्त कर दिया गया है तो फिर से टेंडर कब जारी करेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो हो गया है। उसके बाद भी इन्होंने 3-4 पूरक प्रश्न कर लिया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- महत्वपूर्ण विषय है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- महत्वपूर्ण है । अच्छा, फिर ठीक है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है । छत्तीसगढ़ के लिए महानदी के ट्रिब्यूनल का विवाद ही मात्र अड़ंगा है, वरना हमने इस साल के बजट में विधान सभा में कितनी योजनाएं पारित की हैं । हम सब योजनाओं का डीपीआर बनाएंगे, सब योजनाओं की स्वीकृति लेंगे । छत्तीसगढ़ में संसाधन की कोई कमी नहीं है । हम सिंचाई परियोजनाओं को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शेखरपुर और डांडपानी के बारे में न सर्वेक्षण में कोई गलती हुई और केन्द्र सरकार के सीडब्ल्यूसी को भी सही समय पर भेजा गया है । आदरणीया ने जो प्रश्न किया वह बहुत महत्वपूर्ण है । छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में दोनों नदियों में जलाशय बनाना आवश्यक है । सिंचाई सुविधा देना आवश्यक है । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । मैंने तो कहा ही नहीं कि आपके समय हुआ या मेरे समय हुआ । आपने प्रश्न किया इसलिए मैंने बताया, वरना इसमें कोई अनियमितता नहीं है यह बहुत अच्छी योजना है और छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं की हम शुरूआत करेंगे। हम ट्रिब्यूनल में भी लगे हुए हैं कि जल्दी निराकरण हो जाए ताकि हम अपने छत्तीसगढ़ की सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सकें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, टेंडर निरस्त हो गया लेकिन फिर से टेंडर कब करेंगे इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि यह विवाद, ट्रिब्यूनल में है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जब इतना विवाद है तो सर्वे के नाम पर इतना व्यय करना क्या उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- वह सारा उत्तर आ गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उचित है या नहीं है, आप उस समय केबिनेट में बैठे थे । क्या उचित था, क्या उचित नहीं था, इस पर कभी चर्चा होती थी क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- केबिनेट में कोई इनकी सुनता ही नहीं था तो क्या करें ?

<u>जिला बेमेतरा में दिव्यांगों हेतु सामग्री क्रय</u>

8. (*क्र. 679) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा नवंबर, 2020 तक दिव्यांगों हेतु शासन द्वारा प्रदाय किये जाने वाले ट्रायसायकल एवं श्रवण यंत्र तथा बैसाखी की खरीदी किस-किस फर्म से, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किस माध्यम/आदेश से की गई ? सामग्रीवार, फर्मवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत क्रय सामग्री पर संबंधित फर्म द्वारा कितनी समयावधि की गारंटी/वारंटी दी गई एवं कितना भुगतान संबंधित फर्म को किया गया ? क्या

निर्धारित समयावधि में सामग्री की आपूर्ति की गई थी ? प्राप्त सामग्री का सत्यापन एवं मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया था? सामग्रीवार जानकारी देवें ? (ग) क्या सामग्री वितरण पश्चात् सामग्री की गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवम्बर 2020 तक दिव्यांगों के लिए क्रय की गई ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र एवं बैशाखी के विक्रेता, मात्रा, दर एवं माध्यम/आदेश की सामग्रीवार एवं फर्मवार जानकारी निम्न अंकित है :—

क्र.	सामग्री का नाम	फर्म का नाम	सामग्री की मात्रा	दर	क्रय माध्यम/आदेश
1.	ट्रायसायकल	-	-	-	-
2.	श्रवण यंत्र	जे.पी. ड्रग्स, धनलक्ष्मी नगर	10	3000/-	सीधी खरीदी
3.	बैशाखी	भनपुरी रायपुर.	10	2,500/-	—,,—

(ख) सामग्री पर 12 माह की वारंटी दी गई है एवं फर्म को श्रवण यंत्र हेतु राशि रुपये 30,000/- तथा बैशाखी हेतु राशि रुपये 25,000/- कुल राशि रुपये 55,000/- भुगतान किया गया है. जी हां, निर्धारित समयावधि में सामग्री की आपूर्ति की गई है. प्राप्त सामग्री का सत्यापन एवं मूल्यांकन संबंधित जिला अधिकारी, समाज कल्याण द्वारा किया गया. (ग) सामग्री वितरण पश्चात गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से दिव्यांगजनों के लिए सामग्री का क्रय और उसके वितरण के संबंध में प्रश्न किया था। मैंने मुख्य रूप से जानकारी चाही थी कि ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र और बैसाखी की इस वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी संख्या में और किस फर्म से खरीदी की गई ? माननीय मंत्री महोदया ने ट्रायसायकल की जो जानकारी दी है, उसमें निरंक दी है, लेकिन मेरी जो जानकारी है मोटर ट्रायसायकल है, उसका वितरण भी किया गया है। उसकी खरीदी भी की गई है। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में कितनी मोटर सायकल की खरीदी जिले में की गई है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ट्रायसायकल का निरंक है। क्योंकि वह यहां प्रदेश से गया है। बाकी श्रवण यंत्र 10 खरीदे हैं। बैशाखी 10 खरीदे हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मोटर सायकल की खरीदी हुई है। अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास जानकारी है। मैं पत्र क्रमांक समेत जो खरीदी वहां के विभाग में की गई है, उसके पत्र

क्रमांक समेत आपके सामने रख सकता हूं कि कौन-कौन सा पत्र क्रमांक है ? उसका जो पत्र क्रमांक था, पत्र क्रमांक 874 दिनांक 24/08/2020 है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वर्ष 2020-21 में 10 ट्रायसायकल क्रय किया गया है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं, इसमें पहले जानकारी निरंक आयी थी, लेकिन मेरी जो जानकारी है, 40 नग मोटर सायकल की खरीदी की गई है। आप बोलेंगे तो मैं तारीख समेत बता सकता हूं। माननीय मंत्री जी आपके खुद का प्रभार का जिला है और आपका विभाग है और इसमें जो खरीदी की गई है, वह गुणवत्ताहीन है। जिस दिन 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय द्विव्यांग दिवस रहता है, उस दिन द्विव्यांगों ने इसकी शिकायत भी की थी। मैं भी वहां उपस्थित था। वेल्डिंग की हुई ट्राय मोटर सायकल द्विव्यांगों को बांटी गई है और एक ही फर्म के द्वारा खरीदी की गई है। न कि उसकी कोई निविदा बुलाई गई है और न कुछ। लगभग 20 लाख रूपये की खरीदी एक ही फर्म के द्वारा यहां से इस विभाग के माध्यम से की गई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- खरीदी की गई है, परंतु वह निविदा इसलिए नहीं बुलाया गया है। 144, कोरोना महामारी के कारण और इसलिए कलेक्टर के माध्यम से जो समिति गठित होती है, उस समिति की अनुशंसा में उन्होंने यह खरीदी की थी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, 20-20 लाख रूपये की खरीदी का मामला है और घटिया क्वालिटी का मामला है। आपके प्रभार जिले का मामला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से आप घोषणा कीजिए कि अगर घटिया क्वालिटी की खरीदी की गई है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ठीक है। अगर घटिया सामग्री खरीदी गई है तो इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप बोलेंगे के तो मैं सदन के पटल पर वीडियो और फोटो सब रख सकता हूं। मेरे पास उपस्थित है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी तक ऐसा कोई लिखित में शिकायत नहीं आयी है। आपके द्वारा अभी विधान सभा में प्रश्न लगाया गया है तो जरूर इसको दिखवा लेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मेरी उपस्थिति में जांच करायें।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, दिखा लेंगे। प्रमोद कुमार शर्मा जी।

<u>बलौदा बाजार-भाटापारा के जिलों में नहरो के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत/व्यय राशि</u>

9. (*क्र. 617) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदा बाजार-भाटापारा के जल संसाधन संभाग को वर्ष 2017-18 से 30 नवंबर, 2020 तक

की अवधि में नहरों के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई ? संभागवार, वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) क्या विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों का इनफरमेटिव साईन बोर्ड कार्य के स्थान में लगाया जाना कार्य की स्वीकृति की शर्तों में अनिवार्य है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के 05 जल संसाधन संभागों को वर्ष 2017-18 से 30 नवंबर 2020 तक की अवधि में नहरों के रखरखाव/संधारण/मरम्मत कार्यों हेतु कुल रु. 17168.32 लाख की राशि स्वीकृत की गई तथा रु. 10808.52 लाख की राशि व्यय की गई. स्वीकृत व व्यय राशि की संभागवार, वर्षवार जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों का इनफरमेटिव साईन बोर्ड कार्य के स्थान में लगाया जाना कार्य की स्वीकृति की शर्तों में अनिवार्य नहीं होता है.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में रख-रखाव, संधारण और मरम्मत के नाम से मंत्री जी का जवाब आया है। जवाब तो आ गया है कि कितना रूपये रख-रखाव, संधारण, मरम्मत के लिए है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि बलौदाबाजार जिले में कुछ क्षेत्र में अधिकारी अपने रिश्तेदार के नाम से लाइसेंस बनवाकर खुद ठेकेदारी करना चालू कर दिये हैं और मरम्मत के नाम से जीरो काम हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या इसमें गंभीरतापूर्वक जांच करायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, इतना वेग (vague) प्रश्न है कि कौन अधिकारी क्या कर डाला। कुछ एकाक स्पेशिफिक बतायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जी-जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो काम की भी जांच करा देंगे। अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आपने कह दिया कि पूरा संभाग में ऐसा हो रहा है तो मैं किसके बारे में क्या बोलूं ? आप बताइए। आप स्पेशिफिक कुछ पूछ लीजिए कि ये अधिकारी इसके रिश्तेदार ये काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पूरे संभाग में कौन कर रहा है, इसका उत्तर मैं कैसे दे पाउंगा ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय जी, मैं बता रहा हूं कि सन् 2019-20 में सोहेला क्षेत्र में वी.के. सिरमौर जो एक अधिकारी है, उसके पूरे रिश्तेदार सिर्फ ठेकेदारी से नाम से, वहां मरम्मत के नाम से पूरा जीरो होकर पूरे पैसे को डकार जाते हैं। मरम्मत के नाम से वहां पूरा जीरो काम हो रहा है। मैं वही मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि सोहेला क्षेत्र में इसकी जांच करा देंगे क्या ?

---

[4] † परिशिष्ट "पांच"

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, अधिकारी को अर्थदण्ड दिया जाये। वह अधिकारी जिनका नाम ले रहे हैं, उन्हें अर्थदण्ड दिया जाये।

श्री नारायण चंदेल :- प्रश्न लगते ही लग गया होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या।

श्री शिवरतन शर्मा :- इन्होंने कहा कि प्रश्न लगते ही अर्थदण्ड लग गया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। चंदेल जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं-नहीं, सदन में ऐसी बात आप न कहें। मैं तो फिर से पूछ रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अपने कार्यकाल की बता रहे हैं कि 15 साल अर्थदण्ड लेते रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप जिस इलाके के किसी काम का जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी डिवीजन, कौन सा सब डिवीजन कुछ तो बताइए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार डिवीजन में सोहेला क्षेत्र है, जिसमें एक अधिकारी है-सिरमौर । उसने अपने रिश्तेदारों के नाम से खुद ठेकेदारी करना चालू कर दिया है और आज भी नहर की स्थिति को देखेंगे तो मेंटनेंस के नाम से कोई काम नहीं हुआ है, मेंटनेंस के नाम से सिर्फ खानापूर्ति करके पैसे निकाल लिया जाता है और गांव वालों के द्वारा शिकायत करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करते, मैं उसकी जांच कराने की मांग करता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह अधिकारी ई.ई. है या एस.डी.ओ. है ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एस.डी.ओ. है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीफ इंजीनियर को भेजकर स्थल निरीक्षण करवा दूंगा और अगर आप कह रहे हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी पायी जाएगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे । विधायक की उपस्थिति में करा देंगे। वह कितने साल से अनुविभागीय अधिकारी है ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- 15 सालों से टिका हुआ है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसको पहले हटा लूंगा, उसके बाद आपकी उपस्थिति में जांच कराऊंगा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब से माननीय चौबे जी मंत्री बने हैं, वे बहुत ही दमदारी से माननीय सदस्यों के प्रश्न में सख्त कार्यवाही करते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- धन्यवाद। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना हम सबकी जवाबदारी है । (मेजों की थपथपाहट) और हमारे आदरणीय सदस्य कह रहे हैं, हालांकि वे प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन वे जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इधर के दो-तीन लोगों को भी सीखा दीजिए न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आप को ही सीखाऊंगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल बलौदाबाजार-भाटापारा का प्रश्न लगाया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति पूरे प्रदेश में है । संधारण, रख-रखाव या मरम्मत की जहां भी कोई स्वीकृति है, उसकी जानकारी न जनप्रतिनिधियों को रहती है, न किसानों को रहती है । सामान्य जानकारी मांगने से न विभाग वाले जानकारी देते हैं कि कहां-कहां काम हो रहा है ? मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इसकी जानकारी कम से कम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को दे दें और अगर यह संभव हो तो उसमें अनिवार्य रूप से बोर्ड लगवाएं, उसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है, ताकि आम किसानों को भी पता चले कि इतने रूपए की स्वीकृति है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो आदरणीय प्रमोद जी का था । आदरणीय चंद्रा जी ने पूछा कि सभी जगह ऐसा हो रहा है । यह तो सरकार का स्पष्ट आदेश है कि माननीय जनप्रतिनिधि जो जानकारी चाहेंगे, मांगेंगे, उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए । आपने कहा कि किये जाने वाले कार्यों के लिए बोर्ड लगाना चाहिए तो यह स्पष्ट आदेश है कि जिला के माध्यम से, विभाग के माध्यम से या बजट के माध्यम से जहां नये कार्यों की स्वीकृति होती है तो उसमें बोर्ड लगाया ही जाता है । मेंटनेंस के काम के बारे में आपने प्रश्न किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेंटनेंस के सारे कार्यों में बोर्ड लगाया जा सकेगा, उसके बावजूद भी आपने सदन में कहा तो मैं विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दूंगा । जब, जहां, जैसे जनप्रतिनिधि जानकारी मांगेंगे और विशेष रूप से इस सदन के सदस्य जानकारी मांगेंगे तो उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

<u>जिला जशपुर में दिव्यांगजनों हेतु सामग्री क्रय</u>

10. (*क्र. 489) श्री विनय कुमार भगत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर में वर्ष 2018-19 से 2020-21 में प्रश्नावधि तक दिव्यांगजनों को कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराए गए ? उक्त उपकरणों का क्रय किस-किस संस्था/फर्म से किस माध्यम से कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ? निविदा कब आमंत्रित की गई ? क्या-क्या दर थी ? कितना-कितना भुगतान किया गया, कितनी जी.एस.टी. की कटौती की गई ? संस्थावार वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश"क" में कितने दिव्यांगजन लाभान्वित हुए ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? क्या सामग्री क्रय एवं वितरण में अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई अथवा विभाग की संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) जानकारी ††[5] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि जिला जशपुर में वर्ष 2018-19 से 2020-21 में प्रश्नावधि तक दिव्यांगजनों को कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराए गए ? विकासखण्डवार जानकारी चाही थी । इसका उत्तर मिल गया है, परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न जानना चाहता हूं कि जो सामग्री आपने क्रय की है, उस सामग्री को कितनी मात्रा में क्रय की जानी है, उसका क्या आधार है, उसको तय कैसे करते हैं? दूसरा प्रश्न, दिव्यांगजनों को आप सामग्री वितरित करते हैं, उसकी प्राथमिकता का आधार क्या है, वे पंजीकृत रहते हैं या उनको आवश्यकतानुसार दिया जाता है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवेदन के अनुसार पंचायत में या जनपद के माध्यम से, जिला के माध्यम से आवेदन करते हैं, उसका क्राईटेरिया रहता है कि उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए और जो मेडिकल रिपोर्ट में भी 40 प्रतिशत दिव्यांगता का कार्ड बनना चाहिए । इस आधार पर आवेदन के अनुसार उनको सामग्री वितरित की जाती है ।

श्री विनय कुमार भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बगीचा विकासखण्ड की बात कहना चाहता हूं । वहां भी अति पिछड़ी जनजाति है-पहाड़ी कोरवा, बिरहोर । वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में दिव्यांगजन रहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[5] परिशिष्ट "छ:"

समय :

12:00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय :- चूंकि औपचारिक बिजनेस लेना है। आदरणीय भूपेश बघेल जी।

पत्रों का पटल पर रखा जाना।

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखता हूं।

(2) वर्ष 2020-21 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-21 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 पटल पर रखता हूं।

समय :

12:01 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, चुनाव के पूर्व बहुत सारे आश्वासन दिये गये और उसको ले करके अधिकारी कर्मचारी दो साल तक इंतजार किये और इंतजार करने के बाद में अब ये लगने लगा है कि ये सरकार केवल चुनावी वायदे किये थे। इसको ले करके अधिकारी कर्मचारी के लगभग 50 फेडरेशन के 10 हजार से उपर लोग रैली निकाले और रैली निकालकर

अपनी मांगो से सरकार को अवगत कराया। विद्या मितान 62 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके बाद डी.पी.सी. हो गया है, डी.पी.सी. होने के बाद में आदिम जाति कल्याण विभाग में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। आज तक उसमें कुछ निर्णय नहीं हुआ। यहां अधिकारी कर्मचारियों को एरियर्स नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, डी.ए. नहीं दे रहे हैं, उनको समयमान वेतन नहीं दे रहे हैं, उसमें निर्णय नहीं हो पा रही है। साथ ही पटवारी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इसको ले करके पूरे प्रदेश में लगभग सारे कार्य बंद हो गये हैं। किसान लोग परेशान हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि जिन किसानों का छूटा हुआ है, उसको करेंगे, आखिर कौन करेगा ? जब तक इसमें ध्यान नहीं देंगे, तब तक सारे कार्य ठप्प पड़े हुए हैं और सारे लोग आक्रोश में बैठे हुए हैं। मैंने इसमें सूचना दी है। इसको चर्चा के लिये तत्काल ग्राह्य करें और इसमें चर्चा करायें जिससे उनके हितों में सरकार के द्वारा निर्णय किया जा सके।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ जो कभी शांति का टापू कहलाता था। पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरे आम मुख्य मार्ग पर मर्डर होता है, मर्डर करते हुए उसकी वीडियो क्लीपिंग तैयार की जाती है और वह वीडियो क्लीपिंग सार्वजनिक होती है। स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में, गृह मंत्री के गृह जिले में, चार लोगों की सामूहिक हत्या होती है। अपराधी पकड़ से बाहर हैं। अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। पूरे प्रदेश में सुनियोजित ढंग से आई.पी.एल. का सट्टा चला, क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, जुवे के फड़ चल रहे हैं और उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि आज एस.पी. और थानेदारों की नियुक्ति पेमेंट बेस पर हो रही है, उसके चलते पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हमने इसके लिये स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्थगन पर चर्चा करायें।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में जहां से आप निर्वाचित होकर आते हैं, 5 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 4 लोग मर गये। आत्महत्याएं बढ़ गयीं, नशा के कारोबार में नाइजीरियन छत्तीसगढ़ में उतर गये। ठगी की घटनाओं में कहां-कहां से लोग आ गये, उत्तरप्रदेश के गैंग आ गये। मानव तस्करी में कल प्रश्न हुआ, उससे पहले अपहरण के गैंग में उत्तरप्रदेश के लोगों को पकड़कर लाया गया, बिल्कुल शूट कर दिया जायेगा। आखिर छत्तीसगढ़ में एक तहसीलदार को रेत माफिया लोगों ने बंधक बना लिया। माने, मैं तो मछली बाजार जाता जैसे मछली को काट काट के बेचते हैं, यहां रोज आदमी कट रहे हैं। बिल्कुल भी खौफ नहीं है। लॉ एंड आर्डर कानून व्यवस्था की सरकार है, यह छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुकी है। हमने उसमें स्थगन दिया है। आप उसमें चर्चा करवायें तो हम उसमें पर्याप्त तथ्य देंगे। लेकिन आज यह छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, वह अपराध का टापू बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है। दो ही साल में छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- कांग्रेस के जो एम.एल. ए. हैं, शैलेश पाण्डेय जी कहां हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने गृहमंत्री जी की उपस्थिति में मांग की है कि आप उन अपराधों के दर कम कीजिये कितने पैसे में कौन से काम होते हैं, हम वह काम करवायेंगे, ये बात है। यह मेरी बात नहीं है।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मछली काटा जाता है, उस तरह से आदमी काटा जा रहा है, कहा गया है। उसको विलोपित करवाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर शहर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों का जनजीवन असुरक्षित हो गया है। आज हमारे रायपुर शहर में यह स्थिति है कि जयस्तम्भ चौक पर चाकुओं से घोंपा जाता है और उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। जय स्तम्भ चौक पर 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति होती है। वहां पर ऐसी घटना होती है। परसो रात को एक मर्डर हो गया। मर्डर एक आम बात हो गई है। लूटपाट आम बात हो गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तक, 2 साल पहले तक महिलाएं और लड़कियां रात 12 बजे सड़कों पर घूम सकती थीं। अब इन घटनाओं के बाद से लोगों में भय और डर पैदा हो गया है। यह बात पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। अमलेश्वर में 4 लोगों को मारा गया है।

सभापति महोदय :- हो गया, आपकी बात आ गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी, हमको इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है कि छत्ततीसगढ़ में इस प्रकार के अपराध क्यों हो रहे हैं जो अपने परिवार के 4 लोगों को मारकर खुद सोसाइड कर लिया। परसों 4 लोगों की हत्या हो गई। छत्तीसगढ़ का विकास होगा और अगर विकास के साथ-साथ ऐसे अपराध बढ़ेंगे तो हम छत्तीसगढ़ को कहीं का नहीं रख पायेंगे। हमने इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया है। आप उस पर चर्चा करवाये, आपसे इस बात का आग्रह है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, अच्छा है कि अभी लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं और जल संसाधन मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। सन् 1930 में लोरमी के पास एक खुड़िया डेम का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। वह डेम बीच में क्षतिग्रस्त भी हुआ। पं. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी, सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने उसमें कुछ मरम्मत कार्य करवाया था। इस वक्त बारिश में किसी भी वक्त डेम में खतरा पैदा हो रहा था। लेकिन जब वह डेम फूटेगा तो उसके नीचे रहने वाले 25-30 गांव के लोग सरकार की मदद से वंचित हो जायेंगे, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए कोई एप्रोच रोड नहीं है। एक मात्र रोड है, मैंने पिछली बार भी बजट में आग्रह किया था, मैंने उसके पहले भी आग्रह किया था, अभी फिर आग्रह करूंगा । मैं

यह कहना चाहता हूं कि अगर वह पुल नहीं बना और दुर्भाग्य से वह बांध फूटा तो न पुलिस वाला पहुंच पायेगा, न एन.डी.आर.एफ. के लोग पहुंच पायेंगे, न एस.डी.आर.एफ. के लोग पहुंच पायेंगे, न कोटवार पहुंच पायेगा, न प्रशासन पहुंच पायेगा, न नेता पहुंच पायेंगे। वहां पर सिर्फ तैरती हुई लाशें मिलेंगी। मैंने इस पर लगाया भी है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर कारीडोंगरी के पास मनिहारी नदी पर एक उच्चस्तरीय पुल बनाईये। मुश्किल से 5-6 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा। नहीं तो खुडिया डेम के फूटने पर वहां लोगों की लाशें तैरेंगी और वहां पर आपकी मदद भी नहीं पहुंच पायेगी। इसलिए इस जनहित पर विचार करें, यही मेरा आग्रह है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति का टापू कहलाता था, छत्तीसगढ़ में अपराध का दूर-दूर से कोई नाता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चाहे वह रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, जशपुर हो, सरगुजा हो, बस्तर हो, एक तरफ नक्सलवाद है और दूसरी तरफ यहां नये किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं। नित नये किस्म के अपराध घटित हो रही हैं। यह पूर छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, प्रदेश की सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल इस पर एक्शन लें, इस पर तत्काल कदम उठायें कि कैसे इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इस पर स्थगन दिया है, कृपया इस पर चर्चा करवाये, यही हमारा निवेदन है।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में चोरी, डकैती, उठाईगिरी की वारदात नित-प्रतिदिन हो रही है। मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का ही उदाहरण दे रहा हूं। 17 तारीख की रात को अकलतरा नगर के बीचोबीच चोर जैन मन्दिर से 13 किलो के छत्र मंदिर से चोरी करके ले गये। वहां पर जो दानपेटी थी, उसका पैसा भी ले गये । वीडियो फुटेज में वह अपराध दिख रहा है। जैन समाज की जो मूर्तियां थीं वह ले जाई गईं। आज पूरा अकलतरा बंद है। पूरा अकलतरा आक्रोशित है, पूरा जैन समाज आक्रोशित है कि वह चोरी नहीं पकड़ी गई। शहर के बीचों बीच जो कैमरे लगे थे वह बंद हैं। इसके साथ ही साथ एक दुर्भाग्य की बात है कि जो मोटरसाईकिल की चोरी हो रही है पूरे जांजगीर-चांपा जिले में 45 चोरी हुई है। ट्यूबवेल में जो पंप लगते हैं उसका एक गिरोह काम कर रहा है और वह गिरोह पंप को उठाकर ले जाता है और जब एफ.आई.आर. करने जाते हैं तो थाने से यह कहा जाता है कि हमारे रोजनामचे का 21 दिसंबर हो जाने दो उसके बाद हम थाने में एफ.आई.आर. करेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है कि ऐसा चल रहा है। हमने स्थगन दिया है, सारे कार्य को बंद कर इस पर चर्चा करायें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति कचंदा में विगत दो साल से धान खरीदी केंद्र बंद था। इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी के निर्देश पर वहां 17-12-2020 को खरीदी करने का आदेश हुआ है। लेकिन

आज भी वहां खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है और लगभग एक महीना समाप्त होने जा रहा है और उस समिति के किसान अभी एक भी दाना धान नहीं बेचे हैं। खाद्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां तत्काल खरीदी प्रारंभ करवायें। फड़ तैयार है, बारदाना नहीं पहुंचा है और अभी तक जिले के कलेक्टर वहां खरीदी प्रभारी नियुक्त नहीं किए हैं जिसके कारण किसान अपना धान बेचने से वंचित हो जायेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वहां तत्काल खरीदी प्रारंभ करवायें।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान बिलासपुर वन परिक्षेत्र के घटना के बारे में आकर्षित करना चाहूंगी। वहां पर एक आदमखोर, खूंखार भालू ने दो महिलाओं पुनिया बाई, लक्ष्मणिया बाई पर हमला किया जिसमें से लक्ष्मणिया बाई की मृत्यु हो गई और पुनिया बाई का इलाज चल रहा है। सी.सी.एफ. बिलासपुर के द्वारा उनके मार्गदर्शन में उस खूंखार भालू को ट्रंक्वीलाईजर लगाया गया और उसे मेरे वन क्षेत्र खोंगसरा और भनवारटंक स्टेशन में जहां बैगा ग्राम पंचायत है वहां उसे छोंड़ दिया गया और अगले दिन उसने वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का जो बैगा ही होगा का पूरा मुंह नोच लिया और वह भी बहुत गंभीर हालत में है और उसका इलाज चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि वन मंत्री जी बैठे हैं, जब सी.सी.एफ. के मार्गदर्शन में ट्रंक्वीलाईजर लगाते हैं तो कुछ दिन उसको पुनर्वास केंद्र जो कि पहले पेंड्रा में स्थापित था वहां पर रखें। यह मेरे क्षेत्र में भालू के आतंक की पहली घटना है। तो मैं निवेदन करूंगी कि पेंड्रा में उसे पुर्नस्थापित किया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय सभापति जी, पिछले 85 दिनों से भिलाई में पूरे जो ठेकेदार हैं वह हड़ताल पर हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। 2018, 2019, 2020 इन तीन सालों का पेमेंट पूरे ठेकेदारों को नहीं हो रहा है और पूरे ठेकेदार हड़ताल पर हैं। वहां पर बोर्ड लग रहे है, होर्डिंग्स लग रहे हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वह लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। वह लोग वहां के विधायक से मिले हैं, संबंधित मंत्री से मिले हैं पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और पूरे भिलाई में विकास के कार्य ठप्प हैं। ठेकेदारों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया और पिछले 85 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप इसके ऊपर चर्चा करायें।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, एक तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मैं बिलासपुर की बात करूंगा, बिलासपुर नगर निगम में बिना सूचना के चाहे चांटापारा हो, चाहे गोंड़पारा हो, बरसात का दिन हो या ठंड का दिन हो वहां मकान तोड़े जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि शहर के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दो हाईस्कूल मोपका और बिजौर जहां पर भूमाफियाओं द्वारा अचानक अभी दो-तीन महीना पहले बीचों-

बीच रोड निकाल दिया गया है और वहां के पूरे बच्चे, स्टाफ सब उससे बहुत नाराज हैं। सब यहां आना चाह रहे थे। तो मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि दोनों हाईस्कूल बिजौर और मोपका जो कि शहर के बीचों बीच है में जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है उनको हटाने की कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

सभापति महोदय :- आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने कानून-व्यवस्था को लेकर ..।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठप्प हो गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं जिस प्रकार से अगवा करके ले जा रहे हैं फिरौती की मांग की जा रही है। अभी आप देखे होंगे कि रायपुर के घटना की जो जानकारी आई है। साजा की घटना की उनके घर में जाकर, केवल पैसे की मांग करने के लिए महिला की हत्या कर दी जाती है। आपके कवर्धा में बालिका के साथ अनाचार किया जाता है और उस पर एस.पी. का ये बयान आता है कि अनाचार नहीं हुआ है। ये पुलिस की भूमिका है। कोण्डागांव की घटना है। कोण्डगांव में केशकाल की जो घटना है जहां पर उनके साथ में रेप किया जाता है और रेप करने के बाद में उनके पिता आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं, उनको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है, आत्महत्या करने का प्रयास होता है पुलिस के द्वारा मामला रफा-दफा किया जाता है और अपराधियों के साथ सौदा किया जाता है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि 1 जनवरी, 2019 से लगभग यहां पर 4 हजार 98 अपहरण की घटनाएं हुई हैं इसी प्रकार से 1 जनवरी 2019 से 4 सितम्बर, 2020 तक 5 हजार 356 ये अनाचार की घटनाएं हुईं हैं। लूट, डकैती, अनाचार, अगवा और दिन दहाड़े जिस प्रकार से यहां पर भूमाफिया जो राज कायम करना चाहते हैं कि उनको जमीन कैसे मिले और न मिले तो पूरे के पूरे परिवार का मर्डर, हत्या की जाये। हमने स्थगन दिया है और इस स्थगन पर सारी कार्यवाही को रोककर अभी उसमें तत्काल चर्चा करवायी जाये। हम उसमें पूरी बात विस्तार पूर्वक रखेंगे।

सभापति महोदय :- आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय,नहीं-नहीं। यह महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण लूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण मामला है। कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी ठप्प हो गई है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। रोज हत्याएं हो रही हैं। रोज बलात्कार हो रहा है। रोज डकैती हो रही है रोज लूटमार की घटनाएं हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यदि ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हत्या डकैती, बलात्कार यही पढ़ने को मिलता है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय,मैं इस विधानसभा में सूचना दे रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक परिवार में 4-4 लोगों की हत्या हो जाए। उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं। एक परिवार के 4-4 लोगों की हत्या हो जाती है। मेरे द्वारा इस विधान सभा को सूचित किया जाता है।

सभापति महोदय :- व्यवस्था दे दी गई है। अग्राह्य कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, एक परिवार के 4-4 लोगों की हत्या हो जाती है। मेरे द्वारा इस विधान सभा को सूचित किया जाता है।

सभापति महोदय :- व्यवस्था दे दी गई है। कृपया सहयोग करें। सूचना अग्राह्य कर दी गई है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उस घटना को लेकर एक टिप्पणी नहीं करते। वह खुले आम घूम रहे हैं और पुलिस के पकड़ से बाहर है। पुलिस उनके सामने शरणागत हो गई है। ये प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है। इस पर चर्चा कराना आवश्यक है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, ये महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा करायें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरा प्रदेश असुरक्षित है। महिलाओं के साथ में अनाचार हो रहा है।

सभापति महोदय :- व्यवस्था आ गई है। कृपया सहयोग करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हत्याएं हो रही है। बलात्कार हो रहा है। लूट हो रही है उसके बाद भी चर्चा नहीं हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आज 23 दिसम्बर तक के समाचार पत्रों को उठाकर देख लीजिए। रोज घटनाएं हो रही है। एस.आई ने फांसी लगाकर आत्महत्या की।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय,एफ.आई.आर. नहीं हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, राजधानी में क्या हो रहा है ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) सुरक्षित नहीं है। (व्यवधान)

समय :

12:17 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) शासकीय नागार्जन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को उपस्थिति कम बताकर परीक्षा में बैठने हेतु अपात्र घोषित किया जाना।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विषय के प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को उपस्थिति कम बताकर MSC(आई.टी)प्रथम Semester परीक्षा 2019 तथा सेकण्ड Semester 2020 परीक्षा में बैठने हेतु अपात्र घोषित कर दिया गया है। उपस्थिति कम होने पर नियमानुसार इन छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों को सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही अन्य विकल्प भी होंगे, जिससे कि छात्र-छात्राओं को अध्ययन वर्ष बेकार न हो। परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र घोषित कर छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा को पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से छात्र-छात्राओं एवं पालकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। यह प्रदेश की स्थिति है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आप सदन की कार्यवाही रोकर तत्काल चर्चा करवायें।

सभापति महोदय :- मैं कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(12.19 से12.32 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:32 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, आप पहले इधर भी देख लीजिए।

सभापति महोदय :- पहले इधर ही देखा, फिर उधर देखा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, उनका कहना है कि दायें-बायें देख ही रहे हैं, सामने भी देख लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सामने वाले प्रताड़ित हैं। कोई मंत्री नहीं बना। अब हमारे संतराम नेताम जी इतने पुराने सदस्य हैं, उनको संसदीय सचिव नहीं बनाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सब मंत्री के दर्जा मे हैं, उस समय तो आपके यहां कुछ नहीं था, आप इन लोगों को कुछ नहीं देते थे। हम लोगों ने यहां केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण स्थगन दिया है, उसको अग्राह्य करने की बात हो गई। एक्चुअल में वह अग्राह्य नहीं होना चाहिए। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। लगातार घटनायें घट रहीं हैं। गृहमंत्री जी असहाय हैं। पुलिस प्रशासन असहाय है। उनके क्षेत्र में दिनदहाड़े हत्या हो रही है। रायपुर के जय स्तम्भ चौक में हत्या हो रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आप इसको किसी न किसी रूप में ले लें और उसके बाद में जो स्थगन प्रस्ताव लगाये हैं, उसमें सबको एक-एक प्रश्न पूछने का आप अधिकार दे दें।

सभापति महोदय :- ठीक है, इसको किसी न किसी रूप में अगले सप्ताह ले लेंगे।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विषय के प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को उपस्थिति कम बताकर M.Sc (IT) 1st Semester परीक्षा 2019 तथा 2nd Semester 2020 परीक्षा में बैठने हेतु अपात्र घोषित कर दिया है। तथ्य यह है कि महाविद्यालय की परीक्षाएं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नियम/उपनियम के अंतर्गत संचालित होती है, जिसके अध्यादेश क्रमांक 150 के अधीन 60 से 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य है। महाविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विषय का प्रथम सेमेस्टर 01.08.2019 को प्रारंभ हुआ। महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विषय के प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की 202 शैक्षणिक कक्षाएं आयोजित की गई । प्रथम सेमेस्टर में 30 विद्यार्थी थे । 17 विद्यार्थियों द्वारा नियमानुसार अध्ययन कक्षाएं अटेण्ड की गई और उनके द्वारा परीक्षा भी दी गई । 13 छात्र-छात्राओं द्वारा सेमेस्टर के प्रथम माह से ही कक्षाओं में उपस्थिति नहीं दी गई तथा पूरे सेमेस्टर के दौरान अधिकांशत: अनुपस्थित रहे । परिणामस्वरूप इनकी उपस्थिति निर्धारित 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत की तुलना में मात्र 2.48 से 20.30 के बीच ही उपस्थिति रही । कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चत करने के लिये 19.09.2019 एवं 11.10.2019 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सूचना पटल पर नोटिस चस्पा एवं 22.10.2019 को कक्षा के वाट्सअप समूह में भी नोटिस भेजा गया। सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी विद्यार्थियों द्वारा उपस्थिति में सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया, यहां तक कि उपरोक्त विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर पर आयोजित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हुए ।

कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक 14.11.2019 को प्रसारित अधिसूचना में परीक्षा में विद्यार्थियों के पात्रता के संबंध में उल्लेख है कि जिन परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रेषित किये जा रहे हैं उनकी कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है । 75 प्रतिशत से कम तथा 60 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र तभी अग्रेषित किये जायें जब उनकी उपस्थिति परीक्षा के पूर्व 75 प्रतिशत हो जावेगी । 60 प्रतिशत से कम उपस्थित वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र नियमानुसार अग्रेषित न किये जायें । इसी प्रकार जो परीक्षार्थी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में शामिल न हुये हों उनके परीक्षा आवेदन भी अग्रेषित न किये जावें ।

इस प्रकार विद्यार्थियों की कम उपस्थिति एवं विश्वविद्यालय से जारी स्पष्ट दिशा-निर्देश के अनुक्रम में उपरोक्त विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरने की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया । परिणामस्वरूप उपरोक्त विद्यार्थियों ने परीक्षा फार्म नहीं भरा और परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके । चूंकि उक्त विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में ही नहीं बैठे इसलिए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने और परीक्षा में बैठने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है अत: यह कथन सही नहीं है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया ।

छात्र-छात्राओं के अभ्यावेदन पर छात्र हित में आयुक्त कार्यालय द्वारा शिकायत की जांच करवाई गई । जांच में छात्रों की उपस्थिति में कमी पाई गई अत: मामले में कोई दोषी नहीं है । जिन छात्रों की उपस्थिति कम थी उन्हें नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपात्र किया गया अत: छात्र-छात्राओं एवं पालकों में रोष एवं आक्रोश की स्थिति नहीं है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, यह 13 छात्रों के भविष्य का सवाल है और मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आपने नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाने की बात कही, न उस नोटिस बोर्ड में दिनांक है और न ही क्रमांक है और उसके अलावा छात्रों के पालकों को या छात्रों को लिखित में भी कोई सूचना नहीं दी गई । वाट्सएप भेजा, वाट्सएप का मतलब क्या हुआ ? दिनांक 22.10.2019 को वाट्सएप भेजा है जबकि परीक्षा फार्म अग्रेषित नहीं किया गया तो वाट्सएप का भी कोई औचित्य नहीं रहा । डॉ. अरूण मिश्रा ने जांच की थी, उसमें 03 छात्र पात्र पाये गये लेकिन 13 छात्रों को परीक्षा में बैठाया गया । माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है । रिकॉर्ड में गड़बड़ी और अटेंडेंस रजिस्टर बदल दिया गया । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं । मेरे पास 09 पेज की शिकायत आयी है, यदि आप 1-1 बिंदुओं पर जांच करायेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस शिकायत को जो मैं आपको सौंपूंगा इसके प्रत्येक बिंदु पर आप जांच करायेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आयुक्त कार्यालय के द्वारा इस पर जांच हो चुकी है । इसमें उपस्थिति कम पायी गयी यह बताया गया है लेकिन माननीय सदस्य चूंकि सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं और उन्हें यदि कहीं पर भी शंका है तो वे जिस बिंदु पर चाहते हैं उस बिंदु पर हम जांच करवा लेंगे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पैसे लेकर एच.ओ.डी. ने जो कम उपस्थिति थी उसकी उपस्थिति बढ़ाकर बैठने की अनुमति दी । इन बच्चों के लिये चाहते तो 05 सब्जेक्ट में एक-एक दिन की कक्षा लेकर आंतरिक मूल्यांकन कराकर उपस्थिति पूरी की जा सकती थी लेकिन नहीं किया और सारे रिकॉर्ड को जो रजिस्टर था जिसमें कम नंबर के छात्र थे, उनकी अटेंडेंस पूरी करने के लिये रजिस्टर बदल दिया गया तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनर से उस रजिस्टर की सत्यता की जांच करायेंगे कि लिखावट एक दिन की है कि कई दिनों की है ?

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा जिन बिंदुओं पर माननीय सदस्य जांच चाहते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम जांच करा लेंगे । अगर इस तरह की कोई गडबड़ी हुई है, जांच रिपोर्ट में जैसा भी आएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं आपको धन्यवाद् देता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि यह 13 छात्रों के भविष्य का सवाल है । इसलिए उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हम उनकी अटेंडेंस को रिलेक्स कर सकते हैं । यह कोई कानून नहीं है, यह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के हाथ में है इसलिए उन 13 बच्चों का रि-सेमेस्टर एक्ज़ाम लेकर उनका भविष्य ठीक कर दें तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा । सभी यूनिवर्सिटीज़ में सभी कॉलेजेस में इस प्रकार के मामलों में, कोई एकाध मामला हो तो समझ में आता है लेकिन यहां 13-13 बच्चे हैं। उनका भविष्य खराब न हो इसलिए आप उनकी रि-क्लास लेकर, रि-एक्ज़ाम लेकर उनके सेमेस्टर में उनको पास करवा दें जिससे कि वे आगे की कक्षाओं में जा सकें ।

श्री उमेश पटेल :- प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें बच्चों की उपस्थिति काफी कम पाई गई है । इसलिए मैं सदन से यही कहना चाहूंगा कि पहले इस पर जांच हो जाए । जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले जो जांच हुई उसमें लम्बा समय लग गया । अब फिर जांच कराएंगे तो फिर लम्बा समय लगेगा । इसके बजाय उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर, उनको उपस्थिति देकर उनके सेमेस्टर के एक्ज़ाम लिए जा सकते हैं और ऐसा हो रहा है । अभी करोनाकाल में हम जनरल प्रमोशन दे रहे हैं या नहीं । इसलिए विशेष परिस्थिति मानकर, विशेष मामले मानकर 13 बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उनके सेमेस्टर का एक्ज़ाम लेकर उनको

अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं । मुझे लगता है कि अगर आप बातचीत करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा और 13 बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है ।

श्री उमेश पटेल :- मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रास्ता नहीं निकालेंगे । मैं यह कह रहा हूं कि जांच रिपोर्ट को एक बार देख लेते हैं । उसमें जिस तरीक के निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और आप और हम बैठकर, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य को खराब न होने दिया जाए लेकिन यह उदाहरण न बन जाए कि कम उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है, इसलिए इसका भी ध्यान हमें रखना है । पहले एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए, जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें समय सीमा तय कर दें कि 15 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाए । अगर आप इसकी समय सीमा तय कर दें और दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि भविष्य में इसको उदाहरण नहीं माना जाएगा । केवल इस घटना के लिए है । आप ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में इसका कोई दुरूपयोग नहीं कर पाए, इसका यह भी रास्ता है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं फिर से यह कह रहा हूं कि अगर आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वह हर जगह प्रयोग होगा । इसलिए मेरा यह मानना है और मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर कार्रवाई होगी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, पहले जो जांच हुई है उसमें टीचर्स और छात्रों का लिखित स्टेटमेंट था, उसको जांच में नहीं लगाया गया । प्राचार्य ने भी एच.ओ.डी. को बचाने के लिए तथ्यों को छिपाया है । जैसा कि आपने कहा है मैं दोनों कागज आपको दे दूंगा, आप जांच करवा लीजिएगा ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि आप जो बिंदु देंगे, उन बिंदुओं पर जांच करा लेंगे ।

(2) प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना व अभिरक्षा में मौतें होना.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक), डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश के थानों में लगातार पुलिस प्रताड़ना से त्रस्त लोग आत्महत्या कर रहे हैं । 29 नवम्बर, 2020 को रायपुर के पंडरी थाने में अश्वनी मानिकपुरी नामक युवक ने पुलिस प्रताड़ना से त्रस्त होकर शौचालय में जाकर बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । छत्तीसगढ़ में 2 वर्षों में पुलिस की प्रताड़ना व हिरासत में मृत्यु की घटनाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है तथा आम जनता पुलिस की प्रताड़ना से बेहद परेशान

है । विद्युत विभाग में कार्यरत सब इंजीनियर श्री पूनम कतलम की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई, उसके उपरांत भी दोषियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई । श्री कतलम के परिजनों के अनुसार दिनांक 24.11.2020 को लटोरी थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ के लिए सुबह 10 बजे ले जाया गया था व पुलिस प्रताड़ना से इनकी मृत्यु हो गई, जबकि पुलिस इसका कारण हृदय घात बता रही है । श्री पूनम कतलम की गिरफ्तारी के संबंध में घटना के दिन थाने से फोन आया कि उन्हें भर्ती किया गया है । श्री पूनम कतलम के विरूद्ध न तो कोई गिरफ्तारी दस्तावेज हैं और ना ही परिजनों को इनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई । श्री पूनम कतलम के मृत शरीर को देखने से स्पष्ट है कि जगह-जगह उनके शरीर पर बेल्ट के निशान हैं, आंख के पास चोट के निशान हैं । इस संबंध में परिजनों के द्वारा जो शिकायतें की गई हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रदेश के जेलों में भी प्रताड़ना के चलते पिछले तीन माह में दो दर्जन से अधिक कैदियों की मौत हो गई है । इससे आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय सभापति जी, ध्यानाकर्षण की जो सूचना है, उसमें मेरा वक्तव्य इस प्रकार है :-

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश के थानों में लगातार प्रताड़ना से त्रस्त लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

रायपुर के थाना पण्डरी में अमित गाईन की हत्या का अपराध कायम हुआ था, इसमें संदेह में मोहन सोनी, दिलीप बाघ, रितिक ध्रुव, अश्वनी उर्फ बादल एवं एक अपचारी बालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर दिनांक 28/10/2020 को वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान संदेही अश्वनी मानिकपुरी ने बाथरूम जाने की बात कही, जिस पर आरक्षक नंदकिशोर गुप्ता एवं आरक्षक मंजित केरकेट्टा उसे थाने के बाथरूम में ले गये। अश्वनी मानिकपुरी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने बेल्ट से फंदा बनाकर रोशनदान में फांसी पर लटक गया। घटना पर थाना पण्डरी में मर्ग क्रमांक 29/20 कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर द्वारा शव पंचनामा कार्यवाही की गई। इसके बाद शव परीक्षण डॉक्टरों की टीम से कराया गया। शव परीक्षण की विडियोग्राफी करायी गई। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु फांसी लगने से दम घुटने से होना लेख किया है। मृतक अश्वनी मानिकपुरी के साथ पुलिस द्वारा कोई मारपीट एवं अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

इसी प्रकार हरिशचंद रजवाड़े की हत्या के संदेह में पुलिस चौकी लटोरी के पुलिसकर्मी पावन स्टेशन, लटोरी जाकर संदेही सब इंजीनियर पूनक सिंह कतलम से पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के दोरान पूनम सिंह कतलम द्वारा स्वास्थ्य खराब होना कहने पर, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटोरी में

उपचार हेतु दिनांक 23/11/2020 के शाम 04:00 बजे भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान विभागीय अटेंडर समयलाल व लक्ष्मीप्रसाद ठाकुर उसके साथ थे। जहां उपचार के दौरान दूसरे दिन दिनांक 24/11/2020 को प्रात: 04:00 बजे हृदय गति अवरूद्ध होने से उसकी मृत्यु हो गयी। थाना जयनगर में मर्ग क्रमांक 74/20 कायम कर जांच में लिया गया।

तहसीलदार, लटोरी जिला सूरजपुर द्वारा शव पंचनामा कार्यवाही की गई। डॉक्टरों की टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर ने हृदय गति अवरूद्ध होने से नेचुरल डेथ होना लेख किया है। पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर आई चोट को सामान्य प्रकृति का एवं 40-48 घण्टे पूर्व का होना बताया गया। दिनांक 22/11/2020 को पूनम सिंह कतलम और उसके साथी विजय विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा एवं संजय दुबे पावर स्टेशन लटोरी में शराब पी रहे थे। उसी समय हरिशचंद रजवाड़े के वहां पहुंचने पर उनके बीच में मारपीट हुई थी। यह चोट इसी मारपीट से आना संभावित है। मृतक पूनम सिंह कतलम को पूछताछ हेतु न तो पुलिस चौकी लाया गया था और न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

यह भी कहना सही नहीं है कि विगत दो वर्षों में पुलिस हिरासत में मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्रदेश के जेलों में भी पिछले 03 माह में प्रताड़ना के कारण किसी भी कैदी की मौत नहीं हुई है। जन जीवन सामान्य है। शासन प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है।

सभापति महोदय :- श्री कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पंडरी थाना के अश्वनी के बारे बताया गया कि वह बाथरूम में गया और बाथरूम में जाने के बाद बेल्ट लगाकर वह फांसी में लटक गया। मतलब पुलिस वाले पहले से उस बेल्ट को लटकाने की भी जगह की तैयारी करके रखे थे, जिससे कि वह लटक कर मर जाये। ये जो बेल्ट लगाया गया, वह कौन सा बेल्ट है? क्या आप थोड़ा सा बता पायेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, पेंट में जो बेल्ट लगाते हैं, उसी बेल्ट को निकालकर करेगा । उसमें और कौन सा बेल्ट होगा ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों ने जो लिखा, वह मंत्री जी ने पढ़ दिया । वह बेल्ट में लटककर मर गया । आखिर वह ऐसा कौन सा बेल्ट था, जिसकी व्यवस्था वहां पर पहले से करके रखी गई थी । जेल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि खिड़की में जाकर बेल्ट से लटककर कोई मर जाए और वहां पर बेल्ट को कैसे फंसायेगा ? बेल्ट को फंसाने के लिए वहां पर पहले से कुछ लगा होगा या उसको हथौड़ी और छीनी दी गई या खींला दिया गया कि आप वहां जाकर उसको लगाओगे और बेल्ट को लगाकर उसमें लटक जाना । वह बेल्ट किसका था, कौन सा था ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि उसका खुद का पहना हुआ बेल्ट था, उसमें और कौन सा बेल्ट हो सकता है । सामान्य तौर पर फूलपेंट में पहनने वाला बेल्ट है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि किस चीज का बेल्ट था ? पहनने वाला बेल्ट है, वह तो मैं भी समझ गया। जैसे उसने लगाकर फांसी लगाया तो वह कौन सा बेल्ट था, जिसमें उसको फांसी लगाते हुए बन गया ? कपड़े का बेल्ट था, लेदर का बेल्ट था, चमड़े का बेल्ट था, वह कौन सा बेल्ट था ? पहले तो बेल्ट के बारे में आप बता दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, जेल की बात तो नहीं है, जो आपने जेल की बात कही है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, फांसी लगाकर किसमें मरा ? जब जेल की बात नहीं है तो वह फांसी किस चीज में लगाया ? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, उसको मैं बता रहा हूं। नेता जी, आपने अपने वक्तव्य में शुरू में जेल की बात कही । मैं आपको बता रहा हूं कि यह जेल की घटना नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह थाने के बैरक की घटना है । मतलब पुलिस कस्टडी की घटना है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, थाने के बाथरूम की घटना है, बैरक की घटना नहीं है । मैं पहले बता रहा हूं । वे बाथरूम गए, वहां पर उन्होंने फांसी लगायी । अंदर से बैठकर आप बैरक की बात कर रहे हैं । यह थाने के बाथरूम की घटना है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, पंकज बेग से लेकर इसी प्रकार की घटना लगातार घटी है । उसको मारा-पीटा गया, फिर उसके बाद में ले जाकर पुलिस वाले लटका दिए । पंकज बेग वाले केस में भी यही मामला आया था कि थाने के पीछे ले जाकर उसको लटका दिए । इसमें भी यही हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, बिजली आफिस में जो जे.ई. था-कतलम । वहां पर एक सब स्टेशन में बॉडी मिली और उसके बाद में 24 तारीख को पुलिस वालों ने कतलम को और बाकी लोगों को थाने में बुलाया और उनको बुलाकर थाने में पूछताछ की गई । पूछताछ करने के बाद में फिर सबेरे यह पता लगा कि हृदय गति रूक जाने से उसकी मृत्यु हो गई । जब थाने में बुलाया गया तो उसके खिलाफ में एफ.आई.आर. हुआ था और एफ.आई.आर. होने की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई, जो बालोद में रहते हैं या स्टाफ में किसी को उसकी सूचना दी गई कि हम इसको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ? इस

संदर्भ में यदि एफ.आई.आर. हुआ है तो एफ.आई.आर. कब हुआ है, किसने एफ.आई.आर. की है और उसके बाद उसको पूछताछ के लिए कब थाना ले गए ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूनम सिंह कतलम की घटना के विषय में जानना चाहा है । मैं बताना चाहता हूं कि उनको थाना नहीं ले गए थे । मेरे वक्तव्य में है, आप कहेंगे तो मैं विस्तार से बता देता हूं । वे हरिशचंद्र के मर्डर केस में संदेही थे । उनका बयान लेने के लिए, जांच करने के लिए, चर्चा के लिए जो लटोरी स्वास्थ्य केन्द्र है, लटोरी थाना है और बिजली विभाग का लटोरी सब स्टेशन है, वहां हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी गए थे, वहीं बयान ले रहे थे । चार-छः लोग और थे, वह अकेला नहीं था । वहीं पर कतलम ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो वहीं से सीधा अस्पताल ले गए । उसकी जो मौत है, वह अस्पताल में हुई है । उसको थाना ले ही नहीं गए हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उसके परिवार वाले गए थे, उसके पहले वहां के बाकी लोग गए हैं । सबको थाने में बुलाया गया, थाने में बुलाकर उनके द्वारा मारपीट की गई है । चोट का निशान है, मेरे पास उनके परिवार वाले आये थे, फोटोग्राफी दिये हैं। इसमें चोट का निशान पूरा दिया गया है। उनको कहां-कहां चोट लगी है। आपने सब लोगों के सामने कहा कि पूछताछ की गयी, ये जो चोट के निशान आये हैं, ये थाने के अंदर की है। आपने उनको थाने में रातभर बैठाया, उसके मरने के बाद में ले जा करके आप उसको अस्पताल में भर्ती किये हैं और अस्पताल में भर्ती करने के बाद में वहां पर मृत घोषित किया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके पूरे परिवार वाले बोल रहे हैं, जो वहां लटोरी के रहने वाले लोग हैं, वे सब इस बात के साक्षी हैं, वे लोग गवाह हैं। इस मामले का रफा दफा करने के लिये जिस प्रकार से मंत्री जी को जो बयान आ रहा है, ये उचित नहीं है। पुलिस प्रताड़ना में उनकी मौत हुई है, मारपीट के कारण मौत हुई है। आपने जो हृदय घटना की बात कही है, पुलिस पी.एम. रिपार्ट आया नहीं है, सूरजपुर एस.पी. का बयान पहले आ गया। एस.पी. का बयान आ गया कि उसके हृदय गति रूक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी, मतलब आपका एस.पी. इतना स्पेशलिस्ट है कि वे डॉक्टर से पहले बता दिये कि उनकी मृत्यु जो हुई है, वह हृदय गति रूक जाने से हुई है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम किया है, उसके लिये डॉक्टरों की टीम बनाई गयी थी। कौन-कौन डॉक्टर थे, आप उसका नाम बतायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति जी, शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर तिलकेश्वर सिंह एवं डॉक्टर पी.के.सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्रामपुर जिला- सूरजपुर के हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, परिवार वालों ने मांग की थी कि जिला से डॉक्टरों की कमेटी बने, उसके बाद जाकर उसका पोस्टमार्टम हो। लेकिन बिना कोई कमेटी बनाये, वहां के सामुदायिक भवन के एक डॉक्टर से आपने परीक्षण करा दिया। परिवार वालों के द्वारा जिले में डॉक्टर

की टीम गठन करने की मांग की गयी थी। उसके बाद वीडियोग्राफी की बात हुई थी कि उसकी वीडियोग्राफी कराई जाये। वीडियोग्राफी कराने के बाद में पंचनामा हो, पंचनामा के बाद में उसका पोस्टमार्टम हो। क्या जिले के डॉक्टरों की टीम बनाई गयी थी, नहीं बनाई तो क्यों ? क्या पंचनामा के पहले उसकी वीडियो रिकार्डिग की गयी है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति जी, वीडियोग्राफी भी कराई गयी है, सामान्य नियम होता है, वह सभी चीज कराई गयी है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से एक चीज कहना चाहूंगा । इसमें न हम किसी को बचाने की सोच रहे हैं और इसमें जब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच चल रही है तो इसमें किसी को बचाने का नहीं बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायिक जांच जज के द्वारा हो रही है। उसमें सारे बिन्दु हैं, हमारे पुलिस विभाग का बयान होगा, बिजली विभाग का बयान होगा, डॉक्टर का बयान होगा, परिवार का बयान होगा, सबका बयान होगा। जो निष्कर्ष आयेगा, मजिस्ट्रेट का जो आदेश होगा, हम उसमें कार्यवाही करेंगे। उसमें किसी को बक्शा नहीं जायेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक अंतिम प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, इसमें जांच निष्पक्ष हो। परिवार को न्याय मिले। एक तो उसकी न्यायिक जांच की मैं मांग करता है। दूसरी बात, पुलिस की प्रताड़ना में उनकी मृत्यु हुई है तो जिस पोस्ट में वे सर्विस में थे, उनकी अनुकंपा नियुक्ति, जो उनका qualification है, उसके आधार पर जिस पोस्ट में थे, उनके समकक्ष पोस्ट में उनकी नियुक्ति की जाये। तीसरा, जिस प्रकार से उनकी प्रताड़ना से मृत्यु हुई है, परिवार बालोद के रहने वाले हैं, परिवार बहुत गरीब है, उनको आर्थिक मदद कम से कम 25 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति की राशि शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जैसे ही जांच के निष्कर्ष आयेंगे और जो आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जायेगा, हम उसका अक्षरस: पालन करेंगे। रही सवाल, राशि की बात है, तो मृतक के परिजनों को राहत राशि प्रदान करने के लिये पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के पत्र क्रमांक 1712 को हम लोग विधि सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भिजवा चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मानिकपुरी के खिलाफ कोई अपराध दर्ज था ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- क्या नाम ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अश्वनी मानिकपुरी के खिलाफ कोई अपराध दर्ज था क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि अमित गाईन नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसमें संदेह के आधार पर मोहन सोनी, दिलीप बाघ, रितीक ध्रुव, अश्वनी उर्फ बादल और एक अपचारी बालक को पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया जा रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि जब इस प्रकार के संदेहियों को लॉक-अप में रखा जाता है, तो लॉक-अप में उनके बेल्ट निकलवा लिए जाते हैं, अंगूठी निकलवा ली जाती है, घड़ी निकलवा ली जाती है। आप जरा सा नियम पता कर लें कि कोई भी थाने में, जेल में सांकल नहीं होता है। होल-ड्राप नहीं होता है। यह जो मानिकपुरी है, इसकी हत्या हुई है। क्या कभी यह संभव है कि बेल्ट से कोई सुसाइड कर ले। आप जरा मुझे यह बता दे कि खिड़की की ऊंचाई कितनी है ? वह जिस बाथरूम में गया था, उसकी ऊंचाई कितनी है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी खुद इस विभाग को देख चुके हैं। मैं विन्रमतापूर्वक पहले भी वक्तव्य में कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं कि वह उस समय लॉक-अप के अंदर बंद नहीं था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह आप गलत बोल रहे हैं। उसको लॉक-अप में बंद किया गया था। मेरी जानकारी में है। आपको ये लोग गलत जानकारी बता रहे हैं। किसी हत्या के संदेहियों को लॉक-अप में नहीं रखा जायेगा। उनको बाहर बैठाकर रखते हैं। ये मजाक कर रहे हैं। उसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद उनको बचाने की कोशिश है। आपको भी अनुभव होगा और मुझे भी अनुभव है। हम लोग छोटे-छोटे आंदोलनों में गिरफ्तार होते थे तो हमे लाकअप में रखा जाता था। हमारा बेल्ट निकलवा लेते थे। हमारी अंगूठी, घड़ी निकलवा लेते थे। हत्या के संदेहियों को लॉक-अप में नहीं रखा जाये, तो ये गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह अकेला नहीं था। उसके साथ मोहन सोनी, दिलीप बाघ, रितीक ध्रुव, इस तरह 5 लोग थे। उन लोगों से पूछताछ चल रहा था। वह बाथरूम जाऊंगा कहकर बाथरूम गया था, मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने प्रश्न पूछा है कि उस खिड़की हाईट कितनी थी ? आप भी सामान्य ज्ञान रखते हैं, क्या कोई बेल्ट से फांसी लगा सकता है ? क्या यह संभव है ? दसूरी बात, जब उनको लॉक-अप में रखा जाता है, या किसी भी अपराधी को पकड़ा जाता है और जब वह बाथरूम जाता है तो यह प्रीकाशन लिया जाता है कि उसके पास ऐसा कोई साधन तो नहीं है, जिससे वह गड़बड़ कर सके। आप मुझे जरा यह बता दें कि जो लॉक-अप है और थानों में जो बाथरूम होता है, उस बाथरूम को कैसा होना चाहिए। अगर किसी अपराधी को बाथरूम ले जाना है तो कैसा बाथरूम होना चाहिए, उसके क्या स्पेसीफिकेशन्स है, यह बता दें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, लॉक-अप के अंदर के बाथरूम में सिटकनी नहीं होता, यह बात सही है। परन्तु थाने के जो जनरल बाथरूम है..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लॉक-अप में बाथरूम होता ही नहीं है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि लॉक-अप में बाथरूम होता ही नहीं है। आप जरा एक थाने में जाकर निरीक्षण कर लें और लॉक-अप देख लें।

श्री अमरजीत भगत :- ये सब थाने तो आपके ही समय के बनाए हुए हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जाकर निरीक्षण कर लें। मंत्री जी, आपको जो जानकारियां दी जा रही हैं, गलत जानकारियां दी जा रही हैं। नौजवान मानिकपुरी कितने साल का था ? अगर किसी नौजवान की इस प्रकार से हत्या हो जाये तो परिवार के सामने क्या गुजरेगी ? इसलिए उनके परिवारों को आर्थिक सहातय नहीं दी गई और पूरी गलत जानकारी दी जा रही है। क्योंकि बेल्ट से कोई सुसाइड कर ही नहीं सकता है। बेल्ट से फांसी पर कैसे लटकेगा ? आप मुझे बता दीजिये कि उस खिड़की की हाईट कितनी है ? मैं आपसे जितनी जानकारी पूछ रहा हूं, मैं वहां थान के बारे में, वहां पर कैसा बाथरूम है, कितनी ऊंची खिड़की है, क्या-क्या हुआ, मैं पूरी जानकारी लेकर प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, संदेहियों को लॉक-अप में नहीं रखा जाता है, गिरफ्तार व्यक्ति को लॉक-अप में रखा जाता है, यह बात भी सही है, मैंने पहले ही बताया। मैं एक दूसरी बड़ी बात बता रहा हूं कि इसका (अश्वनी) जीजा जीवन यादव, उस समय थाने में था। वह उसकी मौजूदगी में बाथरूम में गया है। जिस समय दरवाजा तोड़कर उसको निकाला गया है, तब भी उसका जीजा सामने में था। तो मारपीट वाली बात कहां से आई ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपका जो प्रश्न है बाथरूम की हाईट कितनी थी यह बता दीजिए?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, वह हाईट को नापकर मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। अब खिड़की, दरवाजे की हाईट को तो नापकर रखते नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मैं आपकी जानकारी में कि किस-किस प्रकार से आपको गलत जानकारी दी जा रही है और कभी भी संदेहियों के साथ उनके परिवार के लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है। मानसिक रूप से उनसे पूछताछ करने के लिए उनको अलग से आईसोलेशन में रखा जाता है जिससे कि उनसे ठीक से पूछताछ हो सके। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खिड़की की हाईट कितनी थी, क्या बेल्ट से कोई सुसाईट कर सकता है, क्या ये संभव है? और अगर संभव नहीं है तो उसने कैसे सुसाईट किया? क्या यदि अपराधियों, संदेहियों को बाथरूम ले जाया जाता है तो उस बाथरूम में क्या सिटकनी होनी चाहिए, क्या उसमें होलड्राप होना चाहिए? क्या वह बंद होना चाहिए? वहां पर जो खिड़की होती है उसकी हाईट कितनी होनी चाहिए? इन सब चीजों के लिए स्पेशिफिकेसन्स हैं। जेल के लिए भी हैं और लॉकअप के लिए भी हैं। अब आपको गलत जानकारी दे दी कि उस लॉकअप में बाथरूम नहीं था। लॉकअप में बाथरूम होता ही नहीं है। ये गलत जानकारी जो दी जा रही है और दूसरा आपने कहा है कि दोनों घटनाओं की न्यायिक मजिस्ट्रेट से

जांच करवाई जा रही है। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या हैं, किस स्तर के हैं, कौन हैं और किसको नियुक्त किया गया है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, जितने भी बिन्दु उठा रहे हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है उसमें सब सामने आ जायेगा कि किसकी क्या गलती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, न्यायिक जांच कौन मजिस्ट्रेट कर रहा है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, बता रहा हूं, आप पूरा सुनिये तो। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो जांच चल रही है, जब एस.पी. के द्वारा दिया जाता है तो जो डी.जे. होते हैं वह जज नियुक्त करते हैं और उन्होंने जो जज नियुक्त किया है उनके द्वारा जांच हो रही है। मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूं। पहले में न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा पवन कुमार अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। दूसरे प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर द्वारा न्यायिक मजिस्टेट की नियुक्ति की गयी है। तो दोनों जगह हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इनकी जांच को कितने दिन हो गये और इनकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी? कोई समय सीमा तय हुई है क्या और न्यायिक जांच के बिन्दु क्या-क्या हैं? जरा ये बता दें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि न्यायिक जांच के जो बिन्दु होते हैं उसको डी.जे. तय करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्या-क्या बिन्दु हैं? आज मानिकपुरी की मृत्यु हुए कितने दिन हो गये, आज कतलम की मृत्यु हुए कितने दिन हो गये?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, जब डी.जे. तय करते हैं, वह जज हैं तो मैं थोड़ी बताउँगा, यह उनके पास है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप बतायेंगे ना, वह आपको बिंदु बतायेंगे। आपके पुलिस के पास जानकारी आयेगी कि इन-इन बिन्दुओं के आधार पर न्यायिक जांच की जा रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह न्यायालयीन प्रक्रिया है, सब कुछ को आपको यहां पर सदन में थोड़ी बताया जायेगा।

सभापति महोदय :- डहरिया जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, वह सक्षम हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सारे प्रश्न तो आ गये एक घंटा से एक ही ध्यानाकर्षण चल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटा नहीं चार घंटा चलेगा। दो नौजवान मरे हैं, उन नौजवानों का परिवार परेशान है। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, चार घंटे चले लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है।

सभापति महोदय :- माननीय डहरिया जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, वह सक्षम हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो न्यायिक जांच के बिन्दु हैं वह सरकार तय करती है। आप लोगों ने बड़ी-बड़ी न्यायिक जांच देखी है। शासन तय करता है कि न्यायिक जांच के बिंदु क्या-क्या होंगे और इसलिए जज इस बात को तय नहीं करता। मैंने बहुत सारे बिंदु उठाये हैं, इन बिन्दुओं को क्या आप न्यायिक जांच में जोड़ेंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत नौजवान लोग जो निर्दोष हैं क्योंकि इसमें दोनों लोग जिनकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है, दोनों के ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं था और दोनों की मृत्यु हो गई। मंत्री जी नहीं मान रहे हैं कि पुलिस की मारपीट से मृत्यु हुई है फिर भी ऐसे लोगों जैसे एक घटना में वह इंजीनियर थे तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए, दूसरे जो मानिकपुरी हैं ये भी गरीब परिवार के हैं इनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए और जो बिंदु मैंने उठाये हैं कि खिड़की कितनी ऊपर थी, क्या बेल्ट से सुसाईट हो सकता है, तो इसके लिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों जरा आप देख लें कि थानों में लॉकअप कैसे होना चाहिए, थानों में कैसे बाथरूम होना चाहिए, थानों में विन्डो कितना ऊपर होना चाहिए, भविष्य में कोई सुसाईट नहीं कर पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इससे उसको बचाने के लिए व्यवस्था हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसका एक्सपर्ट बृजमोहन अग्रवाल जी को बना दीजिए, वह उसमें सलाह देंगे।

सभापति महोदय :- सारे विषय आ चुके हैं। अजय जी प्रश्न करें।

नगरीय प्रशासन मंत्री(डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- एक्सपर्ट, आप बृजमोहन जी को बना दीजिए, वह उसमें सलाह देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय,भविष्य में कोई सोसाईट न करे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इससे बचाने के लिए सामान्यत: आदमी सोसाईट प्रताड़ना के बाद ही करता है और इसकी प्रताड़ना के कारण मानिकपुरी ने सोसाईट किया है और कत्लम की डेथ मारपीट के कारण हुई है और इसलिए आप इन दोनों मामलों को गंभीरता से लेकर, और भी मामले हैं हमने कहा है। जरा पिछले 2 सालों में कितने लोगों की लॉपअप डेथ हुई है यह बता दें?

सभापति महोदय :- अजय जी, अब आप प्रश्न कर लें। आप ये उपलब्ध करवा देंगे कि 2 सालों में कितने लॉकअप डेथ हुई, बता देंगे। अजय जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, दो सालों में लॉकअप के अंतर्गत इसमें जो आपका वक्तव्य था और मैंने वक्तव्य में कह दिया है कि दो वर्षों में पुलिस हिरासत मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह आश्चर्यजनक नहीं है पर ये जो जानकारी चाह रहे हैं वह मैं बता देता हूँ। पुलिस

अभिरक्षा में वर्ष 2016 में 04, वर्ष 2017 में 03, वर्ष 2018 में 01 और 2019 में 05 और वर्ष 2020 में 03 है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय गृहमंत्री जी, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है। दो सालों में कस्टोडियल डेथ हुई है आपने हर बार उत्तर में कहा है कि इसकी जांच करवा दी जा रही है मजेस्ट्रियल जांच या दण्डाधिकारी जांच या जो भी करवाई हों तो उन जांच के निष्कर्ष क्या आये हैं ? अभी तक जो जांच हुई है और उसके आधार पर कोई कस्टोडियल डेथ न हो, पूछताछ की कोई प्रक्रिया तय की होगी जिसके कारण ये घटना न घटे तो ऐसा कोई निर्देश आपने जारी किया है ? तो वह बताने का कष्ट करें और इन दोनों प्रकरणों में क्या उन निर्देशों का पालन किया गया है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने प्रश्न किया कि पहले जो मौतें हुई, आप लोगों ने कुछ निर्देश दिया कि इस प्रकार की घटना न हो तो हम लोग समय-समय पर मिटिंग लेते जाते हैं, बैठके करते जातें हैं सभी एस.पी. को निर्देशित किया गया है। इस प्रकार की घटना न हो उसके लिए हमारा सिपाही जो ले जाता है, वह सामने रहे। निगरानी करे, ले जाये। बाथरूम में जाते हैं तो सामने देखें, ऐसे सभी निर्देश दिये जाते हैं। इसमें उसने पालन नहीं किया इसलिए उनको अभी तत्काल अटेच कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जा रही है जिसको दोषी पाया जाएगा, उसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सभापति महोदय :- चलिये अंतिम प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने पूछा था कि निर्देश जारी किये गये हैं तो उसकी कॉपी दे दीजिए। दूसरी बात दोनों घटनाओं में यदि निर्देश का पालन नहीं किया गया। कोई लेख पाया गया हो तो आपने अभी तक कौन स्तर के, किसके-किसके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही हुई है या दण्डाधिकारी जांच का इंतजार कर रहे हैं ? कि प्रथम दृष्टया दोनों प्रकरणों में किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है यदि हुई है तो क्या हुई है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय,मैंने पहले ही बता दिया था, जब मिटिंग लेते हैं तो मौखिक बोल रहे हैं कि ऐसा-ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें लिखित आदेश की बात नहीं। नंबर दो जो संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए कार्यवाही। तो मैंने कहा कि दोनों प्रकरणों में उस समय जो पुलिस के अधिकारी वहां थे उनको हटाकर, मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। फिर उसके बाद जैसे प्रमाणित होगा जैसे मैं और बता दूं कि बहुत पुराने प्रकरणों में जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उठाते थे, उसमें एक प्रकरण में पुलिस दोषी पाया गया, कार्यवाही की गई। एक प्रकरण में नहीं पाया गया तो कार्यवाही नहीं की गई। इसमें जज के द्वारा जब उनको दोषी पाया जाएगा तो वह जो आदेश करेंगे, वैसी कार्यवाही होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपके जो मौखिक निर्देश हैं कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए जो आपने कहा कि समय समय पर देते हैं कि न्यायायिक मजिस्ट्रेट के बिन्दु में इसको शामिल करेंगे ? कि इस तरह की घटना न हो। उसको रोकने के लिए क्या-क्या दिशानिर्देश दिये जायें, आप उसमें शामिल करेंगे क्या ? मौखिक की जगह में, मौखिक में जिम्मेदारी तय नहीं होती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम न्यायायिक निर्देश में यह दे देंगे। तो निश्चित रूप से हमारे पास में सुझाव आ जाएंगे कि भविष्य में लॉकअप डेथ, कस्टोडियल डेथ न हो उसके लिए क्या-क्या सुधार करना चाहिए। दूसरा हम चाहते हैं कि यह घटनाएं 6 महीने से ज्यादा हो रही हैं उसके बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है आप एक समय सीमा तय करके 3 महीने के अंदर में न्यायायिक जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। आप कार्यवाही कर देंगे, हम आपसे इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि आप 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट बुलवा ले और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। वह बोल रहे रहे हैं जवाब आने दीजिए। मंत्री जी का जवाब आ रहा है। आप खड़े हो गये हैं आप जवाब दे दीजिए।

सभापति महोदय :- हो गया। आप जवाब देंगे। आप शार्ट में जवाब दे दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिये हैं, बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया हूं और बिल्कुल सटिक उत्तर दिया हूं। जज के विषय में उनको निर्देशित करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। जैसे वह आदेश करेंगे, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। उस समय एक्सटेन्शन होता है। आप 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं। फिर आपको जज लिखकर भेजेगा कि समय बढ़ाया जाये।

समय :
1:15 बजे

<u>नियम 267- "क" के अंतर्गत विषय</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

01. श्री अजय चन्द्राकर
02. श्री नारायण चंदेल
03. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
04. श्री गुलाब कमरो
05. श्री सौरभ सिंह

समय :

1:16 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 13, कुनकुरी के सदस्य श्री यू.डी.मिंज

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 13, कुनकुरी के सदस्य श्री यू.डी.मिंज द्वारा दिसम्बर, 2020 सत्र में दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मुझे सूचित करना है कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं। जिसके कारण मैं वर्तमान में होम आइसोलेशन में होने के कारण 21 दिसम्बर से प्रारंभ होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकूंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-13 के सदस्य, श्री यू.डी. मिंज को दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

समय :

1:17 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

लोकलेखा समिति का इकतीसवां से छत्तीसवां प्रतिवेदन

सभापति महोदय (श्री अजय चन्द्राकर) :- सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति का इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय :- कल माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा यूनाइटेड किंगडम में कोरोना कीटाणु के नये स्वरूप के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था, उस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

समय :

1:17 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोह सिंह मंडावी पीठासीन हुए।)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वक्तव्य

कोरोना वायरस के नए स्वरूप (mutant) के संबंध में।

लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में कोरोना विषाणु के नए स्वरूप VUI- Variant Under Investigation (Mutant) की पहचान की गयी है। ये नए प्रकार का वायरस 70 प्रतिशत तक अधिक संक्रामक है, परंतु इसके ज्यादा गंभीर बीमारी उत्पन्न करने के प्रमाण नहीं मिले हैं।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के नए स्वरूप के संक्रमण से बचाव एवं निगरानी हेतु दिशा निर्देश (SOP) जारी किये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2020 को इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश (SOP) को स्वास्थ्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में हिन्दी में भी जारी किया जा रहा है। साथ ही राज्य में जिले व मैदानी अमले के साथ विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नए वायरस से बचाव एवं निगरानी के संबंध में उनमुखीकरण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 25 नवम्बर 2020 से 23 दिसंबर 2020 तक यूनाइटेड किंगडम देश की यात्रा कर छत्तीसगढ़ आने वाले सभी व्यक्तियों से स्वयं को आइसोलेट करने एवं तत्काल शासन को सूचित करने की अपील की गयी है। साथ ही भारत सरकार के निर्देशानुसार ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन द्वारा उक्त अवधि में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर आये व्यक्तियों की सूची राज्यों से साझा की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निवासी व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन को ये अवगत कराया है और निश्चित रूप से समाचार पत्रों में, टी.व्ही. चैनलों में जो जानकारी आ रही है, उससे आम लोगों में एक दहशत का वातावरण है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि जो भी विदेश से आये, इस कोरोनाकाल में बहुत से लोगों ने छुपाने का प्रयास किया। यह जो छुपाने का प्रयास किया, न वह अधिकारी के संपर्क में आये और न वह किसी को जानकारी दिये। उसके कारण से छत्तीसगढ़ में संक्रमण का विस्तार भी हुआ। जब पड़ोंसियों को पता लगा तो पडोंसियों ने इसकी जानकारी दी और जानकारी दिये जाने के बाद में उनको आइसोलेट किया गया या 14 दिन तक रखा गया । आज भी उससे उबरे नहीं हैं । सरकार द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है लेकिन उसके बाद भी मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सबका भी दायित्व है और अपने क्षेत्रों में जो खासतौर से नीचे के अधिकारी हैं, कलेक्टर के द्वारा जो नीचे के अधिकारी हैं जैसे नगरपालिका है, आयुक्त है, बाकी लोग हैं । बाहर से

आने वालों की गांव से ज्यादा शहरों की जो स्थिति है, गांव में तो एक-बार में पता लग जाता है लेकिन शहरों में जल्दी से पता नहीं लगता है और पता नहीं लगने के कारण यह दिक्कतें आती हैं तो मुझे लगता है कि इसको समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसमें यह भी सूचना दी जानी चाहिए कि आप लोगों को यदि कोई जानकारी हो तो उसके लिए हम यह टोल फ्री नंबर दे रहे हैं या यह नंबर दे रहे हैं वहां पर आप फोन करके उसको इंटीमेट कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं । मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिससे ऐसी कोई स्थिति आये तो लोग प्रॉपर जानकारी दे सकें और प्रदेश का इससे बचाव किया जा सके ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस बात का आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार की भविष्य से कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये, रोकथाम के लिये क्या कार्ययोजना है ? चूंकि अभी जो वायरस लोड आ रहा है वह बहुत ज्यादा वायरस लोड है और लोग सीधा वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और लोगों की डेथ हो रही है, यह लेटेस्ट मामले आ रहे हैं तो भविष्य के लिये सरकार की क्या कार्ययोजना है ? जैसा मैंने 31 दिसंबर के बारे में बोला था, नये वर्ष के बारे में आपसे बोला था तो उसके बारे में आपकी क्या कार्ययोजना है ? यह भी हम चाहते हैं कि पूरे सदन के सामने आये तो जनता के बीच में जाकर हमारे सदस्य बता पायें कि भविष्य में कोरोना को रोकने के लिये सरकार की यह-यह कार्ययोजना है ।

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सदन सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

उपाध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो माननीय मंत्री जी भविष्य की कार्ययोजना के बारे में कुछ बता दें ।

श्री रामकुमार यादव :- थारी अऊ लौटा ला पीटे ला बंद होए रहिस हे काए, उहू ला बता देहा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- या तो आप अलग से, आप इसका वक्तव्य बाद में दे दें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये अग्रवाल जी बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव :- हमन के कई ठिक थारी फूट गे ।

समय :

1:22 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक-साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक-साथ चर्चा होती है अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक-साथ प्रस्तुत कर दें । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि -

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 64, 67, 68, 79, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री अजय चंद्राकर ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग और अनुदान दोनों पर एक-साथ...।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर निर्देश जारी कर दीजिये । ओपनिंग बेट्समेन को सुनील गावस्कर टाईप ही खेलना है, बहुत आराम से भाषण देना । एकदम से पहली लाईन में ही विरेंद्र सहवाग मत बन जाना। मैं तो आदरणीय स्थानीय शासन मंत्री, स्थानीय खाद्य शासन मंत्री और स्थानीय बृहस्पत सिंह जी इनको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करूंगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री बृहस्पत सिंह जी को ज्यादा कर लीजिए क्योंकि आपको उधर से कम खतरा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग और इन दोनों पर एक-साथ चर्चा होगी, इस बात का उल्लेख पिछले दो बार से नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक-साथ चर्चा होती है तो माननीय उपाध्यक्ष जी इसका उल्लेख कर दें कि मांगें और विनियोग दोनों पर एक-साथ चर्चा होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- यह बात सही है कि विनियोग पर अलग से चर्चा मुख्य बजट पर ही होती है । बाकी समय दोनों समय साथ-साथ चर्चा होती है, नहीं तो केवल बजट भर में चर्चा करनी है तो विनियोग अलग से प्रस्तुत होगा, यह व्यवस्था आनी चाहिए । श्री बृजमोहन जी की आपत्ति सही है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- हम लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक से बोलना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी बोलिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बिना ईशारे के अपने विवेक से बोल सकते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पूर्व के वर्षों में भी सामान्यत: विनियोग और अनुपूरक अनुमान पर एक साथ चर्चा होती है और आसंदी की तरफ से यह कहा जाता है कि अब दोनों पर एक साथ चर्चा होगी । यह एक प्रक्रिया है कि विनियोग अलग से प्रस्तुत होता है और बाद में वह पारित होता है परंतु दोनों पर एक साथ चर्चा होती है । यह एक परम्परा रही है तो हम चाहेंगे कि आप इसका उल्लेख कर दें तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- या फिर यह व्यवस्था दे दीजिए कि विनियोग पर अलग से चर्चा होगी तो विनियोग में बाद में बात करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों की मांग के हिसाब से अनुदान मांगों और विनियोग पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुख कहूं, हर्ष कहूं, विषाद कहूं, क्या कहूं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा, यह बजट से दिखता है ? 2386 करोड़ रूपए का बजट आया, बजट में 2253 करोड़, 57 लाख 35 हजार रूपया रेवेन्यू एक्सपेंडेचर है । संसदीय कार्यमंत्री जी अब आप अपनी पीठ जितना भी थपथपा लें, ऐसा बजट । आगे की लाईन सुन लीजिए, पूंजीगत व्यय में आपने रखा है 133 करोड़ रूपए । जो प्रस्तुत कुल बजट का 5.57 प्रतिशत होता है । उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में 207 करोड़ रूपए ब्याज भुगतान के लिए रखे हैं । ब्याज भुगतान के लिए रखी गई राशि, पूंजीगत व्यय से ज्यादा है और ब्याज भुगतान लगभग दुगुना है । क्या होगा इस प्रदेश का ? कहां ले जा रहे हैं आप इस प्रदेश को, कहां ले जाना चाहते हैं ? कल-परसों में एक विधेयक आएगा कि ऋण सीमा बढ़ानी है । यानी कर्ज अभी और लेना है । यहां माननीय रेणु जोगी जी के प्रश्न के उत्तर में है कि प्रतिवर्ष हम ब्याज 5300 करोड़ रूपए का ब्याज पटाएंगे। तीन-चार प्रमुख रूप से ऋण लेने वाले राज्यों में, पिछले साल के मुकाबले इस साल छत्तीसगढ़ चौथे नम्बर पर है, यह राष्ट्रीय आंकड़े बोलते हैं । जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न उदाघाटन समारोहों या अन्य जगहों पर बात करते हैं तो एक बात कहते हैं कि मुझे 41 हजार करोड़ का कर्जा मिला । चाहे जोगी जी के कार्यकाल की बात कर लें या रमन सिंह जी के कार्यकाल की बात कर लें 18 सालों में कर्जा था 41 हजार करोड़ रूपए । केवल दो सालों में ही यह कर्ज 30228 करोड़ रूपए अतिरिक्त । 30228 करोड़ रूपए के 90 प्रतिशत कर्ज, यह सरकार राजस्व व्यय के लिए ले रही है। अब इस बजट में विधायकों को टोपी पहनाने के लिए एक पूंजीगत व्यय रखा गया है । मैं विधायकों के लिए इस बात को बोल रहा हूं,सत्तारूढ़ दल के लोग अभी बोलेंगे। मैं एक बात कहा करता था कि पूंछ दिखाकर घोड़ा बेच रहे हैं । जब बजट पर बात करता हूं तो हमेशा एक बात कहता हूं । शासन द्वारा प्रत्याभूति राशि 5225 करोड़

के विरूद्ध सड़क विकास निगम द्वारा लिए गए ऋण से पोषित । 753 सड़कों के लिए 100 रूपए का प्रावधान है । माननीय चौबे जी 753 सड़कों के लिए 100 रूपए के प्रावधान से सड़कें बनेंगी । आप ऋण लेने जा रहे हैं, कोई सरकार, कोई संस्था आपको ऋण नहीं दे रही है । अब उसकी स्थिति को सुन लीजिए, मैं सोचता था कि अब माननीय मंत्रिगण कम से कम छत्तीसगढ़ लेवल के तो हो ही गए होंगे । उनकी सोच छत्तीसगढ़ की हो गई होगी । 100 रूपए में जो सड़कें बन रही हैं, जयसिंह जी होंगे, पिछला जो बजट आया था 1402 रूपया मरवाही विकासखंड के लिए था । इस बजट में 100 रूपए में आप सड़क बनाने जा रहे हैं । मरवाही के लिए तो एक सड़क है, उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर कहा है पूरी मरवाही की तस्वीर बदल दूंगा। कहां हैं वे डॉक्टर साहब ? ध्यान रखना एक सड़क है और पूरी तस्वीर बदलने वाली है । एक सड़क है ध्यान रखना। अब मैंने इस बात को क्यों बोला? 34 सड़क बेमेतरा जिले की। 29 सड़क दुर्ग की, जिसमें 29 अधिकांश पाटन की है और रायपुर दुर्ग ग्रामीण की है। थोड़ा सा बालोद जिला, थोड़ा सा केशकाल जिला बाकी में आप टेबल थपथपाओ। अभी ऋण भी नहीं मिला है। घोड़ा कहीं नहीं है, पूंछ भर है, लेकिन आप सड़क की सूची को पढ़ लीजिए। सिर्फ टेबल बजाइए। कब बनेगा, नहीं मालूम? यह जो खतरनाक स्थिति है कि 30 हजार करोड़ का कर्जा, 5 हजार 3 सौ करोड़ रूपया हम ऋण लेंगे और यह जिस दिन प्रश्न लगा, उस दिन का है। आज उस ऋण की राशि बढ़ गयी है। इस प्रदेश का भगवान मालिक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माने छत्तीसगढ़ का पहले साढ़े 5 हजार करोड़ का जितना बजट था, उतना हम हर साल ब्याज देने वाले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार को बधाई दे देता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहां चले गये ? कोविड के लिए 13.28 करोड़ रूपये है। कल के समाचार पत्र में है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता था कि पहला कोविड आने के बाद पहले स्ट्रेन पर सरकार का पहला वक्तव्य आया, पर मैं उसे वक्तव्य नहीं मानता। माननीय चौबे जी, यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जो अपनी छवि चमकाने के लिए कोविड से मृत्यु पर घोटाला करती है। पेपर में, समाचार पत्रों में सब जगह है। अधिकारी के वक्तव्य हैं कि जिला स्तर पर मृत्यु के आंकड़े अलग हैं और प्रदेश स्तर पर मृत्यु के आंकड़े अलग हैं। 3 हजार रोगी ऐसे हैं जो पंजीयन करवाकर गायब हैं। टीकाकरण के संबंध में मैं तो सोच रहा था कि इसमें टीकाकरण के लिए कुछ बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमें टीकाकरण के लिए स्पष्ट निर्देश दे, नहीं तो हम टीकाकरण के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे। टीकाकरण की तैयारी इतनी है कि जो दूसरे टीका के इंजेक्शन होते हैं न, कल वह जो ठंडा करने वाला वाहन है, उसमें नहीं ले जाये गये, सामान्य वाहन में ले जाये गये। कल के पेपर में छपा है। यह आपके टीकाकरण की तैयारी है। अब मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि 3 अरब रूपये से ज्यादा अंग्रेजी शराब और देशी शराब से कोविड के नाम में वसूले गये। यह प्रश्न के उत्तर में

है। आज की तारीख तक मार्च से आज तक कोविड का टीका आ गया। वह पैसे स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिये गये, जिसके लिये आप सेस लगाये हैं। उसके दिशा-निर्देश जारी नहीं हुये हैं कि उस पैसे का क्या उपयोग होगा ? कब होगा ? किन कामों में होगा ? आप देख लीजिएगा, यह मेरा आरोप है कि जब कोरोना के टीकाकरण के लिए केन्द्र सरकार पूरे 30 करोड़ की पहले डोज के लिए तैयारी कर रही है, उसके क्रम दुनिया में ब्रिटेन में भी तय हो गये हैं कि स्वास्थ्य वर्कर को लगेंगे फिर ओव्हर एज को लगेंगे फिर जहां भी लगेंगे। यहां भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण के लिए जो तैयारी हो गयी है, वह पैसे दूसरे कामों में उपयोग में आयेंगे, कोरोना के लिए नहीं आयेंगे। यदि यह सरकार की नीयत में होता तो अप्रैल से आज तक वह पैसे स्वास्थ्य विभाग के स्थानांतरित हो जाते। आप आ गये साहब (माननीय मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव) । आपको बधाई दिया कि पहली बार आपका एक आधा अधूरा वक्तव्य एक साल में आया।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आज आप पी.एम. केयर फंड के बारे में कह रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, अब आप खड़े ही हो गये हैं तो आप ही की ओर आता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- सुनिए तो पी.एम. केयर फंड के बारे में पढ़ रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आप खड़े हो गये हैं तो आप ही की ओर आता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- सुनिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सुन रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- पी.एम. केयन फंड के बारे में जो चल रहा था कि कहां लिये गये और कहां खर्च किये गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज तो मैं पूरा सुन-सुनकर ही बोलूंगा। आप चिंता मत करिए। माननीय अमरजीत भगत खड़े हुए। मैंने गलत बात की या सही बात की, मैं इसे नहीं बोलता, लेकिन उनके भाषण का एक अंश बता देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अगर चेयर में रहना है तो ऐसे लोगों से बचिए। ये flatterer और psycho fans जो लोग हैं, वे हम लोगों का बहुत दिमाग खराब करते हैं। आपका भी दिमाग खराब करेंगे। मुझे भूपेश बघेल जी के चरित्र में महात्मा गांधी दिखते हैं। बाप रे, ऐसा भाषण।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, यह बताइए तो क्या मैं अजय चन्द्राकर बोलूं। जो गांव का परिदृश्य बदलने के लिए अर्थव्यवस्था बदलने के लिए नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना चलाकर काम कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) उसमें गांधी जी का सपना दिखता है । उसमें अजय चन्द्राकर का नाम लूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आप दोनों को बधाई दे चुका हूं । स्वविवेक से आप खड़े हो जाते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप तो सिर्फ महाराज जी को बधाई देते हो, हम लोगों को कहां बधाई देते हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्वविवेक से खड़े हो जाते हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, डॉ. रमन सिंह जी सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, मंत्री वे बने हैं। आपने गांधी पिक्चर देखी है ? एलेक पद्मसी ने किसका रोल किया है ? जिन्ना का । उसको पूछ लो कि उधर महात्मा गांधी देखते हैं तो जिन्ना तो इधर नहीं देखते ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप ही के नेता लोग तो जिन्ना को प्रणाम करके आते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप समझ रहे हैं न । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें ऐसी हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया कि अब फलां, फलां पदों में सिर्फ छत्तीसगढ़ी लोगों की भर्ती होगी, एक । फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि जो मेडिकल सीटों में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों से प्रवेश ले रहे हैं, उन पर सख्त कार्यवाही हो । कुछ लोगों ने सीटें सरेण्डर कर दीं । भर्ती छत्तीसगढ़िया की होगी, यदि छत्तीसगढ़ी पद में दुरूपयोग हो रहा है तो माननीय चौबे जी, अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ में डोमेसाईल परिभाषित कर दीजिए, इसमें राजनीति मत कीजिए । क्या छत्तीसगढ़िया है, क्या छत्तीसगढ़ की परिभाषा है, आप किसको मानते हैं ? यह भावनात्मक राजनीति नहीं हो सकती । अब वह समय है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार इस बात को बोल रहे हैं तो आप परिभाषा तय करिए कि कौन छत्तीसगढ़िया है । आपके सी.ए.एफ. छत्तीसगढ़िया है या नहीं है, जो वर्तमान में हैं । आपके जो पीछे बैठे हैं, वह छत्तीसगढ़िया है या नहीं हैं ? छत्तीसगढ़िया क्या है ? अब यह समय आ गया है कि आप तय करें क्योंकि यह आपका राजनीतिक मुद्दा बन रहा है । चौबे जी, मैं आपको सुझाव दे देता हूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि 20 साल बाद अस्मिता को लेकर बात हुई, जिसको लेकर आप चिंतित हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिसमें इनको 15 साल तो बोलने का मौका ही नहीं मिला।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी 20 साल बाद अस्मिता की बात कर रहे हैं । इसी सदन में आपका भाषण उठाकर देख लीजिए । आपने कहा था कि पहला छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ की माटी का सपूत और विधान सभा मरवाही में क्या बोलते घूमते दिखे ? आप लोगों को बदलने में देरी नहीं लगती । पहले तय कर लो कि क्या बोलना है, उस बात पर हमेशा स्टैण्ड रहना है या नहीं रहना है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, मरवाही ने देख लिया । आप भी बदले और कौन-कौन लोग मरवाही में बदले, लेकिन जनता नहीं बदली, आज भी कांग्रेस के साथ है । आज भी मरवाही की जनता ने बता दिया कि वे कांग्रेस के साथ हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी मुख्यमंत्री, माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय अकबर साहब पूरे क्षेत्र में घूम-घूमकर आदिवासी-आदिवासी रटते थे । 18 साल बाद आप लोग बदल गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी, मैं तो उस विचारधारा से आता हूं, जो जातिगत बातों में फंसता नहीं हूं, लेकिन आप इसको अपनी असफलता के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाल रहे हैं, उसको आप परिभाषित करिए और मैं आपको सुझाव देता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हिन्दुस्तान में जो छद्म राष्ट्रवाद चल रहा है, उसका सबसे बड़ा काम छत्तीसगढी अस्मिता है । वही छत्तीसगढ़ी अस्मिता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसमें संकल्प ले आईए । आप राष्ट्रवाद और छद्मवाद का संकल्प ले आईए और विचारधारा में बहस कर लीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जरूरत पड़ेगी तो वह भी ले आएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको दो सुझाव दूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- अब इन शहरी बाबू को गोबर से भी गंध आने लगा है। पहले हर चीज में गोबर, पूजा में गोबर का उपयोग, सब में गोबर का उपयोग होता था और अब इनको गोबर से गंध आने लगा है । गोबर के बारे में कई तरह की बात बोलते हैं । ये पैसे वाले हो गए हैं, बड़े आदमी हो गए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी, आपको दो सुझाव दूंगा । यदि डोमीसाईल नीति बनाते हैं तो आधार वर्ष 1904 रखिए, ताकि टी.एस. सिंहदेव जी छत्तीसगढ़िया न माने जायें । वे 1905 में इधर आये हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आप अपनी बात करें । उधर क्यों उलझाने की बात कर रहे हैं ?

श्री संतराम नेताम :- चन्द्राकर जी, बजट में बातें करिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय जी, अनुपूरक पर अपनी बात रखें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसी में आ रहा हूं ।

श्री संतराम नेताम :- आप फिर उदाहरण देते हो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वे सीधे-सीधे अपनी बात करेंगे तो आप लोगों को मजा कैसे आएगा । आपको खड़ा होने का मौका कहां मिलेगा ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वे सीधे-सीधे बात करेंगे तो आप लोगों को मजा कैसे आयेगा, आप लोगों को खड़ा होने का मौका कहां मिलेगा ?

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम लोग कलेक्टर मुख्यमंत्री भी देखे हैं, डॉक्टर मुख्यमंत्री भी बनते देखें हैं और किसान मुख्यमंत्री भी बनते देखें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी बोलिये।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय डॉ. साहब, रमन सिंह जी, बृजमोहन जी, शर्मा जी, ये आपके मित्र हैं कि आपके क्या हैं ? ये जबर्दस्ती उस भावना को भड़काने का काम करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आज आप कुछ भी बोल लें, मैं अपनी लाईन से हटने वाला नहीं हूं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अजय जी ने मुझे बोला, 195 से सरगुजा का परिवार तो मान रहे हैं ना।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, अब दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब छत्तीसगढ़िया की जो भी परिभाषा डोमीसाईल की परिभाषा तय करेंगे तो इसमें इस बार प्रायोगिक शामिल करना चाहिए। चौबे जी, करपा बांधे ला आथे नहीं, साकड़ ले ला आथे नहीं, मछली धरे ला आथे नहीं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी का अपमान मत करो। उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, सभापति जी नहीं बैठे हैं। पहले थोड़ा, उधर ध्यान दो।

श्री अजय चंद्राकर :- गेड़ी चढ़े ला आथे नही, रायचुली झुले ला आथे नहीं, ये सब प्रायोगिक रहना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये आपको सभापति बोल रहे हैं। इनको थोड़ा सा डाटिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, अजय जी, एक तो विषय वस्तु से हट गये हैं, नंबर एक। दूसरा, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी संस्कृति से, हमारी अस्मिता से, यहां के आचार-विचार और खान-पान से जुड़ा हुआ है। वे व्यंग्य कर रहे हैं कि गेड़ी चढ़ना आता है कि नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रचा-बसा चीज है- गेड़ी, आप उसमें हंस रहे हैं। गोबर, गोधन न्याय योजना में जब हमने गोबर खरीदी की तब भी आपने हंसा था।

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो बोलेंगे ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये आप जग हंसाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता सुन भी रही है और देख भी रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल देखने दीजिए। बिल्कुल देखने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप गोबर की बहुत मजाक करते हैं, हिंदू धर्म का बहुत सांस्कारिक कार्य है, आप कोई भी पूजा पाट करने के पहले किसी पूजा करते हैं, गोबर से पहले लिपाई करते हैं, तब आप गणेश जी की पूजा करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं डहरिया जी को बधाई देता हूं, वे अपने मन से बोल रहे हैं। मैं उनको बधाई दे रहा हूं। उन्होंने दो साल में बहुत एम्प्रूव कर लिया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहली उपाध्यक्ष जी से माफी मांग, बार-बार सभापति बोलत हस। पहल माफी मांग ले ओखर बाद बोलना।

श्री अजय चंद्राकर :- शाश्वत माफी मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिएगा।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि 2001 में, आप जिस परिभाषा की बात कर रहे हैं, वह परिभाषा 2001 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में है। पंकज द्विवेदी साहब का हस्ताक्षर है। उस समय सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव थे। माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने इसको निर्धारित किया था, वह आदेश की कापी मैं आपको दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, अच्छी बात है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। वह गंभीर बात है, आप कर्ज ले रहे हैं, मैं नहीं जानता, कर्ज कितने में ले रहे हैं। मैंने उसमें बजट के बारे में बोल दिया। प्रश्न के उत्तर में है, अलग अलग आंकड़े हैं, धान सड़ने का विषय, एक ही दिन के प्रश्न में एक में 4.15 लाख टन है, एक में 4.65 लाख टन है। पांच महीने तक उसका डी.ओ. नहीं कटा। आज की तारीख में मैं आपको महासमुंद जिला, मुंगेली, बिलासपुर, बता देता हूं, आप निरीक्षण कर लीजिए। किसान पुत्र हैं, मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं, एक भी धान मिलिंग के लायक नहीं है, वह धान सड़ा क्यों, पांच महीने तक आर.ओ. कटा क्यों नहीं, यह जांच का विषय है ? यदि आप वास्तव में छत्तीसगढ़ को प्रेम करते हैं तो उत्तर क्या दिया गया है, केन्द्र सरकार के मूल्य में 847 करोड़ का धान, आपने उसको 2500 करोड़ में खरीदी है। आप उसकी चौथी किस्त देने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि उसको जोड़ोगे तो 12-13 सौ करोड़ की लोकधन की छति हुई है और ये लीपापोती की कोशिश हो रही है, मिलर्स के उपर दवाब डालने की कोशिश हो रही है। नया धान उसना वालों को अभी तक आर.ओ. कटना शुरू नहीं हुआ है, अरवा वालों को हुआ है, फिर इस साल वही गति होने वाली है और ये बोल रहे हैं कि उस धान को मिलाकर उसमें दो। प्रमाणित, आरोप नहीं लगाता, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप इसको जांच करवायेंगे, देखेंगे कि क्या करेंगे ? दूसरी बात, आप मिलिंग करवायेंगे, मैं प्रश्नों के उत्तर में बता रहा हूं, 177 करोड़ रूपये से उस मिलर को अभी सिर्फ 58 करोड़ रूपये साल भर में दिया गया है। 117 करोड़ उनको देना बाकी है। थ्रस्ट सेक्टर का एकमात्र उद्योग, जिसमें आम छत्तीसगढ़ के लोगों को छोटी मोटी कुटाई की मशीन है, पैसा नहीं देंगे तो वह कैसे चलेगा ? हम उनको चोर ही समझ लेंगे, गलती करने वाले ही समझ लेंगे। यह एक बड़ा स्केम, जिसमें आपको संज्ञान लेना चाहिए, मैं कहता हूं यदि आप उसमें संज्ञान लेंगे, आरोप नहीं लगायेंगे, हम कल की तरह आपकी उदारता का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं किसान के संबंध में बात कर रहा था। आप किसान हैं, आप देशी घी हैं, जो भी हैं, आपको प्रचार की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा विषय

नहीं है। मेरा विषय व्यावहारिक चीज में है। पंजीयन में 4.00 बजे उठते हैं। आप धनीराम के मामले में जो माननीय मोहन मरकाम जी से जुड़ा है, उसमें आपने एक के ऊपर कार्रवाई कर दी। रकबा में कमी की। जितनी घटनाएं हुईं, उसमें कितने के ऊपर कार्रवाई हुई ? दूसरा, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, आप लघु कृषक, सीमान्त कृषक, बड़े कृषक जो बोल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। जो पैसा दे रहे हैं, उनका टोकन काट रहे हैं। जितने लोगों का धान बिका है, उसमें बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, आप एक सोसायटी की जांच करवा लीजिये कि किस बड़े किसान का धान बिका है, किस छोटे किसान का धान बिका है औरकिस मध्यम किसान का धान बिका है ? हम लोग जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं न जने शिला बिने के काम कहथे, ओ सोसायटी वाला मन भी सीख गय। ओहू मन अपन तरीका निकाल लेइस कि शिला बिनके कुछ न कुछ कमा लिन।

श्री शिवरतन शर्मा :- शिला काला कहथे ?

श्री अमरजीत भगत :- जितना प्रकार के युक्ति हे, सब चन्द्राकर जी ला आथे। येतना दिन मा तमाम प्रकार के खेल येही खेले हे। ओखर विशेषज्ञ हो गय हे।

श्री केशव चन्द्रा :- पूरा प्रेक्टिकल।

श्री अमरजीत भगत :- ओ बोलथे कि बिल्ली सौ मुर्गी खा के हज को चली।

श्री अजय चन्द्राकर :- यार, मैं तो अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो सुझाव दे रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- चलो ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आज की तारीख में कितनी सोसायटी का मार्कफेड के साथ एग्रीमेंट हो गया ? परसो शाम तक वह संपादित नहीं हुआ था कि धान कब उठाया जायेगा। कौन से मिल में जायेगा, कब जायेगा, कैसे जायेगा। परसो की तारीख तक कई जगह ऐसे थे जहां परिवहन के ट्रांसपोर्ट का ठेका नहीं हुआ था। बारदाने की कमी, यह शाश्वत कमी बनी हुई है। आप किसान पुत्र हैं। जब आपने पिछली बार कहा कि जिसका टोकन है, मैं उसका धान खरीदूंगा तो आपने जो दो महीने अवधि घटाई है, जनवरी अंतिम दिन तक सिर्फ 32 दिन कार्यदिवस है। आप विनियोग में इस सदन में जरूर कहे कि जितने पंजीकृत कृषक हैं, उनका 15 क्विंटल के हिसाब से भूपेश बघेल की सरकार धान खरीदेगी, यह घोषणा होनी चाहिए। आप अवधि कितनी रखते हैं, यह विषय नहीं है। जब आप कहते हैं तो जरूर खरीदिये। क्यों ? क्योंकि ये प्रचार के विषय हैं। माननीय कृषि मंत्री जी, इतने किसान पंजीकृत हुए, 2 लाख एकड़ रकबा बन गया, इतने पट्टेधारी हो गये। मुझे दुःख होता है इसलिए कि वे नये जमाने के ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, इधर-उधरकी बात करते हुए 25 मिनट हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो शुरू किया हूं। अच्छा मैं जल्दी खत्म कर दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये हमारे पहले वक्त हैं, उनको पर्याप्त बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैं बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसान पुत्र हैं, मैं आपको भी किसान मान लेता हूं। अभी जब ट्रेक्टर की बात हो रही थी, पूरे दुर्ग जिले का ट्रेक्टर साजा में बिका है, ऐसा पेपर में छपा है, आप पढ़े होंगे। तो यह दौर धान की खेती का नहीं है। यदि आप छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं, तो अब फसल के विविधीकरण के लिए काम कीजिये, अब धान यह दौर आ चुका है कि पूरे देश का हर प्रांत अपनी जरूरत के हिसाब से सेचुरेटेड है। ये हितैषी का क्या बात कर रहे हैं, आप खुले दिल से बात करिये। राजनीति करने के बजाय, राजनीति करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, यह घोषणा मैं जरूर सुनना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कहा है। मैं India Today कुछ अंश पढ़ देता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- और किसानों ने जो दिल्ली घेरकर रखा है, उसके बारे में भी न्यूज आ रहा है, उसको भी पढ़कर सुना दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- India Today में किसानों के संबंध में एक इंटरव्यू छपा है। (मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नहीं का ईशारा करने पर) रिफरेंस मत दूं, चलिये, रख देता हूं, मुझे याद है। ट्राइफेड में जितने पंजीकृत उपज नहीं हैं, उससे ज्यादा मुख्यमंत्री जी खरीदते हैं। वह उस इन्टरव्यू में है कि हम 52 प्रकार के वनोपज खरीदते हैं। वन मंत्री बैठे हैं। मुझे बता दे कि 52 प्रकार के वनोपज होते हैं क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 52 प्रकार के वनोपज होथे तो तोला का तकलीफ हे तेला बता न भाई ? खरीदते हैं, ठीक तो बोल रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आप कितने प्रकार के वनोपज को जानते हैं, पहले यह बता दीजिये ? मैं जंगल का रहने वाला हूं। आप बता दीजिये।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- 16 प्रकार के थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 प्रकार के वनोपज की खरीदी की आर इस बार 58 प्रकार के वनोपज की खरीदी करेंगे। (सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथ्पाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- भैय्या, आप कितने का भी वनोपज खरीदे, इन्टरव्यू में छपा है कि आप 52 प्रकार का वनोपज खरीदते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 6 ठो अउ बड़ गय न। थोड़ा समझे कर न।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओला बधाई, पूरा बधाई।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस India Today मैगजीन में माननीय मुख्यमंत्री जी के इन्टरव्यू का रिफरेंस दे रहे हैं, उसका फ्रंट पेज दिखा दें। India Today का फ्रंट पेज दिखा कि क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने तो मना किया, मैं उनको दे देता हूं। यदि आप कहे तो पटल पर रख देता हूं।

डॉ. विनय जायसवाल :- उसमें पूरे फ्रंट पेज में किसान आंदोलन पर है, वह मुख्य स्टोरी है। किसान आंदोलन मुख्य स्टोरी है, आप पूरे सदन को दिखाईये न।

डॉ. विनय जायसवाल :- उसमें पूरा एक पेज का जो इंडिया टुडे का है वह किसान आंदोलन की मुख्य स्टोरी है, उसको पूरे सदन को दिखाईये ना।

श्री अजय चंद्राकर :-माननीय सभापति महोदय, कितना विज्ञापन दिये अब मैं नहीं बोलता कि कितना विज्ञापन दिये, क्या किए इंडिया टुडे के उसके पहले वाले अंक में 2018 के मुकाबले हर सेक्टर में गिरावट दर्ज हुई है उसके हर सेक्टर को पढ़ने के बजाय वह दूसरी प्रति भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप दोनों को भेंट कर देता हूं। इंटरब्यू के तुरंत दूसरे पन्ने में लिखा है कि छत्तीसगढ़ छोटे या बड़े किसी राज्य में जो इंडेक्स उन्होंने बनाये हैं उसमें प्रदर्शन करने वाली जगहों में छत्तीसगढ़ का स्थान ही नहीं है। अब वह इंटरब्यू नियोजित था या क्या था उसमें मैं नहीं बोलता। अब 20 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री जी ने उसमें संबोधित किया, महात्मागांधी जी को आये 100 साल हो गये। पूरा पेपर इनके दो साल की उपलब्धियों से रंगा है, मैं देख रहा था कि कहीं कोने में महात्मा गांधी जी दिख जायेंगे कि आज उनको आये 100 साल हो गये हैं लेकिन कहीं महात्मा गांधी जी नहीं दिखे। कहीं छोटी सी जगह में भी महात्मा गांधी जी नहीं दिखे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन सारी योजनाओं में महात्मा गांधी जी दिखते हैं, आपको कहां दिखेंगे। आपको गांधी जी नहीं दिखेंगे। आपको गांधी जी नहीं दिखने वाले। आपकी नजर में गांधी जी दिखेंगे कहां।

डॉ. विनय जायसवाल :- असल में इनको महात्मा गांधी जी नहीं दिखेंगे क्योंकि महात्मा गांधी जी का चश्मा लगातार देखने की आदत हो गई है, तो महात्मा गांधी जी कहां दिखेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती में हम सालभर कार्यक्रम करेंगे। आप देख लीजिए कि साल भर कार्यक्रम होंगे यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उस विशेष सत्र के बाद जिसमें हमने मोहन जी का बढ़िया इंटरव्यू देखा था, क्या इंटरब्यू दिये थे, महात्मा जी के बारे में अरूण वोरा जी का इंटरब्यू सुना था, क्या इंटरब्यू दिये थे तो ये महात्मा गांधी जी को कैसे समझते हैं यह हमने इंटरब्यू में सुना है इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं पर महात्मा जी के लिए एक शब्द, एक रूपये नहीं था कि 100 साल छत्तीसगढ़ में हो गये। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी अब इतिहास के बारे में भी बात करते हैं, संस्कृति के बारे में भी बात करते हैं तो महात्मा जी ने यहां के आंदोलन को चाहे अछूतोद्धार का आंदोलन हो जो कि उस समय शब्द उपयोग होता था, चाहे उन्होंने कहा था कि बारदोली से बड़ी जागरूकता छत्तीसगढ़ में है, अब जब उसकी बात की तो मैं मुख्यमंत्री जी के लिए अमरजीत भगत जी को कहता हूं कि अति विद्वान, अति सक्रिय। यदि मुख्यमंत्री जी के भाषण में आता है तो उसमें विवाद होगा या मत व्यक्त होंगे।

क्योंकि मुख्यमंत्री जी यदि इस्तीफा दूंगा बोलते हैं तो भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। कोविड का एक नया स्ट्रेन आया तो हिन्दुस्तान का शेयर मार्केट गिर गया तो यदि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा की बात करेंगे तो उससे राजनीतिक अस्थिरता होगी या नहीं होगी? ये मुख्यमंत्री जी से कहलवाये कि कौशल्या जन्मभूमि है, फिर कहलवा दिये कि नत्थूराम जगताप जी न्यौता देने गये थे, वह मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ लेकर आये थे। मैं ऐसे संस्कृति मंत्री जो मुख्यमंत्री जी को ऐसा भाषण बनाकर देते हैं उनके लिए अब आगे शब्द नहीं बोलता। मुख्यमंत्री जी की उसमें कोई गलती नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- मोरो बात ला तो सुन ले।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो आपके लिए कुछ बोला ही नहीं हूं।

श्री अमरजीत भगत :- क्या है कि सभी लोग अति विद्वान, अति विद्वान बोलते हैं तो मैं भी बोल देता हूं कि अति विद्वान और अति विद्वान इतना विद्वान है कि छत्तीसगढ़ में राम का आगमन हुआ था उसको भी नकारते हैं, यहां जो कौशल्या माता की जन्मस्थली है, मंदिर है, उसको भी ये नकारते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सेम कर रहे हैं आपके राम तो काल्पनिक राम हैं। मर्यादा पुरूषोत्तम राम तो हमारे राम हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अभी दो के बीच में बात हो रही है आप रूकिए तो। वह पूर्व संस्कृति मंत्री हैं हम वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। ये कहें वह बात सही है। ये पूरा राजनीति राम के नाम पर किए, गौमाता के नाम पर किए। अब इनको दर्द ये हो गया है कि अब इनकी राजनीति समाप्त हो गई है। न ये गौमाता के बारे में बोल सकते हैं न ये राम के बारे में बोल सकते हैं। इतने दिन में एक मंदिर, एक चबूतरा तो नहीं बनाये और अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री राम वन गमन पथ बना रहे हैं तो इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, कि वह पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उसमें आपको तकलीफ क्या है? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी गेड़ी चढ़ते हैं तो उसमें आपको तकलीफ है, भौंरा चलाते हैं उसमें आपको तकलीफ है, यहां की संस्कृति में तकलीफ है, यहां के गोबर और गऊ में आपको तकलीफ है। तो आपकी तकलीफ को तो हम दूर नहीं कर सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने किसी में तकलीफ नहीं बताई। मैंने तो यह कहा कि जब मुख्यमंत्री जी का भाषण बनाते हैं तो कौन आदमी कैसा बनाता है मैंने मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं है, ऐसा कहा। मैंने आपके लिए कोई एडजेक्टिव उपयोग ही नहीं किया।

श्री बृहस्पत सिंह :- इस बात का ईलाज तो गो-गौठान में ही हो सकता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय अजय चन्द्राकर जी की तारीफ में कुछ बोलना चाहता हूँ-

"ताकत अपने लब्जों में डालो। आवाज में नहीं।

क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ नहीं। "

श्री अजय चन्द्राकर :- ये सैकड़ों बार फावर्डड वाट्सअप का है थोड़ा मौलिक रहना चाहिए। मैं ऐसे-ऐसे अभी 50 सुना दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- आप एक ठोक सुना दीजिए।

श्री संतराम नेताम :- "कई जलवे देखे पिछले कार्यकाल में।

हम कब से बैठे हैं आपके भाषण के इंतजार में।"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या बात है ? कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उदार कहा था। उमेश पटेल हमारा भतीजा कह ले, वह खड़ा हुआ अभी कुछ बोलने कि तो मैंने कहा कि आपकी ओर आता हूँ। आप सबसे वरिष्ठ उधर के विद्वान, ज्ञानी, चौबे जी कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के आदमियों लोगों को 4 महीने से अनुदान नहीं दे रहे हैं इसलिए कि आपका नाम बदलने का विधेयक लंबित है मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि जाकर पोखरियाल जी को बोलूं कि आप छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अनुदान मत दीजिए। ये एक विराट दृष्टिकोण होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि उस लड़के, माननीय मंत्री जी से भी अपेक्षा करूंगा कि आप विशाल दृष्टिकोण बनायें और यदि छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं तो 18 लाख, 90 हजार पंजीकृत बेरोजगार है आपके घोषणापत्र ढाई हजार गुणित कर लीजिए उसमें बजट 100 रूपये का रख दीजिए । केवल भाषण ही तो देना है। जैसे आप सड़क में 100 रूपये रखे हैं वैसे ही आप रख लीजिए। आप इस पर बोलिए मैं बैठ जाता हूँ आप कब से बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आप कुशाभाऊ ठाकरे को कब अनुदान देंगे, यह बोल दीजिए। मैं बैठ जाता हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी रूस में पुतिन जी का एक विधेयक आया है कि उसके परिवार, दोस्त उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसकी जांच नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग सोचे थे कि चन्द्राकर जी पहले वक्ता है और बहुत विद्वान है। छत्तीसगढ़ को कुछ अच्छा सुझाव मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भला होगा, लेकिन वे रूस, जापान और कहां वियतलाम में कहां भटक गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। आप एक वैसा ही कानून यहां ले आयें कि आजीवन उसके परिवार के खिलाफ कोई दोषारोपण नहीं हो सकता, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जांच नहीं हो सकती तो चाहे वह ट्रेक्टर की गड़बड़ी हो, बीज की हो, खाद की हो, दवाई की हो आप बोल कि सतयुग से आते हैं और अपराध में शामिल किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ता हो क्योंकि कानून व्यवस्था एक राजनीतिक दल के कार्यकर्त्ता की जेब में है मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी एक विधेयक ले आईये। वह अपनी तरह का पहला विधेयक है पूरी दुनिया का। एक आदमी और उसके परिवार को वैसी यहां ले आईये कि फसल सड़ जाये,

दुकाल पड़ जाये, आपने कहा है मैंने बीज में मुआवजा दिया है एक आपने एक आदमी के ऊपर कार्यवाही नहीं की है आपने उसको मजाक से टाल दिया। दूसरी बात कल किसानों के समर्थन में आपके बाजू वाले जब बैठते हैं । उन्होंने लिखा है कि हम छत्तीसगढ़ में स्वामीनाथन कमेटी की अनुसंशा लागू करेंगे यह कांग्रेस के घोषणापत्र में है। आप यहां के घोषणापत्र में है छत्तीसगढ़ के घोषणापत्र में है मैं आपको लाकर दिखा दूंगा। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि यहां का है या वहां का है, लेकिन घोषणापत्र में है। मैंने शैलेष पाण्डे जी के बयान का उल्लेख किया, लेकिन दूसरी बात बोल देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में है।

समय :

1:54 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। उठाईगिरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, जिस्मफरोशी, तस्करी, नशा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये बजट में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, वैसे भी काफी समय हो चुका है। कृपया समाप्त करे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जल्दी समाप्त कर रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय,ये कुछ समय के लिए प्रभारी गृहमंत्री बनाये गये थे। उस समय भी हमने इनका देखा था यहां सी.बी.आई. जांच के लिए घोषणा किये थे वह टांय-टांय फिस। चन्द्राकर जी, आपको मालूम है। आपको याद है या नहीं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इस्तीफा देकर भी घोषणा करे रहिसे। उहू ला नइ करिस।

श्री बृहस्पत सिंह :- बजट में न बोलकर विदेशों की बात कर रहे हैं। डॉ. रमन सिंह जी भी सुन रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय सभापति महोदय, वह इस्तीफा देने के लिए भी बोले थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप पढ़े लिखे हैं। वेलफेयर स्टेट की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है लोगों के जानमाल की सुरक्षा। जानमाल के किसी भी तरह की सुरक्षा में यह सरकार असफल रही है। दो साल हुए हैं, मैं आज इस्तीफा नहीं मागूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह सरकार असफल रही है। अब माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया जी बहुत बार खड़े होते हैं। कल उनका बृजमोहन जी के 10वें नंबर पर स्मार्ट सिटी का प्रश्न था। मैं नये सी.एस. साहब का अभिनंदन कर देता हूं। उनका पहला सत्र है, हमारी ओर से भी बधाई दे देता हूं। अच्छी सेवा करें। मैं मानता हूं कि आप

छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र हैं, इनकी परिभाषा में आते हैं या नहीं आते हैं, मैं नहीं जानता। तत्कालीन सी.एस. साहब छत्तीस बार बूढ़ातालाब देखने गये हैं, पेपर में छपा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखल गये हे तो ओमा तोला तकलीफ का हे। अच्छा काम होय हे, तेल ला देखे जाबो, तोर इहां तो कौनो अच्छा काम होवै नई करिस, कौन देखे जाही। आज बूढ़ातालाब ला पूरा छत्तीसगढ़ देखल जात हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्मार्टसिटी लिमिटेड के कार्यों की सूची को आप पढ़िये। स्थानीय शासन मंत्री रहे हैं। नगर निवेश कैसा हो, प्राथमिक सुविधायें क्या हों? यदि सी.एस. छत्तीस बार निरीक्षण करता है जो डल झील से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। नगर निवेश के बाकी विषयों में कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार मैंने इस्तीफा मांगा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का विद्युतीकरण में उत्तर आया है, परियोजना से, अभिकरण से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सबके अध्यक्ष तो आप हैं, आपके द्वारा नामित हैं, बजट आपका है। उनको इन्फ्रास्ट्रकचर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री समग्र विकास के पैसे नहीं मिल रहे हैं। शहरी विकास, ग्रामीण विकास की परिभाषा एक हो गई है कि रायपुर में जितने तालाब हैं, क्योंकि उसमें कमीशन सबसे ज्यादा है, इसलिए तालाब ही तालाब बनाओ। इन्फ्रास्ट्रक्चर यह होता है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, मैं यहां को टेंकर से मुक्त करूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पिछले 15 साल में जो नहीं किये, पिछले 2 साल में नगरों में उससे ज्यादा करके दिखाये हैं। नगरों में इसीलिए जीतकर आये हैं कि आप लोग 15 साल कुछ किये ही नहीं थे। आप लोग सिवरेज परियोजना में बिलासपुर को तो खोदापुर बना दिये थे। उसको एक साल में पूरा करना था, उसको 10 साल में पूरा नहीं कर पाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज जांच करिये और दोषी को सजा दीजिये। आपको कौन ने मना किया है कि जांच मत कीजिये।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया समाप्त करेंगे। आपको 40 मिनट हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक आखिरी बात करके मैं समाप्त करता हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति जी, गांव में एक कहावत है कि नकटा के नाक कटावे और सौ बीता रोज बाढ़े। अगर कोई ठेठिआई करेगा तो क्या बोलेगा? जांच कराईये। जांच करायेंगे तो एस.आई.टी. वाली सरकार बोलते हैं। एक साथ दोनों बात थोड़ी होगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- रतनजोत में छत्तीसगढ़ का कितना करोड़ रुपये बरबाद हुआ है। सिर्फ रतनजोत के लिए जांच कराने की बात स्वीकार कर लें, उसमें जांच करवा दीजिए कि कितने करोड़ रुपये खराब हुए हैं।

सभापति महोदय :- अजय जी को अपनी बात कहने दीजिए, वह समाप्त करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मेरी प्रार्थना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1 लाख 37 हजार समथिंग 800 कुछ किलोमीटर है। विज्ञापन के लिए जय स्तम्भ चौक को छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों के चक्कर में मत आईये। ये संस्कृति मंत्री एक नाच करवा दिये, उससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की समझ आ जायेगी, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति भवन, जय स्तम्भ चौक, विधानसभा भवन, राजभवन विज्ञापन के लिए नहीं होते।

श्री अमरजीत भगत :- मैं कैटरीना कैफ, करीना कपूर को बुला करके करोड़ों रुपये नहीं दिया हूं। यहां के लोक कलाकारों को पैसा बंटवाया हूं। आपकी सरकार में और हमारे में यही अंतर है। हम छत्तीसगढ़ के कलाकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप देश और विदेश के कलाकारों को बुला करके उनको करोड़ों रुपये दिये थे। यह है आपकी सोच।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुंदर। चौबे जी आप गंभीर आदमी हैं। जय स्तम्भ के अतिरिक्त 1 लाख 37 हजार कुछ वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ है। आपकी फोटो लगी रहेंगी, आप सत्ता में हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा स्थानीय शासन मंत्री के लिए यह बोलूंगा या तो मैं अगली बार संकल्प लाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की, आपकी फोटो हो, वह ट्राली में रखी रहती है, वह ऐसी-ऐसी जगह ट्राली में रखा रहता है कि उसको देखने से दिमाग खराब हो जाता है। आप लोगों की फोटों को सम्मानजनक जगह में तो रखें। आप इसका कोई नियम बनाओ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, विज्ञापन को लेकर इनके पास नैतिक बल नहीं है। रेलवे स्टेशन की सीढ़ी से लेकर हर पेट्रोल पंप में फोटो लगी रहती है। विज्ञापन के बारे में तो मत बोलिये। आपसे पास नैतिक साहस होना चाहिए।

सभापति महोदय :- डॉक्टर साहब, उनको पूर्ण करने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी लाईन बोल रहा हूं। कोई भी राजनीतिक परिस्थिति हो जाये, कैसे भी जो जाये। आपके दो साल के कार्यकाल में आपसे इस बात का आग्रह करता हूं कि इस्तीफा दे दूंगा, मत कहियेगा, उससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, 1 लाख 60 हजार करोड़ के बजट का क्या होगा? राजा साहब, मैं आपको सलाह दे देता हूं कि राजनीतिक अस्थिरता की बजाय, यहां करने की बजाय आप निर्मल बाबा के पास जाईए और पता करिए कि कृपा कहां रूकी है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- उन्होंने बता दिया है ।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने निर्मल बाबा जी से पूछा तो मुझे उन्होंने बताया कि परम सम्माननीय पवन बंसल के भांजे से मिलने के लिये उसको बोलो । आप वहां जाकर थोड़ा किस्मत दिखवाईए । तोता वगैरह को दिखवाईये क्योंकि इस्तीफे की बात करने से राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, छत्तीसगढ़

राजनीतिक रूप से स्थिर रहे। इस विराट देश में वह तरिया बनाने की बजाय कोई अच्छा काम करे इसके लिये मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए वे जांच करवायेंगे, अपनी फोटो सही जगह में लगवायेंगे और मैंने जो-जो बातें कही है उसमें आप कार्यवाही करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय मंत्रीगणों एवं सदस्यों से अनुरोध है कि सदस्यों के भाषण के बीच हस्तक्षेप न करें और कृपया सदस्यों को अपनी बात कहने दें ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, अभी श्री अजय जी ने निर्मल बाबा का जिक्र किया उसको विलोपित कर दें क्योंकि क्या है कि आप निर्मल बाबा का यहां भी प्रचार कर रहे हैं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप भी जाना चाहेंगे तो चल देंगे । यदि प्रभावी होगा तो दिक्कत नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा द्वितीय अनुपूरक...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग यह मानते थे कि इस प्रदेश में 03 मंत्री हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आयेगा । उसमें श्री टी.एस.सिंहदेव साहब, श्री रविन्द्र चौबे जी और श्री मोहम्मद अकबर जी लेकिन तीनों इतने फेल हुए हैं कि ऐसा लगता है कि तीनों सरेण्डर हो गए हैं । उनको खाली अपना मंत्री पद बचाना है, उनको देश और प्रदेश से कोई लेना-देना नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री अकबर जी, आप तो मेरे मुर्शीद हैं । मैं आपके बारे में तो गलत नहीं बोलूंगा लेकिन जब आप लॉयन गिनेंगे न तो एक लॉयन बढ़ा लीजिएगा। एक केप्टिव लॉयन हो गया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा कि कौन है केप्टिव लॉयर है लेकिन है यहीं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा द्वितीय अनुपूरक मांग संख्या - 1, 3, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 64, 67, 68, 79, 80 एवं 81 के लिये कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रूपये इस सदन से मांग की गई है । मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2020-21 का मूल बजट 01 लाख, 491 करोड़, प्रथम अनुपूरक मांग 3 हजार 807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक मांग 02 हजार 386 करोड़, कुल 01 लाख 6684 करोड़ इस छत्तीसगढ़ के विकास के लिये, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिये, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिये लगातार छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं । कहीं न कहीं 17 दिसंबर, 2020 को सरकार के 02 वर्ष पूरे हुए हैं । इन 02 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की समृद्धि में, छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ा है। आज चाहे केंद्र सरकार हो, नीति आयोग हो, रिजर्व बैंक हो या अन्य सूबों की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रही है । कहीं न

कहीं इन 02 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार पूरे देश में ही नहीं, विश्व में छत्तीसगढ़ का मान बढा है । माननीय सभापति महोदय, आज इस कोरोना काल में अन्य सूबों की सरकारों ने 30 प्रतिशत कर्मचारियों की सैलरी कटौती की है । केंद्र सरकार ने 02 सालों सांसद निधि में भी कटौती की है । लगातार केंद्र सरकार के वर्ष 2020-2021 के बजट को पूरा रोककर कोरोना के लिये खर्च किया है लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिये लगातार काम कर रही है ।

माननीय सभापति महोदय, जेन कहेन, तेन करेन । भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो विश्वास है । लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनअपेक्षाओं के तहत् काम कर रही है । मैं माननीय विद्वान सदस्य श्री चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूं कि 15 साल आप लोग सरकार में रहे हैं । आपने 207 करोड़ का कर्ज का लोन पटाने की बात की है । आप 15 साल सरकार में रहे, 42,000 करोड़ रूपए छत्तीसगढ़ में छोड़ा । कम्बल ढककर घी पीने का काम आप कर रहे थे । आप लोगों के पाप का ब्याज हम 5300 करोड़ पटा रहे हैं । आप 15 सालों तक जो कम्बल ढककर घी पी रहे थे उसी का कर्जा हम पटा रहे हैं । आज हमारी सरकार अगर कर्ज ले रही है तो किसानों के लिए ले रही है, अगर कर्ज ले रही है तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ले रही है । हमारी सरकार अगर कर्ज ले रही है तो छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास के लिए ले रही है ।

माननीय सभापति जी, द्वितीय अनुपूरक मांग संख्या 3, मद क्रमांक 1, पुलिस विभाग में आकस्मिकता पुलिस सहायता के लिए डायल 112 योजना बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कांकेर, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया जिले में संचालित करने के लिए इस अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए की मांग की गई है । मांग संख्या 3, मद क्रमांक 2, निर्भया फंड योजना । महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2013 के बजट में निर्भया फंड की घोषणा की थी । वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शुरूआती तौर पर 1 हजार करोड़ का आवंटन किया था । इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में मानव तस्करी विरोधी इकाई, वुमन हेल्प डेस्क, क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेडिंग सिस्टम की व्यवस्था के लिए 10.60 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है । महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों को बचाने व उनकी सुरक्षा व सशक्तीकरण के लिए अभिनव पहल हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । सभापति जी, भारत सरकार की गाइडलाईन के अनुसार बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में 5 बटालियन की तैनाती हेतु मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए 5 करोड़ की राशि इस अनुपूरक में प्रावधानित की गई है । नक्सल उन्मूलन की दृष्टि से यह बस्तर के लिए कारगर सिद्ध होगा । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए 10 नग बुलटप्रूफ वाहनों के क्रय हेतु आकस्मिकता निधि में 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है । कृषि एवं पशुपालन विभाग के लिए गोधन

न्याय योजना । आज केन्द्र सरकार और अन्य सूबों की सरकारें इस गोधन न्याय योजना की तारीफ कर रही हैं । भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक राम नाम जपना, पराया माल अपना, करती रही । गाय के नाम से, गोबर के नाम से राजनीति करते थे । आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है । माता कौशल्या का भव्य मंदिर बन रहा है, राम वन गमन पथ बन रहा है । भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट दर्द हो रहा है । आज डॉ. रमन सिंह जी माता कौशल्या के मंदिर में पूजा करते हैं, वहीं अजय चन्द्राकर जी उस स्थल के अस्तित्व से इन्कार करते हैं । सभापति जी, इनकी कथनी और करनी में अंतर है । आज इनके अनुवांशिक संगठन आर.एस.एस. भी माननीय भूपेश बघेल के पास जाते हैं और उनकी नीतियों की, योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं । माननीय विद्वान सदस्यों को कुछ सूझ नहीं रहा है । आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है । गोधन न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विलुप्त होती जा रही संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है । छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गोबर खरीदी होती है, ऐसी अनूठी योजना चलाई जा रही है । गोधन न्याय योजना कृषकों के लिए ऐसा विषय जिससे उन्हें वित्तीय मदद के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है एवं वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं । गोधन न्याय योजना बहुआयामी योजना है जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी । इसके लिए इस अनुपूरक में 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति जी, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैम्पा अधिनियम के विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वानिकी प्रबंधन वन्य प्राणी प्रबंधन नरवा विकास तथा वनों के संरक्षण व संवर्धन तथा साथ ही वन तथा वन्य प्राणियों के संवर्धन संरक्षण की दिशा में नवाचार संबंधी कार्यों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति जी, लोक निर्माण विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रत्याभूति राशि रूपये 5 हजार 225 करोड़ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा लिये जाने वाले ऋण से पोषित कुल 753 निर्माण कार्यों के लिए इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी क्षेत्रों में 753 सड़कों का जाल बिछाये जाने का प्रावधान किया गया है। शहरों और सड़कों की कनेक्टिविटी तथा गांवों तक आर्थिक तथा सामाजिक सेवाएं पहुंचे और रोजगार के लिए नव अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। अटल मिशन ऑफ ग्रेज्युएशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन अमृत मिशन के लिए 135 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लिए 54.91 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय इंदिरा विधवा पेंशन योजना के लिए 14.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लिए 2.51 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति जी, आज विपक्ष के साथी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज ये लगातार चाहे स्थगन के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से बात को लाते हैं, मगर हमारी यह सरकार हर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार चर्चा करना चाहती है। ये 15 साल सरकार में रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के

किसानों का क्या भला किया? आज अगर भला किये होते तो 14 सीटों में सिमट नहीं गये होते। ये आंकड़े हैं। इन्होंने 15 साल में क्या किया? वर्ष 2015-16 में 13 लाख 17 हजार 583 किसानों का पंजीयन होता है और 11 लाख 5 हजार 556 किसानों की धान खरीदी होती है और 10 हजार 208 करोड़ की धान खरीदी होती है। वर्ष 2016-17 में 14 लाख 51 हजार 88 किसानों का पंजीयन होता है। 13 लाख 27 हजार 994 किसानों की धान खरीदी होती है। 12 हजार 405 करोड़ में। वर्ष 2017-18 में 15 लाख 17 हजार 332 किसानों का पंजीयन होता है। 12 लाख 6 हजार 264 किसानों की धान खरीदी होती है। 10 हजार 597 करोड़ में और हमारी सरकार आने के बाद वर्ष 2018-19 में 16 लाख 96 हजार 765 किसानों का पंजीयन होता है। 15 लाख 71 हजार 414 किसानों की धान खरीदी होती है। 20 हजार 95 करोड़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 हजार करोड़ रूपये की धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों की छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की होती है। वर्ष 2019-20 में भी 20 हजार 986 करोड़ रूपये की धान खरीदी होती है और वर्ष 2020-21 में 21 लाख 52 हजार 459 किसानों का पंजीयन हुआ है और लगभग 20 हजार से अधिक किसानों की धान 93 लाख मीट्रिक टन हमारी सरकार धान खरीदेगी, जिसमें 22 हजार 500 करोड़ रूपये की हमारी सरकार धान खरीदेगी। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आज किसान के नाम पर घडियाली आंसू बहाते हैं। किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। आज 15 साल किसानों के नाम राजनीति नहीं करते तो ये बुरा हाल नहीं होता। आज हम मरवाही में 38 हजार वोटों से जीते हैं। दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वह सीट हमने जीता। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज माननीय भूपेश बघेल जी हैं। भूपेश है तो विश्वास है। आज कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर हमारी सरकार उतरी है। अक्सर कहा जाता है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है। हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं ने सिद्ध दीं। हम 10 के 10 नगर-निगम जीतें। 27 में 20 जिला पंचायत में जीते और 146 जनपदों में 111सीटों पर विजयी रहे। यह हमारी सरकार की नीतियां हैं, योजना है, जो हमारी सरकार ने दो साल में तय की है । हमारे विद्वान सदस्य चन्द्राकर जी घोषणा-पत्र को याद कर रहे थे । घोषणा-पत्र 2013 का भी है । मैं बताना चाहता हूं । इन्होंने कहा था कि यह न तो घोषणा है, न ही वादा । यहां तो संकल्प है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन, हर क्षण और हर पल लागू किया । छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको 15 साल मौका दिया था, 15 सालों में आपने क्या किया ? 2013 में आपकी घोषणा-पत्र को मैं पढ़कर बता रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी ने मेरा नाम लिया । मैंने तो आपको इधर बोलते सुना है । आप कागज देख-देख कर क्यों पढ़ रहे हो ? आप अपनी मौलिकता मत खोईए । प्रदेश के अध्यक्ष हो, बिगुल मत फूकों । आप समझ रहे हो न । आप ओरीजनल रहो । जो मोहन मरकाम ओरीजनल था, वह रहो । आपके कहने से बैठक का बहिष्कार कर दो न, यहां लाख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको

एक आदमी नहीं मिलेगा, वे बोल दिए हैं कि नियुक्त करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है । इस बात को आप ध्यान में रखना ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, समाचार-पत्रों की कटिंग और इंडिया टूडे लाकर यहां पढ़ सकते हैं, इनको छूट है ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, इनको 15 साल मौका मिला, 15 साल में आपकी सरकार ने क्या किया ? आपने कहा था कि हर जरूरतमंद बेरोजगार 12वीं पास युवक, युवतियों को 500 रूपया बेरोजगारी भत्ता देंगे । आपको 15 साल मौका मिला, कितने बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया ? 25 पैसे प्रति किलो नमक देंगे, प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे । छत्तीसगढ़ में 85 लाख आदिवासी है, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया ? लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेंगे । कितने लोगों का कर्ज आप लोगों ने माफ किया, यह आपके 2013 का घोषणा-पत्र है । मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के 146 विकासखण्डों में 1500 से अधिक दाल-भात सेन्टर खोले जाएंगे । इन सेन्टरों में पांच रूपये में दाल-भात उपलब्ध होंगे । प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक जर्सी गाय देंगे। आपने कितने आदिवासी परिवार को दिया ? आपने कहा था कि प्रोफेशनल टैक्स माफ करेंगे ? 1990 तक वन भूमि में काबिज आदिवासियों को पट्टे दिए जाएंगे ? यह इनके संकल्प पत्र का मुख्य बिन्दु थे । इनको 15 साल राज करने का मौका मिला, यह 15 सालों में कुछ नहीं कर पाये इसीलिए 14 सीटों में सिमट गए । हमारी सरकार को मात्र दो साल हुए हैं, हम 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के पास गए थे । 36 वादों में हमारी सरकार ने 24 वादे पूरे किये और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन तीन वर्षों में हमारी सरकार अपने किये गए वादों को सरकार के मुखिया पूरा कर लेंगे ।

माननीय सभापति जी, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 2014 में कहा था कि काला धान लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रूपए जमा करेंगे । हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे । आज केन्द्र की सरकार बने 7 साल हो गए, कितने लोगों को केन्द्र की सरकार ने रोजगार दिया? उनके द्वारा कहा गया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे । जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं उन्हीं की बातों का जिक्र करना चाहता हूं । जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केन्द्र में डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार को एक रिपोर्ट दी थी । आज तीन कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बार्डर पर आन्दोलन जारी है । सरकार और किसानों नेताओं के बीच बैठक चल रही है, उसके बाद भी जो कृषि बिल लाये हैं, तीन काले कानून लाये हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश के 60 करोड़ किसानों की भावनाओं को रौंदने का प्रयास किया जाता है । जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट दी थी, वह रिपोर्ट मैं पढ़ना चाहता हूं । जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार को उपभोक्ता मामलों की एक

रिपोर्ट सौंपी थी । कांग्रेस पार्टी का कहना है, तब नरेन्द्र मोदी जी किसानों का हित संरक्षित करने के लिये संवैधानिक, साविधिक निकाय के जरिये, एम.एस.पी. सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री थे, उस समय एम.एस.पी. की बात करते थे, आज लगातार किसान आंदोलित है तो एम.एस.पी. गारंटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों पी.एम. मोदी साहब, सी.एम. मोदी की रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने भारत सरकार को भेजी थी। ये राजनीतिक बेईमानी का सबसे बुरा रूप है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, आपके क्षेत्र के किसान ने आत्महत्या क्यों की। इसको बताईये। आपकी सरकार की कुकर्मों के चलते (व्यवधान) आप प्रदेश अध्यक्ष हो। केन्द्र की आलोचना क्यों कर रहे हो। आपकी सरकार के चलते हुई है।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मरकाम जी, कृपया अपना भाषण संक्षेप में करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, प्रथम वक्ता हूं, आपका संरक्षण चाहिए।

सभापति जी :- मरकाम जी, आपके दल से लगभग 6 लोगों का नाम और है, जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अगर पी.सी.सी. चीफ में हिम्मत है तो धनीराम की मृत्यु पर आपको बोलना चाहिए। उसकी आत्महत्या के विषय पर आप बोलिये। अगर आपमें हिम्मत है तो बोलिये।

श्री मोहन मरकाम :- मैं बोलूंगा, हमारी सरकार संवेदनशील है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके भाषण को सुनने के लिये मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित नहीं थे और संसदीय कार्य मंत्री जी अभी आये हैं। ये भी नहीं थे। ये प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत है।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार ने जिसने भी गलती की है, उसमें तत्काल कार्यवाही की है। साहब, आप लोग तो लीपापोती करते थे। हमारी सरकार ने गिरदावली में अगर कोई त्रुटि हुई है, उसको सुधारने का निर्णय और निर्देश दिया है। यह माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। संवेदनशील सरकार है। माननीय सभापति जी, इस रिपोर्ट में माननीय मोदी साहब ने जो केन्द्र सरकार को रिपार्ट सौंपी थी, मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स में पी.एम. मोदी जी के वेबसाईड नरेन्द्र मोदी डॉट ईन, उस लिंक में भी आप कर सकते हैं, उसमें सिफारिश की है। उन्होंने तत्कालीन केन्द्र सरकार को सिफारिश की थी, इसके मुताबिक मार्च 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने तात्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से मुलाकात की थी। तब नरेन्द्र मोदी जी उपभोक्ता मामलों से जुड़े वर्किंग ग्रुप के चेयरमेन थे और उन्हें 8 अप्रैल, 2010 को बनाया गया था। इस ग्रुप में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल थे। उन्होंने सिफारिश की थी, एम.एस.पी. लागू होना चाहिए। मगर आज कहीं न कहीं...।

श्री शिवरतन शर्मा :- अनुपूरक में चर्चा हो रही है। यहां का कुछ बतायें। यहां कुछ बताने लायक नहीं है। ये केन्द्र की बात कर रहे हैं। सत्तू भैय्या, थोड़ी शिक्षा दो।

श्री मोहन मरकाम :- कहीं न कहीं आज दोहरी मापदंड की जो बातें आ रही है, आज लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ...।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, जल्दी समाप्त करो। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान सदस्य 1.5 लाख टन धान सड़ने की बात कर रहे थे, हमारी सरकार आते ही चार हजार से अधिक चबूतरा बनाने का निर्णय लिया है ताकि आने वाले समय में धान न सड़े। साहब, 15 साल आपकी सरकार की होती तो यह धान नहीं सड़ा होता। आदरणीय विद्वान चंद्राकर साहब, आपको 15 साल जनता ने मौका दिया था, आप 15 साल सोये हुए थे। आज हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार व्यवस्था कर रही हैं, साहब, लोकधन की छति की बात कर रहे थे, लोकधन की छति तो आपकी सरकार कर रही थी। आपकी सरकार के उपर कई आरोप लगे, कितने घोटाले, आरोप लगे, आपको पता है। आज कोर्ट कचहरी मे भी सब चल रहे हैं। आज जो बात है, आपने कहा कि 32 दिन वर्किंग डे है, हमारी सरकार ने पिछले बार भी जिनका टोकन कटा था, उनका भी धान खरीदा है। ये संवेदनशीलता है। ये भूपेश सरकार की नीति और नीयत छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये है। माननीय सभापति जी, इनको तो सिर्फ राजनीति करना है। आज किसानों के नाम से स्थगन लाते हैं, सरकार ग्राह्य करती है, चर्चा करती है और ये चर्चा से भाग जाते हैं। ये हाल है। इनके पास को कोई मुद्दा नहीं है। आज जो बातें हैं, आज कहीं न कहीं ट्रायफेड की बात की है। आपके समय में सिर्फ 7 वनोपर की खरीदी होती थी, लेकिन आज हमारी सरकार में 31 वनोपज की खरीदी हो रही है।

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री मोहन मरकाम :- मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री मोहन मरकाम :- आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है, वह करती है। "सेवा जतन सरोकार" हमारी सरकार का मूलमंत्र है, वह छत्तीसगढ़ के जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रही है। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ के किसान, अन्नदाता खुश हैं। इसलिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की जय-जय होती है। तामिलनाडु में सरकार की योजनाओं की तारीफ होती है। वहां के किसान मिठाई बांटते हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- आज उत्तरप्रदेश, बिहार में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तारीफ होती है। तो कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं के लिए राशि इस सदन में अनुपूरक के माध्यम से मांगी जा रही है, मैं सदन के सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इस अनुपूरक को पास किया जाये। सभापति जी, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय डॉ. रमन सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं पहले दिन और कल भी इस बात को उठाया था। यहां पर वित्त विभाग के बातों पर चर्चा हो रही है, परन्तु न तो वित्त सचिव उपस्थित हैं न प्रमुख अधिकारी उपस्थित हैं। जबकि इसकी चर्चा में सभी प्रमुख अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का विनियोग विधेयक है। तो बार-बार सदन की अवमानना, अपमान होना उचित नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री जी को इसके लिए जरा जागृत होना चाहिए। यह सदन की परम्परा रही है कि जब भी कोई वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं, सदन के पूरे अधिकारी उपस्थित रहे, नहीं तो जवाब कैसे आयेगा। बाकी बातों की जानकारी कैसे आयेगी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- और बैठे रहते हैं तो मोबाइल खेलते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें यहां पर इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। परन्तु यह सदन की अवमानना है, सदन का अपमान है। बार-बार लगातार बोलने के बाद संसदीय कार्यमंत्री जी, आप जरा जागृत हाईये। बार-बार यह मुद्दा क्यों उठाना पड़ता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, दबाव नहीं है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको सदन चालू होने के पहले मीटिंग लेकर, कम से कम वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है तो सभी विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। जिन-जिन विभागों को पैसा मिलने वाला है, उनको उपस्थित रहना चाहिए।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कृपया अधिकारियों का निर्देशित करेंगे। माननीय डॉ. रमन सिंह जी।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति महोदय, द्वितीय अनुपूरक 2020-21 सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर बोलना चाहता हूं। मैं पहले राजस्व आय की समीक्षा और राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों का हिस्सा, राज्य के खुद का कर राजस्व, मैं आपको इसका एक तुलनात्मक अध्ययन बताना चाहता हूं। क्योंकि गलतफहमी फैलाई जाती है कि केन्द्र से राशि कम मिल रहा है, अनुदान कम मिल रहा है, केन्द्र अपने हिस्से की कटौती कर रहा है। तो आज जो आय-व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत की गई है, छत्तीसगढ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम के तहत जो प्रस्तुत हुआ, इसमें आपको एक छोटे से तुलनात्मक अध्ययन से पता चलेगा कि केन्द्र, केन्द्रीय करों का हिस्सा और राज्य

का कर राजस्व में कितना फर्क पड़ा है। राज्य सरकार वर्ष 2020-21 के बजट में कर राजस्व हेतु 26,155 करोड़ रूपये का प्रावधान करती है। राज्य के कर राजस्व में बजट के अनुमान में यदि 2020-21 की स्थिति में देखा जाये तो जो 26,155 करोड़ रूपये का प्रावधान था, उस प्रावधान में वर्ष 2020 में अप्रैल से जून में 3,465 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां हुई तथा जुलाई से सितम्बर 2020 में 5,079 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां हुईं। इसका मतलब है कि राज्य को पिछले साल जो राजस्व प्राप्ति थी, उससे 19 प्रतिशत कम राशि प्राप्त हुई है। यदि हम केन्द्रीय करों के हिस्सों की तुलना करे, वर्ष 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों का अनुमानित 26,403 करोड़ रूपये के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 1 प्रतिशत कम राशि प्राप्त हुई है। मैं यह इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं क्योंकि केन्द्रीय करों का हिस्सा, राज्य के कर राजस्व के हिस्से में जहां केन्द्रीय करों में 1 प्रतिशत की कमी हुई है तो राज्य के कर राजस्व में 19 प्रतिशत की कमी हुई है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य कर की व्यवस्था में पूरी तरफ से फेल्योर हो चुका है और कर राजस्व में इतनी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट का लक्षण मैं बाद में बताऊंगा कि क्या दिखने लगा है और क्या स्थिति बनने लगी है। क्योंकि जो बजट 2386 हजार करोड़ रूपये का प्रस्तुत किया गया है इसमें यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जो उम्मीद लगाये थे क्योंकि जिस समय ये द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2020-21 प्रस्तुत हुआ उस समय पूरे छत्तीसगढ़ को इस बात का अहसास था कि सरकार के आने के बाद कोविड-19 की महामारी के लिए गंभीर प्रयास होंगे। हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा देश और दुनिया तथा हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में भी कोविड को लेकर अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं मगर आश्चर्य होता है कि छत्तीसगढ़ का द्वितीय अनुपूरक आ गया लेकिन कोविड-19 महामारी के आगे के वैक्सीनेशन का क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी क्योंकि बाकी राज्यों ने कोविड के निराकरण के लिए पूरे मरीजों को नि:शुल्क इलाज दिया। मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे राज्य में शत-प्रतिशत मरीजों का सरकार के माध्यम से इलाज किया गया। इलाज के बाद यदि कोई पेमेंट आया तो उसे रिएम्बर्स किया गया था। मुझे लग रहा था कि इस अनुपूरक में कोविड के मरीजों को राहत दी जायेगी कि उनके जो 2 लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक के पेमेंट हैं क्योंकि 10-10 लाख रूपये तक के खर्च से गरीबों के घर बिक गये, उनका इस अनुपूरक में प्रावधान होगा और कम से कम प्रवासी मजदूरों के लिए एक हजार रूपये की राशि की तो जरूरी इसमें व्यवस्था होगी। मुझे इस बात का इस अनुपूरक में ज्यादा भरोसा था क्योंकि छत्तीसगढ़ के गरीबों का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, सरकार बदलने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर सरकार बदलने से उस झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले को अहसास क्या होता है, उस गरीब आदमी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इस अनुपूरक में और इसके पहले के बजट में दिख गया कि गरीबों के लिए जो 5 लाख आवास स्वीकृत थे, उस 5 लाख आवास में 60 एवं 40 का रेशियो था। जो 40 प्रतिशत की राशि यानी 1800 करोड़ राज्य सरकार को देना था वह नहीं दिया इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास की योजना तीसरी किश्त के बाद

बंद हो गई है और ये 5 लाख आवास गरीबों को नहीं मिलेंगे। इस बजट में हम उम्मीद लगाये थे कि गरीबों के लिए कम से कम इस बजट में, इस अनुपूरक में कोई पैसा रखा जायेगा तो उसके लिए व्यवस्था होगी किंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरी कल्पना दूसरी थी। इस सरकार में रहने वाले लोग गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं मगर उसी गरीब, उसी गांव, उसी किसान की बड़ी उपेक्षा होती है। इससे बड़ी उपेक्षा क्या हो सकती है कि 15 साल हमारी सरकार रहते हुए विद्युत कनेक्शन के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ता था। यदि सिर्फ 900 करोड़ का प्रावधान करते तो जो वेटिंग में 36 हजार लोग पंप कनेक्शन के लिए लोग घूम रहे हैं उन 36 हजार लोगों को छः महीने के अंदर गरीबों को पंप कनेक्शन दे दिये जाते। इन गरीबों के लिए न तो कोई चिंता हुई न उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन विषयों को लेकर गांव, गरीब और किसान और उनकी प्राथमिकता को अलग कर दिया गया है। मैं इस अनुपूरक के विषय में चर्चा करना चाहूंगा कि जिस राशि का प्रावधान रखा गया है इस राशि में यदि आप इसको देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूसन कैसे हुआ है। आप देखिए कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 597 करोड़, नगरीय निकाय 350 करोड़, कैंपा निधि जो कि केंद्र की राशि है 200 करोड़, अमृत मिशन 135 करोड़, वृद्धावस्था-दिव्यांग- विधवा पेंशन 88 करोड़, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 78 करोड़, मध्यान्ह भोजन 66 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 32 करोड़ इस प्रकार से लगभग 1900 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार से मिलने हैं। मैं इसको अलग-अलग इसलिए बाईफरकेट करके बता रहा हूं कि इस बात का अहसास होना चाहिए कि 2386 करोड़ रूपये में से 80 प्रतिशत केन्द्र से मिलने वाली राशि है। ये जो ऊपर मैं पढ़ रहा था 15 वें वित्त आयोग के रिकमंडेशन से लेकर आखिरी तक ये 1900 करोड़ रूपये केंद्र सरकार से सीधे मिलना है। यानी 20 प्रतिशत हिस्सा ही है जो राज्य सरकार का है, और इसमें 80 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। इस हिस्सेदारी के साथ मुझे लगा कि गरीबों के लिए सरकार बहुत नारे लगाती है, चिन्तित होती है मैंने ये देखा कि विद्युत शुल्क में 418 करोड़ रूपये की राशि है। मुझे लगा कि पंप के लिए कोई प्रावधान होगा। गरीबों के लिए, उनके घर के कनेक्शन के लिए कोई प्रावधान होगा, विद्युतीकरण के लिए कोई प्रावधान होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रावधान होगा, मगर समझ में आया कि इस सरकार की प्राथमिकता, गरीबों के लिए नारा लगाना अलग है मगर ये 418 करोड़ स्टील उद्योग को विद्युत शुल्क में छूट देने के लिए है ये किसानों, गरीबों के लिए नहीं है। स्टील प्रोड्क्शन के लिए है और इसके साथ ही साथ 207 करोड़ रूपये 2 साल में लिये गये, इसमें भारी कर्ज के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय पिछले सत्र के दौरान मैंने पूछा था और जिसका जवाब आया था। 16 दिसम्बर 2018 की स्थिति में राज्य में 41 हजार 695 करोड़ कर्ज था ये स्थिति 16 दिसम्बर 2018 की है उस स्थिति में 41 हजार 695 करोड़ कर्ज था। आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि 07 दिसम्बर, 2003 जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी तो राज्य में सिर्फ 8 हजार करोड़

हमें कर्ज में विरासत में मिला था। इस प्रकार देखा जाए तो हमने 15 सालों के कार्यकाल में 33 हजार 695 करोड़ कर्ज लिया। ये मैं 15 सालों की यात्रा बता रहा हूँ। जो हमें विरासत में मिला यदि उसको घटा दिया जाये तो केवल 33 हजार 695 करोड़ ही कर्ज लिया। 15 सालों में दूसरे आंकड़े से इसको मिलाना चाह रहा हूँ। 15 साल के कार्यकाल में अधोसंरचना निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय राज्य के कुल आय में से 69 हजार 695 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ, ये खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ। अधोसंरचना निर्माण पर पूंजीगत व्यय हुआ और ऋण का हिस्सा 33 हजार करोड़ था ये मैं इसलिये बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति, वित्तीय स्थिति आज क्या है और उस समय वर्ष 2003-2004 में बजट का आकार 9 हजार 270 करोड़ का था वित्तीय घाटा 1 हजार 923 करोड़ का था, सकल घरेलू उत्पाद का जो 5.4 प्रतिशत था वर्ष 2005 में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए, हमने जी.एस.डी.पी का 3 प्रतिशत तक इस घाटे को सीमित करके रखा। इस सरकार की स्थिति को तुलनात्मक इसीलिये कर रहा हूँ इस सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय घाटा 18 हजार करोड़ से अधिक हो गया। राजस्व घाटा 9 हजार करोड़ से अधिक हो गया। यह राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। वित्तीय घाटा 5.4 प्रतिशत बढ़ चुका है। ये ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है पहले 2 प्रतिशत था अब 5 प्रतिशत हो गया है। मगर आज छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि जी.एस.डी.पी का 5.4 प्रतिशत वित्तीय घाटा हो गया है और यह स्थिति उस समय की स्थिति जो वर्ष 2003 की स्थिति थी वह स्थिति आ चुकी है। 2 साल के कार्यकाल में राज्य का कर्ज ये 2 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ। 2 साल में कर्ज की स्थिति ऐसी बढ़ी कि 67 हजार करोड़ रूपये से अधिक का कर्ज हो गया है अर्थात् 2 वर्षों में 26 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया। पूंजीगत व्यय वर्ष 2017-18 में 10 हजार करोड़ से घटकर 8 हजार 600 करोड़ हो गया। इस वर्ष 2020-21 में अक्टूबर माह में महालेखाकार के आंकड़ों के अनुसार पूंजीगत व्यय मात्र 3 हजार 447 करोड़ रूपये था। ये गिरावट की परिकाष्ठा है या पूंजीगत व्यय में गिरावट होने का मतलब यह होता है कि निर्माण, विकास, इंफ्रास्टक्चर के काम के लिए आप बजट 1 लाख करोड़ का बताते रहिए मगर काम के लिए आपके पास पैसे कितने हैं। 3 हजार 447 करोड़। इसका मतलब है कि सरकार का कर्ज लेकर केवल राजस्व का व्यय बढ़ता जा रहा है और इस राजस्व के व्यय में राज्य की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को हर वर्ष अधिक से अधिक राशि दी जा रही है। वर्ष 2019-20 में 40 हजार करोड़ रूपये दिये गये और वर्ष 2020-21 में राज्य को अभी तक 22 हजार करोड़ की राशि दी गई है। जो राज्य के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपनी आय बढ़ाने में विफल रही है मैंने राज्य सरकार के आंकड़े और केन्द्र सरकार के आंकड़े बताये कि केन्द्र से जो राजस्व मिलता है और राज्य सरकार के खुद के राजस्व में कैसे गिरावट आयी है। इससे बड़ा मिशाल कुप्रबंधन का नहीं हो सकता। क्योंकि आज यह स्थिति आ गई है कि जो

कमिटेड व्यय है ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको देना मेनडेट्री है जैसे वेतन है, पेंशन है, कर्ज है ब्याज भुगतान है ये सारे विषयों में सरकार की यह स्थिति है कि कर्मचारियों को रूक-रूक कर इंतजार करना पड़ रहा है और कहीं-कहीं तो संविदा कर्मचारियों को रेग्युलर वेतन मिलना बंद हो गया है । हमको लगता था, इस सरकार का बड़ा कमिटमेंट है। हर सभा में, हर भाषण में मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री एक ही नारे जोर-जोर से लगाते हैं- नरवा, गरवा,घुरूवा, बाड़ी। अब ये नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी बजट में कहां है संगवारी। न अनुपूरक बजट में है, न बजट में हैं। यदि आपकी प्राथमिकता है, इस प्रदेश में यदि आप इसको इतना टाप प्रायरटी में देना चाहते हैं तो इस पूरी किताब में में उसका उल्लेख क्यों नहीं है? बजट में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? केवल 40वें वित्त आयोग के भारत सरकार की योजनाओं में या आपके नरेगा की योजनाओं से पूरे छत्तीसगढ़ के 19800 गावों तक इस योजना को ले जाना चाहते हैं। क्या यही हमारी प्राथमिकता है कि इस प्राथमिकता के आधार पर इतनी बड़ी योजना को न बजट में छुआ गया और न इस अनुपूरक बजट में छुआ गया? हमको ये लगता है कि चलिये कर्ज ले रहे हैं, अच्छी बात है। कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर किसानों को पैसा दे रहे हैं। एक बार में ही कर्ज ले लो। 2500 रुपये समर्थन मूल्य किसानों को देना है, हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ कि एक बार धान खरीदी हो गई, एक साल हो गया, सवा साल हो गया, डेढ़ साल बाद पेमेन्ट होगा। दूसरी वर्ष की धान की खरीदी हो गई, उसका डेढ़ साल, दो साल बाद पैसा दिया जायेगा। यदि किसी व्यापारी को कोई व्यक्ति धान बेचता है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉ. साहब, हमारे यहां 2500 रुपये तो समर्थन मूल्य मिल ही रहा है, आप तो 2100 रुपये, 270 रुपये और 300 रुपये बोनस देने की घोषणा किये थे, उसका तो नहीं मिला। हमारी सरकार जब तक रहेगी, तब तक मिलेगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ननकीराम कंवर :- बोनस का क्या हुआ?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय न्याय योजना को बहुत प्रचारित प्रसारित किया गया। एक बार में कर्ज लें और कर्ज लेकर पूरा का पूरा निराकरण कर दें तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आज प्रदेश की हालत यह है कि विद्या मितान को छः महीने से तनख्वाह, नौकरी नहीं मिली। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। 60 फेडरेशन के कर्मचारी सरकार के डी.ए. और दूसरी योजनाओं को लेकर आंदोलन के लिए सड़क में उतर आये हैं। पंचायत कर्मी, सोसायटी में कर्मचारी, इन सबका आंदोलन तो चल ही रहा है। इसके साथ ही साथ जो आंकड़ें बताये हैं, नवयुवकों को बहुत बड़ा भरोसा दिया गया। युवकों को इंतजार करते हुए 2 साल हो गया। दो साल इंतजार करते-करते उनका फार्म भरा गया, मैं भी हूं बेरोजगार, गांव-गांव में 25 लाख नवयुवकों के फार्म भराये गये। आज जो विधानसभा में जानकारी आई है, उस जानकारी के अनुसार 18 लाख 90 हजार पंजीकृत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं। यदि 18 लाख 90 हजार पंजीकृत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं, 24 महीने निकल गये, यदि इन 24 महीनों का हिसाब-किताब लगाया जाये तो

11,360 करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर युवकों का चढ़ गया है। वह इंतजार करते-करते थक गये कि उनकी वह राशि उनको मिल जाये और उस राशि का वह उपयोग कर सकें। नवयुवकों को, किसानों को कहा गया। किसानों के बड़े-बड़े वादे किये गये। दो साल का 11 हजार करोड़ की राशि के बोनस का इंतजार किसान दो साल से कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र में लिखा है। यह मैं कोई अलग से हटकर बात नहीं बोल रहा हूं। जब भी बजट, अनुपूरक बजट आता है, किसानों को लगता है कि बजट आ गया है, शायद हमारे लिए घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए कुछ बात होगी और कुछ काम किया जायेगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जायेगी। मगर मुझे लगता है कि इनके लिए बजट में भी प्रावधान नहीं किया गया है। उसके साथ ही साथ दिक्कत ये है कि आपने बड़ी-बड़ी घोषणायें एक साथ कर दीं। महिलाओं को, हमारी बहनों को कह दिया कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर देंगे। घोषणापत्र में लिखा कि पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, गीता, गंगाजल लेकर कसम खाई, मगर उसकी कसम खाने के बाद भी आज स्थिति ये है कि दो साल आने के बाद मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट ही पर्याप्त है, छत्तीसगढ़ के सब लोगों कों इनकी भावना का समझाने के लिए कि शराबबंदी कर देंगे, यदि शराब बंद कर देंगे तो लोग ड्रग की ओर चले जायेंगे। क्या उस समय नहीं मालूम था कि शराब बंद कर देंगे तो ड्रग, अफीम की ओर लोग चले जायेंगे? आज जुआं, सट्टा, अफीम, ड्रग गली-गली में इतना पनप गया है कि उसको रोकने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। शराब बंद करोगे तो कम से कम एक चीज बंद हो जायेगी। जुंआ, स्ट्टा, अफीम, भांग, चरस ये पूरे हिन्दुस्तान से आ रहा है, इस बात को रोकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो कुल प्रावधान 2368 करोड़ है, आप इसका एक दूसरा एनालिसिस देखिये । एनालिसिस करने से यह समझ में आता है कि इतना बड़ा भारी-भरकम स्ट्रक्चर दिखता है कि इसमें 2368 करोड़ में 133 करोड़ ही पूंजीगत व्यय है । इस सरकार की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रबंधन का इससे बेहतर नमूना और कहीं पेश नहीं हो सकता कि इनके पूरे के पूरे 2886 करोड़ में 133 करोड़ ही पूंजीगत व्यय है । शेष 2253 करोड़ राजस्व व्यय है और जो कि वित्तीय राजस्व घाटे से अधिक बताया गया है । यदि छत्तीसगढ़ में यह हालत होती, बजट में यह हालत होती है और इस प्रकार वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सारे निर्माण के काम, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर गरीबों की सारी योजनाएं जिनको बंद करने के लिये आप मजबूर हो रहे हैं, छोटी-छोटी योजनाओं को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यदि इन सारी योजनाओं को यदि देना है तो उसका बेहतर उपाय यही है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये जयादा से ज्यादा राशि और छत्तीसगढ़ का 15 सालों में डेवलपमेंट में जो स्पीड आयी थी उसको यदि कंटीन्यूटी देते । आज सड़कों का केवल ए.आर. एनुअल रिपेयर कर लेते, नयी सड़कें नहीं बनेंगी, नये स्कूल नहीं बनेंगे, नये कॉलेज नहीं बनेंगे, ठीक है । कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो ठीक है । जहां पूरे छत्तीसगढ़ में 60,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है । मेडिकल कॉलेज नये बन चुके हैं,

महाविद्यालय नये बन गये हैं, उसमें जो पोस्ट खाली हैं उसको भरने का तो काम करें । मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे ईशारा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे बाद बहुत से लोग बोलेंगे लेकिन इस अनुपूरक का मैं विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय :- विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम-23 के अनुसार अंतिम ढ़ाई घंटे अशासकीय कार्य के लिये नियत है, तदनुसार कार्यसूची के मद-7 का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांग संख्या - 1 से लेकर 81 दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रूपये की जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह मांग क्यों की गई है । माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हमारे प्रदेश को कैसे उंचाईयों तक ले जायें, कैसे हम बेहतर बना सकें इसके लिये यह पैसे की मांग की गई है ।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार मूल बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग रखी थी । उस पैसे का कैसे सदुपयोग हुआ है, उस पैसे का कैसे हमारे प्रदेश के और बस्तरवासियों को लाभ मिला है उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं । बस्तर में अभी हमारे भाई-बहन जंगल में जाकर तेंदूपत्ता तोड़ते थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकर आ रहे हैं ।

श्री संतराम नेताम :- अलग से बैठेंगे तो मैं उसको भी बताउंगा न । माननीय सभापति महोदय, केवल और केवल हमारे माननीय चंद्राकर जी का ध्यान भटकाना कि बस्तर के विकास के लिये मूल बात न आये ।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है संतराम नेताम जी, हम जब उधर होते थे तो आप और मरकाम जी आग उगलते थे । सी.एफ. कोई आपके कहने से हट नहीं रहा है, रोज आपकी नाराजगी की खबरों से रहता है । आप मुझे समझाना, आप पढ़े-लिखे लड़के हो । जितना छपा है उतना 100 रूपये में कैसे सड़क बनेगा ?

श्री संतराम श्री नेताम :- उसको अलग से आपको फिर बता देंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बस्तर में...।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री संतराम जी, आज माननीय अजय चंद्राकर जी ने संसदीय कार्यमंत्री जी का एक नया नामकरण किया है जादूगर आनंद तो जादूगर आनंद का कमाल थोड़ी होगा कि 100 रूपये में सारी सड़कें बन जायेंगी ।

सभापति महोदय :- चलिये, संतराम जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बस्तर को मुख्यमंत्री जी कैसे आगे ले जाना चाहते हैं । वहां जानते हैं कि धान की खेती ज्यादा नहीं होती, मक्के की खेती भी थोड़ी होती है परंतु वनोपज वहां पर हम ज्यादा संग्रहण कर पाते हैं । वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली बार 2500 रूपए प्रति मानक बोरा खरीदी को बढ़ाकर सीधे 4000 कर दिया । इसके पीछे कारण है कि वहां के लोगों को कैसे मजबूत कर सकें, वहां के पिछड़े भाईयों को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें ? इसलिए उन्होंने 2500 रूपए से बढ़ाकर सीधे 4000 हजार किया है । इसलिए पैसों की मांग की जा रही है । सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मैंने वहां के डी.एफ.ओ. को बुलाकर पूछा कि आपने 4000 में खरीदी की तो प्रति मानक बोरा का क्या आंकड़ा और क्या बजट बना ? तो उन्होंने बताया कि इसकी खरीदी में उल्टाई-पल्टाई, दुनियादारी, उठाव तक एक समिति का खर्चा कहीं 5600, कहीं 5700, कहीं 5800 आता है । हर मानक बोरा के पीछे सरकार का 1500, 1600 रूपए अतिरिक्त खर्च हुआ । जब बिक्री हुई तो 2-3 समितियों को छोड़कर सभी घाटे में गई, 3600, 3500 में बिक्री हुई । घाटे में होने के बाद भी वहां के लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने मूल बजट में पैसा लिया और इसका पूरा-पूरा उपयोग हुआ । आज जो राशि ले रहे हैं 200 करोड़, वह भी इसी काम के लिए ले रहे हैं । इनके 15 सालों के कार्यकाल में जब मैं विधायक हुआ करता था । मैं एक गांव धनोरा गया, मैंने देखा कि पैसों का कैसे दुरूपयोग होता है । अभी हमारे विपक्ष के साथ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे । मैं वहां की एक सभा में गया तो वहां एक महिला से पूछा कि आपने तेंदूपत्ता तोड़ा है, आपको बोनस का पैसा मिला या नहीं । उसने छत्तीसगढ़ी में मुझसे कहा - काय करबो विधायक जी, बोनस तो मिलिस लेकिन नगद पइसा नइ मिल पाइस अउ चप्पल भी एक पैर के 6 नम्बर, दूसर पैर के 9 नम्बर । हमने देखा है इन्होंने बजट का कैसा दुरूपयोग किया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सोच को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही काम के लिए पैसे की मांग की है । विपक्ष को हर्ष के साथ सहयोग करना चाहिए । सवाल इस बात का है कि एक मुखिया की सोच क्या होना चाहिए ? 80 प्रतिशत लोग प्रदेश में धान की खेती करते हैं, 2013 के संकल्प पत्र में मैंने देखा था । जब मैं प्रचार में गया तो पता चला कि इन्होंने 2100 रूपए धान का समर्थन मूल्य और 300 रूपया बोनस देने की बात कही है । हम विपक्ष में रहकर 2100 रूपया समर्थन मूल्य और 300 रूपया बोनस देने की बात करते रहे और क्या हुआ इसको पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है ।

श्री रामकुमार यादव :- संतराम भइया, जर्सी गाय घलो रिहिस का ? उहु ला बता।

श्री संतराम नेताम :- आज तक इन्होंने कितने लोगों को गाय दी वह भी पूरे प्रदेश की जनता जानती है । किसानों की आत्महत्याओं के विषय में जब मुद्दा उठाया गया तो मूल बात यह निकलकर आई कि किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं । इसलिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय लिया और घोषणा पत्र में शामिल किया कि हमारे प्रदेश के किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए, उनके बोझ को कम करने के लिए 11 हजार करोड़ का ऋण माफ किया, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है । इन्होंने बहुत कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपया देंगे लेकिन प्रदेश की जनता की बात उन्होंने नहीं सुनी । अभी हमारे विपक्ष के साथ कह रहे थे कि आपने धान की कीमत 2500 रूपये क्यों नहीं दी । विपक्ष के साथी भी जानते हैं कि किस कारण से हम 2500 रूपए एक साथ उनके खाते में नहीं डाल रहे हैं । 1815 और 1835 क्यों डाल रहे हैं यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है । अगर इनकी सोच होती तो ये केन्द्र सरकार को पत्र लिख सकते थे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने जो वायदा किया, स्वर्गीय राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उन्होंने कहा कि हम किसानों को न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे ।

समय :
3:00 बजे

हम किसी न किसी रूप में उन्हें पैसा देंगे। पिछली बार भी हमने 2500 रूपये दिये, इस बार भी 3 किश्त दे चुके हैं। चौथी किश्त भी बीते वर्ष से पहले देने की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है। प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम यदि कोई करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी करती है। आज इसी सदन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 5 साल तक जनता ने हमें चुना है। 5 साल तक हम 2500 रूपये की दर पर धान की कीमत देंगे। ये सोच होनी चाहिए। चाहे किसी भी दल का हो, एक जनप्रतिनिधि की क्या सोच होनी चाहिए, वह यहां सदन में दिखता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का हमारे विपक्ष के बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया और आज मैंने अपने विधान सभा में देखा कि बहुत सारी हमारी महिलाएं बहन जो स्व-सहायता समूहों में काम करती हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं- एक लीहागांव गोठान है, एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं डेली 02 क्विंटल कम से कम मैं बेचता हूं और उससे मैं पढ़ाई करता हूं। वहां गोबर बेचने के लिए मेला टाइप लगा रहता है। कम से कम एक रोजगार देने का काम हुआ है। गोधन न्याय योजना के तहत एक अच्छा काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया है कि लोगों को एक रोजगार दे रहे हैं। गांवों में आप देखिए कि बहुत से लोग जो मजदूरी करते थे आज वे छोड़ दिये हैं और गोबर बीनने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक नरवा की बात कह रहा हूं। नरवा छोटा शब्द जरूर लगता है, मगर हम उसमें गहराइयों में जाएं, अगर हकीकत में जायें तो नरवा के अंतर्गत छोटे-छोटे नालियों को रोककर अगर हम काम करें और

उसके पानी को रोके और उससे सिंचाई करें तो उससे किसान को, हमारे भाई और बहन को एक निश्चित तौर पर दोगुना लाभ मिल सकता है। वह दो फसल ले सकता है। तीन फसल ले सकता है। इस स्लोगन को हमारे कुछ साथियों ने केवल मजाक बनाने का काम काम किया है, लेकिन आने वाले समय में यह नरवा हमारे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनकर रह जायेगा। प्रदेश के लिए हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रकार से हमारी योजना का लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं राशनकार्ड के बारे में बताना चाहता हूं। हम पिछली बार इधर बैठते थे। एक व्यक्ति के लिए 7 किलो, 2 व्यक्ति के लिए 14 किलो और 3 व्यक्ति के लिए 21 किलो, जबकि वादा किया गया था कि प्रत्येक राशनकार्ड में हम 35 किलो चावल देंगे। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि इन्हें उन भाई बहनों के राशनकार्डों को काटना पड़ा और एक व्यक्ति के पीछे 7 किलो, दो व्यक्ति के पीछे 14 और तीन व्यक्ति के पीछे 21 किलो किया और आज हमारी माननीय भूपेश बघेल की सरकार, खाद्य मंत्री और सारे मंत्रियों की एक सोच कि बस्तर में कोरोनाकाल में भी प्रत्येक राशनकार्ड में 35 किलो और ज्यादा है तो 35, 40 और 50 किलो, गोमड़ा नाम के पंचायत के राशन कार्ड का जब मैंने निरीक्षण किया तो उस सेल्समेन ने मुझे बताया कि इस बार हम कोरोनाकाल में 95 किलो तक चावल देने का काम किया है। तो यह सरकार की सोच होनी चाहिए। ये सत्यापन के नाम पर राशन काटने वाले लोग आज इसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि यह पैसा देना चाहिए। क्योंकि जनता के हित में लगने वाली बात हो रही है। प्रदेश को मजबूत बनाने का काम हो रहा है। हमारे भाइयों एवं बहनों को आर्थिक रूप से आगे ले जाने का यह काम कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि छत्तीसगढ़ में आज हमारे भूपेश बघेल जी जो योजना चला रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई इनाम मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अलग स्थान होना चाहिए। कौन से दल से कौन आता है। हमारी एक ही सोच है कि हमारा छत्तीसगढ़ आगे कैसे बढ़े। हमें छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाना है? यह सोच होनी चाहिए। बस्तर प्राधिकरण के अंतर्गत पिछली बार जब हम बस्तर प्राधिकरण में रहे तो हमें कम पैसा दिया जाता था, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को यहां से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी सोच को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछली बार बस्तर प्राधिकरण का जो मुखिया हुआ करता था, वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज बस्तर का विकास कैसे होना चाहिए। बस्तर को किस दिशा की ओर ले जायेंगे? वहां की सड़क और पुल-पुलिया कौन बनायेगा, इसका अगर कोई निर्णय लेगा तो वहां के विधायक लेंगे। ऐसी सोच के कारण वहां के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ विधायक को मिला है। वहां के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है। इस प्रकार से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। आज आप देख लीजिए हमारे बस्तर प्राधिकरण में हम एक साथ बैठकर वहां जब निर्णय लेते हैं कि वहां का पुलिया कैसे बनेगा? वहां का सी.सी. सड़क कैसे बनेगा? वहां के आदिवासी भाइयों की शीतलागुड़ी कैसे बनेगा, ये हम निर्णय लेने

का आज काम कर रहे हैं । इसलिए पैसा मांगा जा रहा है इसलिए मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो अनुपूरक बजट मांगा गया है, वह देना चाहिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम जी, आनंद ही आनंद है ।

श्री संतराम नेताम :- वह तो रहेगा ही । सब कुछ अच्छा हो रहा है ।

सभापति महोदय :- संतराम जी, आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया या बोलेंगे ? आप अच्छा बोल रहे हैं । कितना समय लेंगे ?

श्री संतराम नेताम :- दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं । सभापति जी, हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में भी मीडिया और समाचार-पत्रों में छपा कि छत्तीसगढ़ की सरकार का काम करने का तरीका कैसा है । हमारे जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने रिस्क लेते हुए जिम्मेदारी के साथ काम किया । पिछली बार हमारे बस्तर के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने के कारण प्रदेश से पलायन कर जाते थे। बोर गाड़ी में काम करने के लिए तमिलनाडू, हैदराबाद, कनार्टक जैसी जगह में जाते थे। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता और यहां के बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने के कारण यहां के बेरोजगार जब दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए गए, जब कोरोना का समय आया, तब हमें समझ में आया कि इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कितने लोग अपना जीवन-यापन करने के लिए जाते हैं और जितने लोग भी बस्तर में आये, उन सभी लोगों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने सुविधा दी । आपने सुना होगा कि यहां से पलायन करने वाले लोग 26 हजार थे और बाहर से आने वाले लगभग 7 लाख लोग थे । उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सोच को, छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत को, यहां के हमारे भाई-बहनों की मानवता को देखते हुए वे लोग वापस लौट गए । मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं और मैंने सुझाव भी दिया कि अगर वे बेरोजगार यहां आये हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने देना है तो उनके लिए एक छोटा-छोटा उद्योग होना चाहिए, उनके हाथों में काम होना चाहिए । नहीं तो वे जंगल की ओर जाएंगे, उनके हाथों में बंदूकें होगी । इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात कह दी कि जो भी बेरोजगार बस्तर में आये हैं, अगर उनको रोकना है तो रोजगार देना पड़ेगा । ऐसा मेरी सोच है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे कलेक्टरों को लिखित में निर्देश दिया कि चाहे वनोपज में हो, चाहे गोठानों में हो, चाहे कोई भी हो, उसको रोजगार से जोड़ना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सुपोषण की बात कर रहा हूं । खनिज न्यास निधि का कितना दुरूपयोग हुआ । उससे सुकमा के डी.एफ.ओ. ने अपने घर में स्वीमिंग पुल बनवा लिया था । बस्तर में जो बच्चे कुपोषित हुआ करते हैं, उनके लिए खजिन न्यास निधि से गरम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं । वह पैसा मानव जीवन के लिए काम आ रहा है । जब आदमी जिंदा रहेगा, तब महल बनाएगा और पुल बनाएगा। आज पैसे का उपयोग हो रहा है तो खनिज न्यास निधि के पैसे का उपयोग हमारे बस्तर

के बच्चों के लिए, आदिवासियों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के भाईयों और बहनों के लिए हो रहा है । आज कुपोषण की स्थिति दिनों-दिन सुधरती जा रही है । इसीलिए पैसा देना चाहिए । मैं तो इसका पूरा समर्थन करता हूं । आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मूल बजट, अनुपूरक बजट पेश करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और इतना विराट बहुमत है कि वह पास होना भी उतना ही सत्य है, जितना मैं बोल रहा हूं, लेकिन बजट का असर भी दिखना चाहिए । मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए सिर्फ एक-दो बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री तो सदन में नहीं हैं, सिर्फ टी. एस. सिंहदेव साहब, उमेश पटेल जी, अनिला भेंडिया जी हैं । जिनके बारे में बोलना है, वह तो नहीं हैं । वर्ष 2018-19 की बजट में मेरे विधान सभा की 5 सड़कों को शामिल किया गया और यह शासन स्तर पर, शासन स्तर पर लिखकर जानकारी आई है । वर्ष 2019-20 में, दो सड़कों को और 2020-21 में 6 सड़कों का है। इसमें से सिर्फ एक सड़क की स्वीकृति 14.10.2020 को प्रशासकीय स्वीकृति आयी है। बाकी सब सड़कों का जो जिक्र है, बजट में शोभा बढ़ाने के लिये किया गया है। सिंचाई विभाग के बजट में भी कुछ शोभायमान वस्तुएं वहां विराजित हैं। 4 छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजना है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जल संसाधन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। शासन को भेजा गया है, जल संसाधन में प्रक्रियाधीन है। इस तरह से अगर बजट में प्रावधान करके उसके साथ व्यवहार किया जायेगा, हम समझ सकते हैं कि बजट का कोई खास मायने नहीं है। सभापति महोदय, आप चाहे कितने भी रूपये का बजट प्रावधान कर लीजिए, जिस प्रदेश में अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी तो वह बजट अमल में नहीं लाया जा सकता। इस प्रदेश में बहुत पुरानी समस्या नक्सलियों की है और अभी पिछले कुछ दिनों से लूट, खसोट, चोरी, आत्महत्या, अपहरण, गैंगरेप ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा विद्यमान हो चुकी है जिसके कारण एक शांति का वातावरण जो बनना चाहिए था वह नहीं बन पाया है। यहां तक भी रहता तो ठीक है, पुलिस तो अपना काम कर रही है लेकिन पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में नाइजीरियन कनेक्शन ड्रग्स पैडलर्स मुंबई, दिल्ली और गोवा से छत्तीसगढ़ से जुड़ गये हैं। छत्तीसगढ़ की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिये तबाह करने के लिये जो ड्रग्स का सप्लाई है, वह छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से बढ़ा है। पुलिस ने उसमें बहुत अच्छी कार्यवाही की है, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं लेकिन इस पूरे ड्रग्स के मामले को सरकार के बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री लोग, जब तक पुलिस को खुली छूट दे करके कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक ये ड्रग्स के नासूर को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा और अगर ये ड्रग्स का नासूर बढ़ गया तो हमारे छत्तीसगढ़ की पीढ़ी बर्बाद हो जायेगी। मुख्यमंत्री जी का एक काम मुझे बहुत अच्छा लगा जिसकी मैं तारीफ भी करना चाहता हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 23 तहसीलों की घोषणा की। राजस्व मंत्री जी भी

बधाई के पात्र हैं। उन्होंने 23 तहसील खोला, ये आंकड़े में 23 लगते हैं, लेकिन इन तहसीलों के खुलने से गांव के लोगों को जितनी सुविधाएं मिलती है, उनके लिये कितनी बड़ी सौगात है, इसका एहसास हम करते हैं। सभापति महोदय, इस दौरान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पात्रता रखने के बावजूद भी तहसील बनने से वंचित हो गये हैं। राजस्व मंत्री जी हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उप तहसील कुंडा जिला कबीरधाम में है। मध्यप्रदेश के समय से ही वहां उप तहसील है। इसके अंदर दो राजस्व निरीक्षक मंडल आते हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 60 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं और इसमें अधिकांशत: अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है। प्रशासनिक तौर पर कुंडा उप तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिये मैं आपसे मांग करता हूं। आप अगर इसे स्वीकृत करेंगे तो आजीवन आप लोगों को कुंडा क्षेत्र के लोग याद रखेंगे, भूपेश बघेल जी को याद रखेंगे। क्योंकि पंडरिया मेरा गृह ग्राम है। कुंडा को मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। अगर आप कुंडा का हक दे देंगे तो मैं स्वयं बहुत कृतज्ञता आपके प्रति ज्ञापित करूंगा और इसी सदन में आपको इस नेक काम को करने के लिये बधाई भी दूंगा। मैं राजस्व मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पर जरूर विचार करें। मैं आपको यह पत्र भी थोड़ी देर में समर्पित करने वाला हूं। आप अभी और भी तहसील बनाने वाले हैं, ऐसा पता चला है तो उसमें कुंडा को तहसील का दर्जा प्रदान करने हेतु इसे भी शामिल करने का कष्ट करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक भैसाडभरा गांव गया था, यह पंडरिया ब्लाक में है। वहां मेरे एक पुराने मित्र बड्डू बैगा से मिलने उसके घर गया था। चूंकि मैं वहां 10 साल विधायक रह चुका हूं। तो उसने मुझे अपने घर के खाट पर बैठाया और बताया कि भैय्या, कृषि विभाग के लोग तालाब तारबंट बनाये थे, उससे हमारी सिंचाई होती थी। वह फूट गया है। अगर हम उसमें थोड़ा सा मरम्मत करा देंगे तो आठ सौ एकड़ में सिंचाई हो जायेगी। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से बात की है, वह उसे जरूर देखेंगे। उसने फिर एक छोटी सी समस्या बताई। मैं उस गांव का उदाहरण देकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार को इन्हीं नीचे के स्तर पर जाकर कम से कम अधिकारियों के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए। उनकी छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं, कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। उनको न कोई आंदोलन से मतलब है और न उनको कोई विरोध से मतलब है। वे आपके लोग ही हैं। उन्होंने कहा कि हम अंधेरे में रहते हैं। अगर हमारे गांव में 4 बिजली के खम्भे लग जाये, हमको उजाला मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारा गांव आदिवासी बैगा बाहुल्य गांव है। वहां पर पी.डी.एस. का गोदाम जर्जर हो गया है, वह पहले बना था, वह बनवा दीजियेगा। मैंने तो अपनी तरफ से कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि डी.एम.एफ. के मद से करा सकते हैं, तो ये दोनों काम जरूर कर दीजियेगा। सिंचाई वाले में 50 लाख रूपया लगेगा, तो उसको सिंचाई मंत्री जी से बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे पूरे प्रदेश में विद्युत कनेक्शन के नाम से मारामारी मची हुई है। आपको विद्युत कनेक्शन के लिए पैसे का प्रावधान करना चाहिए। ताकि कम से कम किसान को बिजली कनेक्शन के नाम से भटकना न पड़े और प्रतीक्षा न करना पड़े। अगर किसान विद्युत कनेक्शन लेगा, तो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अनाज पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा और उसकी आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी। जब आप किसान और किसानों की बात करते हैं, तो आपको नीचे स्तर पर इन समस्याओं को अपने संज्ञान में जरूर लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के बच्चे पटवारी हैं, सचिव हैं, वे हड़ताल पर बैठे हैं। मुझे उनके हड़ताल में जाने का मौका मिला। उन लोगों ने अपनी मांग आपको भेजी है, हम लोगों का भी समर्थन लिया। आप उस पर भी विचार करके जरूर कुछ निर्णय ले। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, मैं आपके आयुष के कार्यक्रम में भी गया था। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लोरमी के एक रेस्ट हाऊस में बैठा था, उसी रेस्ट हाऊस में आयुष का एक कैम्प लगा। उसमें 25 प्रकार की दवाईयां थी, डाक्टर लोग थे। वे लोग मुझे बोले कि आप धनवन्तरी जी में दीप प्रज्ज्वलित करिये, मैं वहां गया, उनसे बात की, उनकी तरीफ की, उनको प्रोत्साहित किया कि कम से कम वे गांव के जरूरतमंदों का ईलाज कर रहे हैं। उन लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। डाक्टरों ने बताया कि वे संविदा नियुक्ति में हैं और उनको सिर्फ 40 हजार रूपया वेतन मिलता है। आपको कृपा करके डाक्टरों के लिए तो ज्यादा तनख्वाह रखना पड़ेगा क्योंकि उनको गांव में काम करना है। अगर उनकी तनख्वाह कम होगी, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मुझसे पुलिस के जवानों ने भी मुलाकात की। उन्होंने 2800/- रूपया ग्रेड पे करने की मांग की है। उनके मांग के समर्थन में पचासों विधायक और सांसद सब लिखकर भेजे हैं, आप उनका भी ख्याल रखिये। होमगार्ड का वेतनमान भी कम है और वे बंधुआ मजदूर के समान काम करते हैं। आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए। पंडरिया के शक्कर कारखाना के कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। कोरोना काल में जब बड़े-बड़े उद्योगपति अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के शक्कर कारखाने में छत्तीसगढ़ के बच्चों को नहीं निकाला जाना चाहिए। क्योंकि उनके घर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जायेगी। आप उन्हें वहां रखने के लिए आदेश देने का कष्ट करेंगे। सभापति महोदय, मैं बिलकुल किसी भी परिभाषा में न पड़ते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करूंगा कि उन्होंने कुछ विभागों में छत्तीसगढ़ के लोगों के भर्ती का आदेश दिया है। मैं इसमें चाहता हूं कि तेलंगाना, दूसरे राज्यों के समान छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ही यह कानून लाया जाये कि छत्तीसगढ़ नौकरियों पर छत्तीसगढ़ के बच्चों का अधिकार होगा और हम उसे पूरा करेंगे। आप कार्य संस्कृति पैदा नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी काम अपने समय पर पूरा नहीं होता है। इनके समय में जो नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ था, मुझे उम्मीद थी कि आप उसे दो साल में पूरा कर देंगे। आज भी उसमें सांप के समान चलना पड़ता है। इधर से जाओ, उधर मुड़ो फिर उसी मे इस तरह से गाड़ी जा

रही है इधर जा रहे हैं फिर सांप के समान मुड़ना है। उसकी क्वालिटी एकदम खराब है। कोई काम समय पर नहीं होता है चाहे छोटा सा पुल हो या बड़ी सी सड़क हो। इन सब कार्य संस्कृति को आपको मानिटरिंग करना होगा। आप बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे रहे हैं। आपको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था, यह आपके वचनपत्र में है। बेरोजगार नौजवान हर बजट में यह उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग में वन्य प्राणी असुरक्षित हैं। आज ही अखबार में छपा है कि हाथी और शेर की मौत के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ पांचवे स्थान पर है। आपको अपने वन विभाग के अमले को टाईट करना चाहिए। वन विभाग के अमले को बजाय गरीबों को मारने-पीटने के चोर और तस्करों को मारने-पीटने और जेल भेजने की कार्यवाही के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन अफसोस ये होता है कि वहां के जो रेंजर या एस.डी.ओ. हैं या जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं वह गांव के गरीबों को ही मारने-पीटने में अपनी बहादुरी समझते हैं और समझते हैं कि वह बहुत सक्षम लोग हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जंगल में रहने वाले गरीब सबसे ज्यादा बेबश हैं। आदिवासी सबसे ज्यादा सीधा-साधा है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और वहीं पर उन्हें एक नारकीय जीवन जीने के लिए वन विभाग अपने कानूनों का सहारा लेता है। ये बहुत ही ज्यादा लज्जाजनक और दुखदायी है। सभापति महोदय, उनका मूलभूत सुविधा से वंचित कर दिया गया है। मुझे खुशी है कि नये चीफ सेक्रेटरी यहां पर आज पहली बार एज ए चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं। अचानकमार टाईगर रिजर्व के 19 गांवों के आदिवासियों का सिर्फ ये जुर्म है कि उनके अचानकमार टाईगर रिजर्व को आपने टाईगर रिजर्व बना दिया। कलेक्टर के द्वारा मंजूर पैसे से न तो वहां स्कूल बनाने दिया जाता है, न उनको सी.सी. रोड बनाने दिया जाता है, न नाली का काम होता है और तो और उस दिन मैं कलेक्टर के यहां बोला कि वहां के गांव के लोगों को पेयजल की समस्या है मैं नल खोदने के लिए 7 लाख रूपये दे रहा हूं तो कलेक्टर के सामने पी.एच.ई. का अधिकारी बेबशी जाहिर किया कि सर आप पैसा भी दे देंगे तो हमारे रिंग मशीन को वह लोग जप्त कर लेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि यह डेमोक्रेशी है। दुनिया की कोई भी कोर्ट, दुनिया का कोई भी कानून, दुनिया का कोई भी फरमान किसी भी गरीब को पीने के पानी से, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित नहीं कर सकता तो फिर क्या कारण है कि कलेक्टर द्वारा मंजूर काम को वन विभाग का एक अदना सा एस.डी.ओ. नहीं करने देता। फिर क्या कारण है कि पेयजल के लिए खोदे जाने वाले रिंग मशीन को जप्त करने की धमकी दी जाती है। मैंने वन मंत्री जी से भी कहा है। मैं इस बजट के बहस में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि आप दोनों कृपा करके जितने भी टाईगर रिजर्व या अभ्यारण्य हैं वहां के विधायकों और वहां के कलेक्टरों के साथ आप मीटिंग लीजिए और उन गरीब लोगों को मौका दीजिए कि उनके यहां भी छोटे-मोटे काम हों। जिस दिन आपको उनको हटाना है आप हटाईये ना। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आप हटाईये, हम उनको हटवाने के लिए चलेंगे लेकिन इसके लिए आपके

पास पैसा होना चाहिए। पैसा है नहीं, प्रोग्राम भर है और उसके भरोसे में उनको जीने खाने और मूलभूत सुविधा से वंचित कर देना अन्याय है। इस पर आप जरूर विचार करियेगा। एक गोबरीपाट से अचानकमार होकर केंवची की सड़क जाती है जो कि अमरकंटक के लिए जाती है। उस सड़क को वन विभाग की आपत्ति के कारण पी.डब्ल्यू.डी. वाले सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि उनको वे लोग बनाने नहीं देते। मैं अभी कान्हा नेशनल पार्क घूमने गया था, कान्हा नेशनल पार्क में मैं चिल्फी घाटी से वन मंत्री जी आपके विधानसभा क्षेत्र से सूपखार के लिए अंदर गया। वह सड़क पिछले 10-12 साल से नहीं बनी थी लेकिन मैं जब गया तो वह कान्हा नेशनल पार्क का कोर एरिया है जहां कि सबसे ज्यादा शेर हैं वहां पर डामर की रोड बनी हुई है। तो हमारे यहां के वनवासियों का क्या जुर्म है कि वह रोड यहां पर नहीं बन सकती। वन मंत्री जी कृपा करके उस रोड को बनवाने के लिए आप हस्तक्षेप करिये क्योंकि अचानकमार टाईगर रिजर्व बनने के पहले वह रोड पहले से बनी हुई है और रोड के बनने से आपके फारेस्ट अमले को भी फायदा होगा। उस रोड के बनने से अचानकमार टाईगर रिजर्व जाने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी और फिर ऐसा भी नहीं है कि वह कोई पहली बार वहां बन रहा हो। कान्हा नेशनल पार्क में बना और जिस दिन मैं ऊटी से आ रहा था तो रास्ते में बांधीपुरा नेशनल पार्क पड़ा था वहां तो चार लेन की सड़क चल रही थी। तो कृपा करके थोड़ा नरम होईए और अपने अधिकारियों की बात को मत मानिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र में भी भोरमदेव अभ्यारण्य है, वहां की समस्याओं से आप वाकिफ हैं। इसलिए आपको समझाने की जरूरत नहीं है आप उसमें थोड़ा रिलेक्स करवाईये कि मूलभूत सुविधा मिले और सड़कों की व्यवस्था हो। अब इनके तो एक अधिकारी एक फरमान जारी करके रास्ता बंद कर दिये थे, गोबरीपाट से अचानकमार की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा तो क्यों ए.टी.आर.बना है लोग वाहन से नहीं जाएंगे तो। मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट से आदेश करवाया। जब हाईकोर्ट ने रोड खोलने का आदेश कर दिया तो आपको उस रोड को बनवाना आपका धर्म है और मैं आपसे ही मांग कर सकता हूँ। कृपा करके अभी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी नहीं है हम क्या बतायें?

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बैगा बच्चों को सरकारी नियम है कि उनको गुरूजी बनाना है मेरे पास 15-17 बच्चों का आवेदन है मैं कलेक्टर के पास दिया हूँ और भी क्षेत्रों में जहां बैगा बच्चे रहते हैं उनको शिक्षक बनाने के लिए आप प्रावधान करें और प्रक्रिया को शुरू करवायें। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन, इनको खोदापुर कहते थे लेकिन अभी भी खोदापुर, खोदापुर ही है पटा नहीं है स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के कारण पूरे बिलासपुर का जनजीवन अस्त-व्यस्त और त्रस्त हो चुका है चारों तरफ खाई और गड्ढे हैं वहां पर कभी भी दुर्घटनाएं घटती हैं। बिलासपुर नगर निगम के महापौर कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन वहां पर पिछले कुछ दिनों से पैसे का अभाव है कोई काम नहीं हो रहा है। वहां के एम आई सी. से निकलकर 1200 प्रस्ताव

प्रशासन के स्तर पर स्वीकृति हेतु पेंडिंग है आप बहुत अच्छे मंत्री हैं आपका बिलासपुर से रिश्ता भी बहुत अच्छा है। महापौर भी अच्छे हैं और वह महापौर भी आपका है कृपा करके इस पर विचार करियेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर की हवाई सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 करोड़ रूपये मेरे अशासकीय संकल्प में यहां दिया। उसमें काम हो गया थ्री सी लाईसेंस की स्थिति करीब-करीब बन गई है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से पहल कर देंगे तो वह सेवा शुरू होगी, लेकिन हमें भी इच्छा है कि हमारे यहां फोर-सी केटेगिरी का लाईसेंस मिले। उसके लिए रन वे बढ़ाना पड़ेगा। 150 एकड़ जमीन जो हमारी ही सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार ने आर्मी को दिया हुआ है उनके पास लगभग 900 से 1000 एकड़ जमीन है और उसमें आज तक के एक ईंटा भी नहीं रखे हैं उस जमीन को कैंट बनाने के लिए लिये थे तो उस जमीन में से हमको 150 एकड़ जमीन चाहिए और उसके लिए मैं अशासकीय संकल्प भी लाना चाहता था, पर मुझे देरी हो गई थी मैं अगले सत्र में जरूर लाऊंगा। पर आप कम से कम सरकार के स्तर पर कम से कम डिफेंस मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखकर आग्रह जरूर भेजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, मैंने प्राथमिकता में पढ़ा था टूरिज्म का हाल क्या है? कोटा के पास बेलगहना में एक कुरदूर रिसोर्ट है बेहतरीन, बहुत सुंदर रिसोर्ट है, पर जाते-जाते पेट की अतड़िया फंस जाएंगीं हड्डी पसली सब टूट जाएगा, उस सड़क का इतना बुरा हाल है। सरगांव के पास एक रिसोर्ट बना हुआ है उसमें सांप, बिच्छू, घोड़ा करायत, गउहा डोमी, ये सब सांप है वहां की महिलाओं को दे दीजिए। कम से कम वही लोग वहां पर कुछ भी चलायेंगे तो आप सड़कों को ठीक कराईये। जैसे चिल्फी घाटी में मोहम्मद अकबर साहब के क्षेत्र में रिसोर्ट बना है बहुत बढ़िया रिसोर्ट है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर रिसोर्ट है मैं हर चीज की आलोचना नहीं करता, जो अच्छा है उसको अच्छा भी बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा उसकी सड़क ठीक हो जाए। मुख्यत: आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गांव में छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लोग मांग करते हैं और हम फण्ड के अभाव हमें यह बोलना पड़ता है कि सरकार के पास फण्ड नहीं है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। हम तो यह चाहते हैं कि आप इतना पैसा दें कि गरीबों का काम हो और कार्यसंस्कृति पैदा करें और समय में काम हो। गड्ढा खुदा है कब से अमृत मिशन का पाईप पड़ रहा है पानी का पता नहीं, बिलासपुर में अमृत मिशन का पाईप पड़ गया है। न खूंटा घाट से पानी आएगा और न बिलासपुर के सिवरेज का पानी बाहर जाएगा। यह अभिशाप है। सिवरेज का पानी बाहर नहीं जाएगा और बिलासपुर में खूंटाघाट का पानी नहीं आएगा। परंतु गड्ढा खोदो, पाईप डालो, यह सब दुनिया भर के फालतू कामों में पूरे शहर को बर्बाद कर दिये हैं मंत्री जी आप

उसको ठीक कराईये और आपसे जो भी निवेदन किया हूँ उस पर जरूर विचार करियेगा। यही आपसे आग्रह है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आज राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के लिये दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि की मांग की गई है, मैं इसका समर्थन करती हूं। मांग संख्या 1, 10, 13, 24, 42, 64, 68, 80, 81 पर मैं अपना विचार रखूंगी। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को पूरा किया है। किसान, मजदूर, निसहाय लोगों को सहायता देने के काम को इस बजट में प्रावधान रखा है और लोकतंत्र को ज्यादा जमीन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। मैं सबसे पहले कहूंगी कि जब सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ राज्य ऋण से ग्रसित था और हमारे घोषणा-पत्र में किसान कर्जमाफी, 2500 रुपये समर्थन मूल्य, वनोपज को लेने, तेंदूपत्ता को 2400 रुपये में लेने की जितनी भी बातें कही गई थीं, उसको पूरा करना था। ऐसी स्थिति में जनता के सामने हमारे वादे असत्य नहीं रहेंगे, जो वादा किया है, उसको पूरा करेंगे, उस उद्देश्य से हमारी सरकार ने उन सब कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण लिया है जो कि जरूरी है और इसका मैं समर्थन करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, न्यायलयीन प्रकरणों और अधिवक्ताओं के शुल्क के लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना आज की आवश्यकता है। महिलाओं को आगे ले जाना है, दुनिया में महिलाओं का नाम सामने लाना है, उनको ताकतवर दिखना है, महाशक्ति बनाना है तो उसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है और सशक्तिकरण के साथ-साथ उनको सुरक्षा प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान में रखा है और उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया है, उसका भी मैं समर्थन करती हूं। आज हमारा छत्तीसगढ़ विकसित राज्य है, निरंतर विकास कर रहा है और लोग विकास की आशा रखते हैं। अभी बहुत सारी अधोसंचरना का निर्माण करना है। उसको भी ध्यान में रख करके बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। वन के विकास के लिए वनरोपण निधि, विद्युत शुल्क में राहत के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और सबसे ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो गोधन न्याय योजना लागू की गई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गांव की जनता, गांव के किसान सभी खुश हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते दिखाई देती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 75 गोठान बना हुआ है और उसमें गोधन न्याय योजना जारी है। मैं जब जाती हूं तो महसूस होता है कि किसान, मजदूर काफी खुश हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूं, क्योंकि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति प्रदान करती है। पहले सारा प्रशासन शहर में कुर्सी में बैठे-बैठे काम करते थे, अब कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारी,

कर्मचारी गावों की ओर दौड़ते-भागते दिखाई देते हैं। यह हमारी योजनाओं को अंजाम देते दिखाई देते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इसका समर्थन भी करती हूं। और आगे मजबूती प्रदान के लिए इस गोठान योजना में गोधन योजना के साथ-साथ और तरह-तरह की योजनायें होनी चाहिए, इससे मजबूती मिलेगी, इसका भी मैं समर्थन करती हूं। औषधि प्रशिक्षण और प्रयोगशाला होना बहुत जरूरी है तभी कोई औषधि काम आ पायेगी। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वह भी बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करती हूं। आज कम्प्यूटर का युग है । कम्प्यूटर युग में यदि काम तेजी से करना है, शीघ्रता से करना है, परिणाम जनता के सामने लाना है तो उसके लिये साफ्टवेयर तैयार करना बहुत जरूरी है और इसमें भी जो राशि दी गई है उसका भी मैं समर्थन करती हूं । साथ ही साथ पुल-पुलिया, सड़क के लिये जो बजट दिया गया है । मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 2 करोड़ 10 लाख की सड़क और पुल 3801.94 लाख का दिया है इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि सिहावा एक पिछड़ा विधानसभा है और वहां विकास की बहुत आवश्यकता है और आने वाले समय में और उम्मीद करती हूं कि इससे ज्यादा बजट मिलेगा । अभी अनुपूरक है इसके अनुसार यह काम पूरा करना है और जो बजट दिया है इसका मैं समर्थन करती हूं । इसके साथ ही साथ जो मैंने शुरूआत में कहा था कि लोक कल्याणकारी योजना को जमीन पर लाकर छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित किया जा रहा है । उसके लिये मानवीयता को ध्यान में रखते हुए सुपोषण और मध्याह्न योजना को लागू किया है, पेंशन योजना को लागू किया है । नल-जल योजना जो प्रदान की गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे जनता को सुविधा मिलेगी । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये अनुपूरक मांगों के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं कर्ज से चालू करूंगा । हमारे क्षेत्र में बोलते हैं जेकर कर्जा नइ, तेकर दर्जा नइ । लीजिये कर्जा कोई बात नहीं, दर्जा बढ़ाईए, दर्जा लीजिए । लेकिन एक बात और बोलते हैं कि जो लेकर दिया और कमाकर खाया तो दुनिया में क्यों आया तो लेकर देना नहीं है, कर्जा चढ़ाना है तो कर्जा चढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट पटाना है तो इंटरेस्ट पटेगा । अब अगली कितनी पीढ़ियां इसका इंटरेस्ट पटायेंगी और कितना कर्जे का इंटरेस्ट देंगी यह तो आने वाली सरकारें और आने वाली पीढ़ियां देंगी । लेकिन मेरा यह कहना है कि आपने कर्जा लिया, 32,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार के 02 साल के बाद आया है । 32,000 करोड़ के कर्जे में 29,000 करोड़ का कर्जा केवल आपने आर.बी.आई. और प्रतिभूति से लिया, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और 900 करोड़ का कर्जा आपने नाबार्ड से लिया । नाबार्ड का कर्जा कृषि विकास के लिये आता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है तो नाबार्ड से यदि कृषि विकास के उद्देश्य से कर्जा लिया जा रहा है । अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिये पैसा लिया जा रहा है तो नाबार्ड से

लीजिए । उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और उसके बाद जो कर्जा आपने लिया वह एशियन डवलपमेंट बैंक से या यूरोपियन कमीशन से या अन्य जो जगह है वहां से कितना कर्जा लिया ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि - करनी करईया कर चुलईस अऊ फेका घुरइया के नाम । ए मन कर्जा ले हे ओला हमन ऊपर लाद दे हे । हमन के बद्दी होत हे, लेवा ठाकुर साहब ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 32,000 करोड़ के कर्जा का यह अवमूल्यन है और 5000 करोड़ का इंटरेस्ट बर्डन है । अब कर्जा लेना है तो और कर्जा लीजिए । माननीय डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे थे कि और कर्जा लीजिए और 2-2,000 करोड़ का क्यों अनुपूरक ला रहे हैं, 10,000-15,000 करोड़ का अनुपूरक लाईए और अगर अनुपूरक आ रहा है तो इस पूरे अनुपूरक में 753 सड़कें हैं । 20-22 पेज आप पलटते जाईए सड़क-सड़क-सड़क और उन सड़कों में इधर की कोई सड़कें नहीं है । वह सड़कें छपती हैं, सड़कों का फिर विधायक इंतजार करते हैं, जाकर अपने क्षेत्र में घुमाकर बतायेंगे कि बजट में सड़क के स्वीकृति होगे । जनता को उससे कोई मतलब नहीं है, डामर में जब तक जनता नहीं चलेगी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माला पहिर लेथन सौरभ भैया, माला । ओकर बाद फिर न अगला बार न ।

श्री सौरभ सिंह :- हओ । फिर उसके बाद कोई नहीं है । कितने सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति होगी, कितनी सड़कों का टेंडर होगा, कितनी सड़कों में काम होगा? आज छत्तीसगढ़ का ठेकेदार भटक रहा है, जिन्होंने पी.एम.जी.एस.वाय. की रोडों पर, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी की रोडों पर काम किया है उनको पैसा नहीं मिला है । जब ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा, सरकार पैसा नहीं देगी तो इकानामी में कैसे पैसा आयेगा और इकानामी में पैसा नहीं आयेगा तो पैसे का रोटेशन कैसे होगा ? छत्तीसगढ़ में पैसे का रोटेशन रूक गया है । आप बोल रहे हैं कि हमने आर्थिक मंदी को रोकने के लिये आर्थिक मंदी से लड़ाई करने के लिये आर्थिक मंदी से एक नया मॉडल डवलप किया है । जब बजट सत्र होगा और आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तब हम बात करेंगे कि आर्थिक मंदी कम हुई कि आर्थिक मंदी क्या हुई ? क्यों केंद्र सरकार तिमाही में आर्थिक मंदी के आंकड़े लाती है, ग्रोथ के आंकड़े लाती है । राज्य सरकार नहीं लाती है, राज्य सरकार साल में एक-बार लाती है तो हमको नहीं पता है कि अभी क्या हो रहा है और क्या घट रहा है । आर्थिक सर्वेक्षण में जब फीगर्स बाहर आयेंगे तब समझ में आएगा । अगर केंद्र में मंदी है तो मंदी यहां पर भी होगी । 4 मोटरसाईकल को बेचने से या ऑटोमोबाईल बेचने से इस कोरोना काल में मंदी का दौर खत्म हो जाएगा इस तरह से पीठ थपथपाने से आप प्रदेश की जनता को गुमराह मत करिए । इस चीज को हमको मानना पड़ेगा कि कोरोना का टाइम है, वित्तीय स्थिति खराब है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है । इसलिए गलत वायदा क्यों करना, गलत बात क्यों पेश करना ? केन्द्र सरकार गलत बात पेश नहीं कर रही है, अगर नेगेटिव ग्रोथ है तो है । सभापति महोदय, मेरे विधान

सभा क्षेत्र की एक सड़क के लिए मैंने प्रश्न लगाया । प्रश्न का जवाब आया कि दूसरे अनुपूरक में इसको जोड़ा जाएगा, मैं दूसरे अनुपूरक में खोज रहा था, कापन से परसदा छोटी सी सड़क है, नहीं आया । क्यों नहीं आया यह तो मंत्री जी जानेंगे, सरकार जानेगी कि क्यों नहीं आया?

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी के लिए छोटा सा अंश इस बजट में दिया गया है । मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया था, नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति केन्द्र सरकार से होती है । आपने नए केन्द्रों की स्वीकृति के लिए पिछले दो सालों में केन्द्र सरकार को कितने पत्र लिखे । केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं और उन प्रस्तावों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ? तो पता चला कि केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव नहीं गया है । हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जब क्षेत्र में जाते हैं तो आंगनबाड़ी की मांग आती है । कुपोषण के खिलाफ फर्स्ट डिफेंस है तो वह आंगनबाड़ी है । लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह सरकार की मंशा है । मैं विधान सभा के जवाबों की बात कर रहा हूं 11 करोड़, 26 लाख रूपए सिर्फ बीज विकास निगम में जो कृषक बीज देते हैं, उन बीजों को सोसायटी के माध्यम से अन्य कृषकों को दिया जाता है, उनके बोनस की राशि नहीं दी गई है । अगर बजट में नहीं है तो व्यवस्था कर लीजिए, व्यवस्था करने में क्या दिक्कत है ? पंचायती राज मंत्री यहां हैं, पिछले 9 महीने में किसी विधायक को समग्र विकास का एक रूपया नहीं मिला है । कैसे गांव का विकास होगा ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- कोई भी विकास का पैसा नहीं मिला है ।

श्री सौरभ सिंह :- कोई भी विकास, समग्र विकास का पैसा नहीं मिला ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हां, ऐसे बोलो ।

श्री सौरभ सिंह :- डॉ. रमन सिंह जी के समय हमर छत्तीसगढ़ योजना चलती थी । उसका कोई पैसा नहीं आया, गौरव ग्राम योजना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से गौरव ग्राम योजना चालू की गई थी । गौरव ग्राम के लोग बोल रहे हैं हमारा पैसा कहां गया भाइया । उसका कोई पैसा नहीं आया । यह मूलभूत आवश्यकताओं का पैसा है । सड़कों का इतना बड़ा जाल दिखाने से जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है । जो पचरी, सी.सी. रोड, आंगनबाड़ी की मांग है उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- विधायक निधि तो 2 करोड़ हो गे साहब, ओखर लिए तो धन्यवाद नइ देवत हो । देखव तो कतका बढ़ा दे हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- तुम्हर बर दो होए हे, हमर बर तो डेढ हे ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, प्रदेश का सबसे प्रमुख कार्य धान खरीदी । छत्तीसगढ़ बनने के बाद निश्चित रूप से हम बहुत आगे निकल गए हैं । धान का उत्पादन हो रहा है । आज बोरे के लिए प्रश्न आया तो माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 445 लाख गठान बोरे की आवश्यकता है, जितनी धान खरीदी का अनुमान आपने लगाया है । वास्तव में कितना होगा, नहीं पता ? 145 लाख गठन का

ऑर्डर किया गया है । 90 लाख गठान पीडीएस और राईस मिलों से अभी तक लिया गया है, 235 लाख गठान आज भी नहीं है । आपने अंतिम 29.09.2020 को जूट कमिश्नर के पास पैसा जमा कराया है । जूट कमिश्नर के पास आप पैसा क्यों जमा नहीं करा रहे हैं ? अगर पैसा नहीं है तो बजट में ले लीजिए । अगर आप जूट कमीश्नर को पैसा नहीं देंगे तो जूट कमिश्नर बोरा कहां से देगा ? आप जो पीडीएस का बोरा मांग रहे हैं वह पीडीएस या राईस मिल का बोरा री-यूज्ड बोरा है, जब उसको धान खरीदी केन्द्र में हमाल तौलता है तो वह बोरा फट जा रहा है । किसान परेशान हो रहा है । 2 लाख 35 हजार गठान बोरा कहां से आएगा ? आप पीडीएस वालों को बोल रहे हैं कि लाकर दीजिए । पीडीएस वाले ने आधा बोरा तो लोगों को दे दिया है, बांट दिया है । यह व्यवस्था है, उस व्यवस्था में दे दिया गया है । लेकिन आप उनसे बोरा मांग रहे हैं । सभापति महोदय, आज हम धान की बात कर रहे हैं, जांजगीर चांपा जिले से सबसे ज्यादा धान का उपार्जन होता है और जांजगीर चांपा जिले में नॉड एडीबल धान सबसे ज्यादा सड़ रहा है । यह प्रदेश के एक्सचेकर का नुकसान है। इस प्रदेश को एकसचेकर के नुकसान में नॉड एडीबल धान के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं नहीं कहता कि मंत्री जी जिम्मेदार हैं । मैं नहीं कहता कि आप जिम्मेदार हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ जी, आप भी एक किसान हैं और ईमानदारी से बोलिएगा और आगे सीट में बैठे हैं, उनकी तरफ देखकर मत बोलिएगा। 2500 रूपया समर्थन मूल्य मिल रहा है, उससे आप खुश हैं या नहीं हैं। आपकी स्थिति किसानी काम में सुधरी है या नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ये तो बोले थे कि 2500 रूपये में खरीदी करेंगे और उसे कई टुकड़े में बांट दिये और चौथा टुकड़ा अभी तक मिला नहीं है।

सभापति महोदय :- आप अच्छा बोल रहे हैं। जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- दो मिनट का समय दीजिए। जांजगीर-चांपा जिले का जो धान है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं और बहुत मंत्री लोग बैठे हैं। माननीय मंत्री जी की कोई गलती नहीं है। जांजगीर-चांपा जिले का धान। आप बलौदा बाजार जिले का धान जांजगीर-चांपा ला रहे हैं और जांजगीर-चांपा जिले के संग्रहण केन्द्र में धान है। उस पर आप क्यों मिलिंग नहीं कर रहे हैं ? बगल के कोरबा जिले में 5 महीने से राइस मिलें बंद हैं। उन राइस मिलों में जांजगीर-चांपा जिले का धान क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह किस तरह की व्यवस्था है। ट्रांसपोर्टिंग का एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? यह सरकार का और जनता के पैसे का दुरूपयोग हुआ है। इसके लिए जो जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई करिए। यह हुआ है और इसे मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। मैं एक अंतिम बात आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारा सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन होता है जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है, वह जी.एस.टी. से होता है। जी.एस.टी. के मंत्री और पंचायती राज के मंत्री हमारे बीच अभी नहीं हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहता

हूं। आदरणीय केशव चन्द्रा जी उस मीटिंग में थे। दिशा समिति की मीटिंग में हमने उनके संज्ञान में लाया और पूरे प्रदेश के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मनरेगा भुगतान में पूरे जांजगीर-चांपा जिले जो पैसा बिल लगकर भुगतान हो रहा है, उसमें जी.एस.टी. का कोई उल्लेख नहीं है। जी.एस.टी. के नंबर का कोई उल्लेख नहीं है और जी.एस.टी. कटकर नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारे राजस्व का क्या होगा? आप किसे अनुग्रहित करना चाह रहे हैं। क्यों अनुग्रहित करना चाह रहे हैं ?

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभपति महोदय, एक मिनट। नीचे के लेवल पर अगर इस तरह का काम हो रहा है तो इस पर बड़ी जांच की आवश्यकता है। मैं यही निवेदन करूंगा कि यह राज्य सरकार और जनता का पैसा है और जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय केशव चन्द्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग में चर्चा करय बर खड़े होये हों। रामकुमार यादव जी कहात रहिन हे कि धन्यवाद नहीं देथस। सबले पहली धन्यवाद देवथो। आपके सरकार बनिस। माननीय मुख्यमंत्री जी अइन तो छत्तीसगढ़िया मन के अभिमान ला जगाएके काम करिन। गेड़ी चढ़िन, भांवरा चलाइन। हमर पुराना संस्कृति तीज त्यौहार ला ओहा बताइन। हमर लइका मन भुलागे रहिन ते मन ला। लेकिन हमन ला अपन संस्कृति ला नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमर विकास ला भी हमन ला नहीं भूलना चाहिए। जतका आप छत्तीसगढिया के बात करत हावव, ओतके अकन छत्तीसगढ़िया के विकास के भी आप बात करव। आज ए प्रदेश में कतका कन उद्योग आये हे। बाहिर के उद्योग हे। बिजली के उद्योग हे। स्टील के उद्योग हे। तरह-तरह के उद्योग हे, लेकिन ओ उद्योग म कतका अकन छत्तीसगढिया काम करत हावय। अउ कतका अकन बाहरी प्रदेश के हे। उस जगह में छत्तीसगढिया मन ला नौकरी मिलही करके कहीन हावय, ओकर बर धन्यवाद। लेकिन का ये नियम लाहीं कि छत्तीसगढ़ म कोई भी उद्योग लगाए, शत-प्रतिशत छत्तीसगढिया मन ला उहां नौकरी दिये जाही कि छत्तीसगढिया मन केवल गड्ढा खोदे अउ झोड़ी बहे के ठेका ले हावय, धुर्रा फुटका खाये के ठेका ले हे अउ बाकी जेकरा पेड़ा मिठई खाना हे, जेकरा बड़े-बड़े बिल्डिंग म रहना हे, ज्यादा तनख्वाह म नौकरी पाना हे, उहां उत्तरप्रदेश, बिहार अब राजस्थान के मन आके नौकरी करही। आज छत्तीसगढ़ म भी प्रतिभा के कोई कमी नहीं हे। आज छत्तीसगढ़ में भी देश के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा ला इहा के लइका मन भी पास करके आज आई.ए.एस. आई.पी.एस., आई.एफ.एस. बनथे। तो कोई प्रतिभा के कमी नहीं हे। अगर छत्तीसगढ़ के विकास चाहथव। छत्तीसगढ़ के सम्मान चाहथव तो कम से कम छत्तीसगढ़ म छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान मन ला आप मन मौका देवव। गोधन न्याय योजना। एक साल के बाद पता चलही..।

श्री अमरजीत भगत :- केशव भाई, ते हा भाषण दे हे कि राजस्थान के मन आकर करही, ते शिवरतन तरफ देखकर काहे बोले। ए बात के हमन ला आपत्ति हे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अब जतका भी आपत्ति रहे..।

श्री शिवरतन शर्मा :- केशव जी अगर मैं राजस्थानी हो न तो तहूं छत्तीसगढिया नहीं हस। तहूं झारखंडिया हस, ए बात ला ध्यान रखबे। (हंसी) उरांव समाज के इतिहास ला पढ़ ले। उरांव मन झारखण्ड ले माइग्रेट होके छत्तीसगढ़ आये हे। तहूं छत्तीसगढ़िया नहीं हस, अगर मेहा छत्तीसगढिया नहीं होत तो। ए बात ला ध्यान रखबे।

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो तोर समर्थन में बोलेंव ।

श्री रामकुमार यादव :- मतलब आप स्वीकार ले हव ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तहूं छत्तीसगढ़िया नहीं आस, तहूं यू0पी0 ले आये हस, अपन समाज के इतिहास ला पढ़ लेबे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, मोर निवेदन हे कि ए मन के समय ला मोर भाषण के समय में मत जोड़िहव ।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात जारी रखिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, गो धन न्याय योजना के बात होवथे। एक साल बाद ओकर रिजल्ट पता चलही । जब ये सरकार गो धन न्याय योजना नहीं लाए रिहीसे, गोबर नहीं खरीदत रिहीसे त मोर क्षेत्र के खजुरानी के गोठान में ऊंहा के महिला मन केचुआ से खाद बनात रिहीन हे, ओमन 100 क्विंटल खाद बना लिए, मोर कर आके आवेदन दिन, मोर मेर आकर आवेदन दीन के हमर खाद ह कोई जगह बिकत नहीं हे । मैं डी.डी.ए. साहब ला केहेंव तो डी.डी.ए. साहब कहिस कि मैं कल ही उठवाता हूं । बिहान दिन उठा लिन, कहां लेगिन नहीं मालूम। संझा फिर फिरो के ले अईन अउ समूह के मन ला कहिन कि तोर खातु नहीं बेचईस, किराया ला दे । अब बिहान दिन फिर ओ महिला समूह के मन मोर तीर अईन अउ कहिन कि हमन तो मर गेन । डूब मरेन अउ नहकौनी दे । खातु के पईसा नहीं पाएन और किराया अलग से देन । तो सरकार करा योजना कुछू नहीं हे, गोबर ला खरीद के चार दिन वाहवाही लूटथे । मैं दावा के साथ कहाथौं कि आज गोबर बेचके किसान मन ज्यादा फायदा नहीं लेवथे, बल्कि जो व्यापारी और उद्योगपति हे, जेमन के बड़े-बड़े दूध बनाए के फैक्ट्री हे, ते मन ओकर फायदा ला लेवथे ।

माननीय सभापति महोदय, अभी किसान मन के धान खरीदी के बात होवथे, 25 सौ दे थन कहाथे, बढ़िया बात हे, लेकिन अइसे ललचा-ललचा के देवथौ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला 25 सौ मिल गे का गा ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अइसे ललचा-ललचा के देवथौं कि आदमी मन के जी ह निकल जावथे । तीन किस्त ला दे हव, चौथा किस्त ला सत्र के पहिली दे दी हव। धन्यवाद पहिली दे देहव त, ए साल के

खरीदी ला कब देहव, तहू ला बता देवव। वोट मांगे बर गे हव त बढ़िया केहे हव कि 25 सौ में देबो । सीधा-साधा किसान बेचारा मन कहिन कि एक हाथ में देबो, दूसर हाथ में लेबो ।

श्री अमरजीत भगत :- केशव जी, हमन तो देवथन अउ किसान मन भरोसा भी करथें । आगु बइठे हे, ओकर ऊपर भरोसा नहीं करिन । मालूम हे कि वो ह ठस दिस ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बिल्कुल सही कहाथव ।

श्री ननकी राम कंवर :- चुनाव आही, त मालूम हो जही ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कहाथव, ए मन के ऊपर भरोसा नहीं करिए, ए मन ला भगा दिन । तीन साल बाद सोचव कि आपके ऊपर भरोसा करही या नहीं । अभी चिन्ता मत करब, तीन साल बाद सोचव कि भरोसा करहीं या नहीं ? काबर कि किसान मन कहात रिहीन हे कि ए हाथ ले देबो, ओ हाथ ले लेबो ।

श्री उमेश पटेल :- चंद्रा जी, पहले साल लोगों को 25 सौ रूपए मिला या नहीं मिला, यह बताईए ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मिला ।

श्री उमेश पटेल :- अभी इस साल तीन किस्त मिल चुका है या नहीं मिला है?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मिला ।

श्री उमेश पटेल :- चौथा किस्त देने की बात हो रही है या नहीं हो रही है ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हो रही है ।

श्री उमेश पटेल :- तो हम लोग कौन से वादे से भटके ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वही ला तो कहाथव ।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में किसान को 22 सौ रूपये से ऊपर की कीमत नहीं मिल रही है । आप गिरदावली में इतना रकबा काट चुके हो और किसान को इतनी सुखत भुगतनी पड़ रही है कि किसान को 21-22 सौ से ऊपर का रेट नहीं पड़ रहा है । जो सच्चाई है, उसको आप स्वीकार करो ।

श्री उमेश पटेल :- इसी सरकार ने फिर से आदेश निकाला कि अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको सुधारा जायेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- गिरदावली में आपकी सरकार ने 20 से 25 प्रतिशत रकबा काट दिया है । इसलिए किसानों को 21 से 22 सौ रूपये ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है । यह किसानों की हितैषी सरकार है ।

श्री उमेश पटेल :- उसके लिए सरकार ने आदेश निकाला है कि सुधरवा लो । आपके समय में किसान अपने आप को चोर महसूस करता था, आप लोग किसानों को चोरों की तरह महसूस कराते थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- गिरदावली के नाम किसानों का रकबा काटा गया है, किसान सूखत से अलग परेशान है ।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, आप अपनी बात कहिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो गोठियात हव, ओला मोर हित में नहीं गोठियात हवव । दू झन हन, दू झन ह सरकार नहीं बनाय हे।

श्री अमरजीत भगत :- चंद्रा जी, कोई अउ भरोसा करे या न करे, ननकी राम दादा हमर ऊपर भरोसा करथे, यह बात बर हमन ओला धन्यवाद देथन ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बिल्कुल, भारी अलकर भरोसा । अव अलकर ले अउ ऊपर भरोसा । लेकिन ओकरे मन के हित मा मैं गोठियात हववं । जनता मन के भरोसा ला बनाए रखव, ललचाहौं, झूठियाहव त फिर ओमन वोट डाले के बेर न मजा ला बताही । ओ करा फिर न दारू काम आय न पईसा काम आय ।

माननीय सभापति महोदय, अभी धान खरीदी के समय हे अउ सरकार करा बारदाना नहीं हे । फोन आए में हमर मन के नींद नहीं परथे । अधिकारी मन तो फोन उठाहीं या नहीं उठाहीं, ओ मन के कोई जवाबदारी नहीं हे । हमन फोन नहीं उठाबो न त कट ले ओकर परिवार ह हमर कर रिपोर्ट करही ।

संसदीय सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्बद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- चंद्रा जी, आप यह बताईये कि बारदाना की कमी से कितने सोसाइटी में कितने दिन धान खरीदी बंद हुई है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे विधानसभा में मात्र एक दिन एक सोसाइटी में बंद हुई है। आप जांच करवा सकते हैं। पता करवा लीजिए। इतनी बड़ी खरीदी में एक सोसायटी, सिर्फ एक सोसायटी एक दिन..।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो स्वीकार कर रहे हैं ना।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, कृपया समाप्त करें। क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति जी, सब समय ला ई मन ले लिस हे, निवेदन हे, दू तीन मिनट के समय दे दो।

सभापति महोदय :- आप एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बारदाना कोई समिति म नई हे, जांजगीर चांपा जिला मा पूछ लो, आपके सरकार हे।

श्री अमरजीत भगत :- चंद्रा जी, शिवरतन शर्मा जी, इतनी बात करते हैं, बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि केन्द्र में इनकी सरकार है। एक बार भी चिट्ठी लिखे, एकाध बार बात किये कि छत्तीसगढ़ को क्यों बारदाना नहीं दिये। जितना देने बात हुई थी, उतना क्यों नहीं दिये।

सभापति महोदय :- ये सारी बातें पहले सदन की कार्यवाही में आ चुकी है। माननीय मंत्री जी, माननीय शर्मा जी, आप जो बातें कह रहे हैं, वह दोनों रिकार्ड में नहीं आयेगी। चंद्रा जी, आप अपनी बात करिये। ये बातें सदन की कार्यवाही में पहले आ चुकी है, कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापित महोदय, बारदाना नई हे ऐला सरकार भी स्वीकार करत हे, मोर एक ठन निवेदन हे किसान मन के धान ला खरीदना हे ता ऐ मन कहात हे कि किसान अपन खुद के बारदाना मे दे देवय, सरकार के पूरा तंत्र लगे हे तब बारदाना खरीदे नई सकत हे, ता किसान कर कतका अकन पैसा हे, अऊ कतका कन दुकान हे कि ओ हा बारदाना ला खरीद के अपन धान ला बेचय। समस्या इहां हावय।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय धर्मजीत जी, भी बोलिन, बजट मा आ जथे, भैया सौरभ सिंह भी बोलिन, अऊ हमन क्षेत्र मा जाथन ता फूलमाला ला पहन लेथन। ये सड़क हा बजट मा आ गिस अब बनही। दूसरा कार्यकाल हे, ज्यादा दिन नई होय हे हमर विधायकी बने, पिछले कार्यकाल के कतका अकन सड़क जे हा बजट मा आय हावय। अधिकारी मन ला कथन ता ओमा आपत्ति लग के वापिस आ गे, काय आपत्ति ऐ। कोन आपत्ति लगाथे तिखरे कर जाकर बईठ जतिन, काबर आपत्ति लगत हे। मोर तो सरकार करा कहना हे कि बजट मा उही ला लावव जेला बना सकव। काबर कि ऐ हा जादू के आंकड़ा हरे, कागज के पुलिंदा हरे, मैं इही विधानसभा मा बोलय हव, बजट कागज के पुलिंदा हरे। केवल धोख हे, लोक लुभावन बात बस होथय, कोई यथार्थ मा नई उतरय। आज स्थिति हे, गांजा बेचइया, अफीम बेचइया आसानी से बेचत हे, लेकिन धान बेचइया किसान ला कतका अकन परेशानी हे, ओला ओ किसान हा जानत हावय। (शेम शेम की आवाज)

माननीय सभापति महोदय, राजस्व मंत्री जी हे, अभी रकबा के कटौती होईस हे, किसान मन के संख्या पंजीयन मा बढ़ गिस, लेकिन रकबा के कटौती होईस, काबर होईस, भुईया साफ्टवेयन मा हमर जो रकबा हे, खसरा हे, ते हा दर्ज नई हे। अऊ अधिकारी कथे तोर दर्ज नई हे तेखर बर तोर रकबा कट जही। सभापति महोदय, ओमा दर्ज करना, ओमा चढ़ाना मोर काम ऐ का। कोई किसान के काम ए का। राजस्व विभाग के अधिकारी अगर आनलाईन के व्यवस्था करे हे, भुईया साफ्टवेयर बनाय हे, ता किसान के सत प्रतिशत जमीन ला, ओखर रकबा, खसरा ला, चढ़ाना राजस्व विभाग के जवाबदारी हे, ये हा अभी ले शुरू नई होय हे, बहुत दिन ले शुरू होय हे।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गयी, कृपया समाप्त करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी। महोदय, मैं अंत मा, ये मन सब झन मोला ना डिस्टर्ब कर दिन। मैं सरकार ला बढ़िया बढ़िया चीज गोठयाहंव कहत रेहेव, बढ़िया बढ़िया चीज बतायेव कहात रेहेव, ऐ मन सब के सब मोला डिस्टर्ब कर दिन, अऊ खाद्य मंत्री, खाता पीता मंत्री जी तो ज्यादा परेशान करिन

हावय। मैं सरकार कर अनुरोध करत हवव आप जो बजट, जनता के हित मा जो भी योजना बनात हवव, हो आ शत प्रतिशत लागू होवय, ओला लागू आपके अधिकारी कम करही, अऊ अधिकारी आज आपके नियंत्रण ले बाहर हो गे हे, निरंकुश हो गे हे, आपके आदेश के भी पालन नई करत हे, आज शून्यकाल में मैं एक ठन विषय भी रखे रेहेव, ऐमा आप कृपया नियंत्रण करव, अइसे मोर आप सब झन के निवेदन हवय। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं द्वितीय अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री केशव चन्द्रा :- पाण्डेय जी, ओ रेट लिस्ट ला हमू मन ला बता देहा भाई, हमू मन बहुत परेशान हन।

श्री शैलेश पाण्डेय :- अभी उसके बारे में बोलूंगा।

श्री केशव चन्द्रा :- नहीं, ओ रेट लिस्ट ला हमू मन ला बता देहा, कपया निवेदन हे। हमू मन ओखर से त्रस्त हन।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डेय जी, आप यहां बोलने के लिए तो खड़े हो गये हैं। वहां रेट लिस्ट की बात कर रहे थे। काम लाने के लिए भी कोई रेट लिस्ट तय है क्या ? हम लोग भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कहां क्या रेट है, पूरे सदन को अवगत करा दो। हमारे अकबर भैय्या कहां गये ?

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्रीद जी की दूरदर्शिता को सलाम करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं।

श्री केशव चन्द्रा :- पाण्डेय जी, एक बार पुलिस विभाग ला भी सलाम कर दिहा अउ लिस्ट निकले होही तो हमन ला बता देहा।

श्री शैलेश पाण्डेय :- लेकिन जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो सरकारों की प्राथमिकताएं होती हैं, आप भी 15 साल सरकार में रहे। हमें भी जनता ने सरकार में रहने का अवसर दिया। दो साल हो गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी , हमारी सरकार ने जो प्राथमिकताएं तय की हैं, वह छत्तीसगढ़ की जनता के जरूरतों के आधार तय की थी। यह अनुपूरक बजट अधोसरंचना को प्राथमिकता देता हुआ बजट है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, यहां छत्तीसगढ़ में सड़कों की जरूरत है, जहां-जहां पर पूंजीगत व्यय करने की जरूरत है, खर्च कर रही है। डॉ.रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य में जिक्र कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने जितना ज्यादा पूंजी में व्यय किया, उसका कारण क्या था ? उसका कारण था कि बिलासपुर जैसे शहर में हजारों करोड़ों रूपये की योजनाएं लाते थे, पूंजीगत व्यय करते थे, लेकिन उस बिलासपुर शहर को 15 साल में खोदापुर बना दिया गया, गड्ढापुर बना दिया गया। ये पूंजी का इस्तेमाल किया गया। ये जनता के पैसे का इस्तेमाल किया गया।

श्री रजनीश सिंह :- पाण्डेय जी, एक मिनट। हजार करोड़ आता था, इसलिए अब बिलासपुर में दो साल से राशि नहीं दे रहे हैं क्या ? आप भी बिलासपुर के हैं, आधा बिलासपुर मेरा है। दो साल में कितना पैसा आया है, यह भी थोड़ा बता देंगे। आप नगर निगम क्षेत्र को काफी बड़ा कर लिए हैं, सौ रूपये में बिलासपुर नगर निगम का विकास हो जायेगा ? थोड़ा उसको भी रख लेंगे। बिलासपुर की जनता को भी जवाब देना है। बिलासपुर की जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि दो साल में क्या मिला है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, उसका भी रेट लिस्ट बना देंगे। नगर निगम को जो पैसा मिलेगा, आप सदन को उसका भी रेट लिस्ट बता देंगे।

श्री शैलेश पाण्डेय :- हजारों करोड़ों की योजनाएं आती थीं। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार होता था और उनको अधोसरंचना से कोई मतलब नहीं था, विकास से कोई लेना-देना नहीं होता था। मैं फिर कह रहा हूं कि जब सरकारें आती हैं तो उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, उनको किस प्राथमिकता में क्या काम करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता थी कि हम किसानों को सबल बनायेंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनायेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों पर जोर दिया। हमने " नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। आज इस अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे संभाग स्तर पर, लगभग-लगभग सभी जिलों में सैकड़ों करोड़ों रूपये की सड़कों को अनुपूरक में शामिल किया है।

समय :
4:03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)

श्री रजनीश सिंह :- आप दो-तीन काम बता दीजिये न।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आप अच्छे से पढ़िये। आदरणीय सदस्य महोदय, आदरणीय रजनीश भैय्या, आप अच्छे से पढ़िये। मैं आपको बताता हूं कि आज हमारी सरकार की प्राथमिकता अधोसरंचना है। हम साल भर बाद अधोसरंचना में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम पिछले सालों की अपेक्षा इस साल अधोसरंचना में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पूंजीगत व्यय में खर्च कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ की आम जनता को सबल बनाया, हमने उनको समृद्ध बनाने का प्रयास किया। जिसमें आज देश और प्रदेश में 80 प्रतिशत, 70 प्रतिशत किसान लोग रहते हैं। अगर 70 प्रतिशत किसान रहते हैं तो हमारी सरकार की प्राथमिकता उन 70 प्रतिशत लोगों को समृद्ध करना था, उनकी खुशहाली करना था, उनकी खुशहाली को देखना था, उनको आगे बढ़ाना था। इसलिए हमारी सरकार ने हजारो-करोड़ों रूपया कर्ज लिया, हजारो-करोड़ों रूपये किसानों को दिए। उनका कर्ज माफ किया, उनको बोनस दिया, उनको फसल का समर्थन मूल्य दिया। हम किसानों को गोधन न्याय योजना के माध्यम से पैसा भी दे रहे हैं। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कोई मुद्दा नहीं है तो आज उनको सड़ा

धान याद आ रहा है। उस पर उनको 15 साल ध्यान नहीं गया, विपक्ष को जिस सड़े हुए धान पर 15 साल ध्यान नहीं गया, उनको आज वह धान याद आ रहा है। क्यों ? क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है। धान सड़ रहा है इसके लिए हमारी सरकार ने पक्के चबूतरे बनाने का निर्णय किया। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वह सरकार का विरोध कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, हमारे विपक्ष के सभी साथी जानते हैं कि कोरोना काल में क्या कमाई थी। एक आम आदमी कितना पैसा कमा पाता था, एक नौकरी करने वाला कितना पैसा कमा पाता था और किस तरीके से संकट था। इतनी बड़ी महामारी हमारे देश और प्रदेश में आई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गये थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी का पांच पैसे नहीं काटा, न ही सरकार का राजस्व कम किया और पूरा पैसा दिया। हम संघर्ष करते रहे, आप पूछिए 20 लाख करोड़ रूपये जो वहां पर आर्थिक पैकेज पूरे देश को देने वाले हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि उन्होंने कितने वेंटीलेटर दिये, कितने बच्चों के वेंटीलेटर दिये, कितने पी.पी. किट दिए तथा स्वास्थ्य में और कितनी चीजें दिये। उन्होंने क्या किया? यह हमारी समस्या है?

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- पाण्डेय जी, मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर में आप स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब पढ़ लेंगे कि केंद्र सरकार ने क्या-क्या दिया है। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जायेगा कि केंद्र ने क्या-क्या दिया है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समस्या केवल क्या नरेंद्र मोदी जी थी या हमारे भूपेश बघेल जी की थी या आपकी थी या किसकी थी? ये समस्या हम सबकी थी। कल आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जी जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनकी मौत की कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई लेगा क्या? नहीं लिया ना। क्या हमारी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया? क्या हमने आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया? नहीं लगाया क्योंकि हमको पता है कि इस महामारी में कोई बचेगा या नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल आपके पास सदन में वक्त था कि आप सदन में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला सकते थे, आप सरकार की पीठ थपथपा सकते थे, आप सरकार का मनोबल बढ़ा सकते थे लेकिन आपने ये नहीं किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। मुद्दा तो आप ही देते हैं। रेट लिस्ट की बात आप ही करते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि सदन में जरा ये पूछ लो कि नगरीय निकाय के आवंटन की रेट लिस्ट क्या है। शायद बिलासपुर को उस रेट

लिस्ट से पैसा मिल जाए, आपकी कुछ समस्या का निदान हो जाए। शैलेश जी, हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ये उद्‌गार तो सदन के बाहर निकलते हैं, सदन के अंदर तो प्रतिबद्‌ध हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- शिवरतन भैय्या, कंधे से कंधा मिलाने वाली जो बात है वह उसके लिए थी जब केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए बोनस मना किया गया था, तब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे नाम का उल्लेख करते हुए कहा था कि उस मुद्‌दे को मैंने उठाया था। जहां उठाना चाहिए था मैंने उस मुद्‌दे को वहां उठाया है और उसके बाद दो साल का बोनस किसान को मिला।

श्री उमेश पटेल :- मैं किसानों के बोनस की बात नहीं कर रहा हूं। वह तो पुरानी सरकार की बात है। अभी जब केंद्र सरकार ने मना किया तब जब राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा देना था तब आपके किसी भी सदस्य के द्‌वारा किसी भी तरीके से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि यह राज्य की घोषणा है और राजय को बोनस देना अनिवार्य है। आपके सारे सदस्य बैठे हैं क्या किसी ने चिट्‌ठी लिखी?

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुपूरक बजट में वह राशि भी है जो 15वें वित्त आयोग से राज्य को मिली है। हम इसके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। इस प्रदेश को चलाना क्या केवल राज्य सरकार का ही काम है? यह केंद्र सरकार का भी काम है। यहां के नागरिकों से पैसे की वसूली केंद्र सरकार भी तो करती है। इस बात को आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपने इस बात को जरूर बोला कि केंद्र से ये पैसा आया, आपने यह कभी नहीं बताते हैं कि यहां छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार में कितना पैसा गया? आप क्यों नहीं बताते हैं? आप इस बात को मानिए ना कि इस देश को चलाना सबका काम है। मेरा भी है, आपका भी है, उनका भी है सबका है। ये इस प्रकार से आज जो हमारी सरकार काम कर रही है चाहे जो किसानों का हमने ऋण माफ किया, अन्नदाताओं की कर्ज माफी, समर्थन मूल्य पर बोनस, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमने उनका वादा पूरा किया। आज भी कर रहे हैं लगातार तीसरा साल है मैंने न जाने, कितने धान खरीदी केन्द्र में शुरूआत करने के लिए गया मैंने वहां सारे किसानों को बैठाकर, भले वह किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले रहे हों या कांग्रेस को वोट देने वाले रहे हों, लेकिन एक भी व्यक्ति, किसानों ने विरोध नहीं किया। हमारे साथ कोई गलती हुई है हमारे साथ टोकन में छेड़छाड़ की गई है या हमसे पैसा मांगा गया, नहीं किया। ये केवल और केवल विपक्ष का काम है कि वह आरोप लगाएंगे, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री रजनीश कुमार सिंह:- महाराज जी, आप मेरे साथ में फिर चलिएगा।

श्री सौरभ सिंह :- आपको घूमाते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- हम लोगों से ज्यादा तो वही आरोप लगाये हैं हम लोग तो आरोप नहीं लगा सकते।

श्री सौरभ सिंह :- आपने आरोप लगाया, आपको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- ओतका बड़ आरोप के हमर मन के हिम्मत नइ हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- 1 तारीख के बाद गये थे। अब चलिएगा और देखिएगा।

श्री शैलेष पाण्डे :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 सालों में आपकी जो परम्परा और जो कार्यसंस्कृति थी चाहे वह पुलिस विभाग हो और चाहे कोई भी हो, 15 सालों की जो कार्यसंस्कृति उसका परिणाम था वह रेट लिस्ट। अब समझ में आया। आपकी 15 वर्षों की करनी थी।

श्री सौरभ सिंह :- आप बता तो दीजिए कि क्या-क्या रेट चल रहा है हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या-क्या रेट है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बताये थे कि पुलिस वाले 3 हजार रूपये लेते हैं उन्होंने रेट भी बताया था। ऐसा नहीं है।

श्री शैलेष पाण्डे :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौधन न्याय योजना शुरू की। हमने गौपालकों को 80 करोड़ के गोबर का सहयोग दिया, उसमें भी समस्या है किसलिये समस्या है। अगर हम गोबर खरीद रहे हैं हम गो पालकों को समृद्ध कर रहे हैं उनको सहयोग कर रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है ? उसमें आप भी सहयोग कीजिए। आज मैं मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे मंत्रिगणों को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने इस सरकार को 2 साल जो चलाया, बेमिशाल छत्तीसगढ़ बनाया और छत्तीसगढ़ को ऐसे-ऐसे ऊंचाईयों पर ले जा रहे हैं इसके लिए मैं अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। अब बहुत समय ज्यादा हो गया। आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा चल रही है। यहां पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, मैं उस पर दुबारा नहीं जाना चाहूंगा। कुछ बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर हम पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की आज की बात करें तो जो आठ-दस बड़े राज्य हैं जहां की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन हैं जहां पर बड़े-बड़े उद्योग, व्यवसाय हैं पर छत्तीसगढ़ हमारा नया, पिछड़ा राज्य है, लेकिन पिछले अगर 10 महीने की बात करें तो विश्वव्यापी कोरोना का जो प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जिसका प्रभाव पड़ा। उसका कहीं न कहीं प्रभाव भारतवर्ष में भी पड़ा, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि छत्तीसगढ़ में जो एक अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आनी थी वह नहीं

हुई और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, पूरे सरकार को बधाई देना चाहूंगा और आप कहीं न कहीं देखिए कि पूरे विश्व में जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे देश के ही थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने इस बात को आज से 10 साल पहले कहा और जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने इस बात को कहा था कि किसी भी गरीब, विकासशील देश को आगे जाना है, यदि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उन्हें समावेशी विकास इंक्लूजीव ग्रोथ का मॉडल प्रस्तुत करना पड़ेगा। और आप देखिए कि 10 साल पहले इस बात पर, इस सिद्धांत पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। विश्व ने उनकी नीति को माना और प्रोफेसर अमर्त्य सेन की, इंक्लूजीव ग्रोथ की जो समावेशी विकास की अवधारणा है उसको माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में लागू करके दिखाया है। राजीव गांधी किसान योजना जब लागू हुई तो उसके पीछे यह था कि अगर केन्द्र सरकार 1835 या 1865 रूपये देती है तो ऊपर की जो राशि है अगर किसानों को किस्तों में भी जा रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि 4 किस्त में राशि मिल रही है तो किसानों को जब-जब राशि मिली है हमारी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और बाजार में पैसा आया है और देखिए कि जुलाई के महीने में सितम्बर, दिसम्बर में महीने में जब-जब यह धान के किस्त की राशि आयी है तब-तब बाजार में पैसा आया है और अर्थव्यवस्था संतुलित रूप से आगे चलते रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ आज भी मजबूती से अर्थव्यवस्था की स्थिति में खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी जैसी भी कल्पना की हो, लेकिन समावेशी विकास तभी संभव हो पाया जब धान के साथ में हमने गौधन को जोड़ा। आज गाय का महत्व धार्मिक रूप से तो है, लेकिन आर्थिक रूप से भी महत्व आ गया। यह ठीक है कि लोग इस व्यवस्था को धीरे-धीरे स्वीकार करेंगे, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में एक अच्छी खासी राशि गौधन योजना के माध्यम से आनी प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूं कि अब गांव के लोग गावों में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गावों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद सदन को जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने के लिए जो माडल अपनाया, जिसमें कि 1865 रुपये क्विंटल अभी खरीदी की गई है, बाकी चार किश्तों में देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये निर्णय लिया कि चन्द्रपुर, देवरी, गोंदिया इन 3 जिलो में धान के किसानों का पंजीयन भी प्रारंभ हुआ और वहां पर भी उन्होंने इसी पैटर्न में 1865 रुपये के अलावा 2500 रुपये क्विंटल में 4 जिलों में धान खरीदने का महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्णय लिया है। जब ये निर्णय हुआ, तो हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के मंत्री नितिन राउत जी ने इस बात को कहा भी, छत्तीसगढ़ में चूंकि 2500 रुपये क्विंटल में वहां की सरकार खरीदी कर रही है तो हमको भी खरीदना चाहिए ताकि धान उत्पादन किसानों को लाभ मिल सके। आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल को

अपनाते हुए वहां भी चार किश्त में चार जिलों में धान खरीदी महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है। निश्चित रूप से हमारा ये ये मॉडल बडा सफल हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खाद्य मंत्री जी नहीं हैं, मैं इनको भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। प्लास्टिक के बारदाने से धान की खरीदी प्रारंभ हुई है। यदि हम बारदाना उत्पादक लोगों को जो लोग प्लास्टिक का बारदाना बनाते हैं, उनसे निवेदन करेंगे तो जहां पर बारदाने की सिलाई होती है, वहां पर व्यवस्था करके यदि प्लास्टिक के बारदाने की एक बार की नई टेक्नालाजी आ जायेगी, बारदाने आ जायेंगे तो मुझे लगता है कि धान खरीदी में आगे कभी समस्या नहीं होगी। इस पर विचार हो। मुझे लगता है कि इसी चीज का भविष्य है कि आगे चलकर धान की खरीदी शायद प्लास्टिक के बारदाने में हो। अभी पुणे की एक कंपनी ने हल्का-हल्का छेंद वाला भी धान के लिए बारदाना बना लिया है जो मेरे ख्याल से जनवरी में लांच होने वाला है। उसके बाद से शायद ये जो जूट के बारदाने की समस्या है, मेरे ख्याल से छततीसगढ़ राज्य से लगभग-लगभग खत्म हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में धान के अलावा राजस्व के बहुत सारे ऐसे स्त्रोत हैं जिन पर काम किया जा सकता है। मैंने पहले भी दो-तीन बार सदन में कहा है। इस बात पर विचार होना चाहिए कि यदि छत्तीसगढ़ की धरती में हीरा, कोरण्डम, पन्ना है, हम जिस प्रकार से आयरन ओर, बाक्साईट, कोल की माइनिंग कर रहे हैं। एक बार गंभीरता से विचार करके इसके लिए सदन की समिति बनायें, विशेषज्ञों का दल बनायें, लेकिन इस बात पर विचार होना चाहिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय मध्यप्रदेश में हीरा खनन का काम प्रारंभ करने की बात हुई थी, उस पर निश्चित रूप से इस सरकार को निर्णय लेना चाहिए और हीरा खनन के काम को करना चाहिए। इससे लगभग 24 से 25 हजार करोड़ की राशि प्राप्त होगी। यदि हमारा बजट 1 लाख करोड़ का है तो लगभग 20 से 22 हजार करोड़ की राशि हमको साल-दो साल के अंदर मिल सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ में हीरा खनन के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। हमारा प्राकृतिक संसाधन है। जिस प्रकार से हम आयरन ओर, कोल को कर रहे हैं, उसी प्रकार से हीरा खनन के लिए भी एक व्यापक परियोजना बनाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तीन महत्वपूर्ण सड़कें सिंघौरी से घोटवानी, अतरिया से दनिया, सर्राकापर से खूंगा थी, जिनकी बहुत सालों से मांग थी, इसकी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और बजट में लाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2386 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हम सभी पक्ष, विपक्ष के लोग यहां पर बोल रहे हैं। यह अवसर हमको देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल

बिहारी बाजपेयी जी ने प्रदान किया है जिनका कल जन्मदिवस है। आज पूर्व संध्या पर मैं उनको नमन करता हूं, स्मरण करता हूं कि उनके आशीर्वाद से यह सब-कुछ संभव हुआ है । बजट के संदर्भ में चूंकि बजट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है । अनुपूरक है और अनुपूरक बजट में यह सारी बातें आयी हैं कि राज्यांश उसमें कितना है और केंद्र का कितना है? इसके साथ ही साथ इस बजट में पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय कि 05 परसेंट पूंजीगत व्यय, 95 परसेंट राजस्व व्यय इससे साफ झलकता है कि प्रदेश के विकास में कितने सहभागी हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात शुरू करूं कि पिछले समय जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था । उस मूल बजट में हमारा वित्तीय घाटा जो आया था और उसके बाद से जो दो बार सप्लीमेंट्री आये हैं और उस सप्लीमेंट्री के बाद में आज प्रदेश जहां पर है, जहां पर हम खड़े हुए हैं । मैं जब घर से निकलकर के विधानसभा आ रहा था तो सभी जगह होल्डिंग, बिजली के खंभों पर बोर्ड लगा हुआ है और बाकी जो लगा हुआ है कि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की । वास्तविक में यह जो अभिमान की बात आयी है, अभिमान में और स्वाभिमान में दोनों में बहुत फर्क है। पता नहीं किसने इसको दिया है, यह बात सिद्ध है कि अभिमान सर्वथा विनाशकारी हुआ है । अभिमान से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, अभिमान किसी व्यक्ति, संगठन की सबसे बड़ी बुराई है और मुझे तो आश्चर्य होता है कि सरकार ने अपने चित्त-चरित्र में अभिमान को स्वीकार किया है । हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि अभिमान कभी किसी समाज के लिये लाभप्रद नहीं रहा है । अपनी उपलब्धियों और अपनी श्रेष्ठता पर हमें गर्व होना चाहिए परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए । अभिमान के अनेकों उदाहरण हमारे पुराणों में, इतिहास में हम सब लोगों ने पढ़ा है । शायद मुख्यमंत्री जी को अभिमान होगा कि 2 साल के अंदर में 30,632 करोड़ रूपये कर्ज लिये उसका, इस सरकार को इस बात को लेकर अभिमान होगा कि इस प्रदेश में जहां उपलब्धि के बजाय 12,070 लोगों ने 02 साल के अंदर में आत्महतया की है । क्या हमें इस बात का अभिमान होना चाहिए कि 02 साल के अंदर में 12,070 लोग यहां पर आत्महत्या करें या इस बात का अभिमान होना चाहिए कि 01 जनवरी, 2019 से 04 सितंबर, 2010 तक 4098 लोगों का यहां पर अपहरण हुआ है ? क्या इस बात का हमें अभिमान होना चाहिए कि 01 जनवरी, 2019 से 04 दिसंबर, 2020 तक 5356 बालात्कार के यहां पर प्रकरण आये हैं, क्या हमें इस बात अभिमान होना चाहिए ? वास्तव में यह विचार करने का प्रश्न है कि अभिमान हमें किस बात पर होनी चाहिए और किस बात पर नहीं होनी चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बजट प्रस्तुत हुआ तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बजट में प्रदेश की खुशहाली के लिये, इस प्रदेश में यहां के रहने वाले गरीबों के लिये, यहां के रहने वाले किसानों के लिये कि इस बजट में शामिल किया जायेगा जिससे आने वाले समय में उनको लाभ मिलेगा लेकिन इस बजट को पूरा पढ़ने के बाद में हम लोग यह देखेंगे, मुझे लगता है कि यदि हम पूरे 20

सालों की बात करें तो पूरे 20 सालों का सबसे खस्ता बजट मैं इसे कह सकता हूं । अब मैं किसानों से ही शुरू करता हूं । किसानों के धान खरीदी की बात आई । धान खरीदी के पहले इस सरकार के द्वारा जिस तरह से मायाजाल बुना गया और केवल एक अरोप लगाया गया कि केन्द्र की सरकार हमको बोरा उपलब्ध नहीं करवा रही है, उसका फर्क धान खरीदी पर पड़ेगा, उसका फर्क किसानों पर होगा । केन्द्र सरकार हमें बोरा उपलब्ध नहीं करवा रही है । वास्तव में सरकार को इस बात को बताना चाहिए कि आपने बोरा खरीदी का ऑर्डर कब दिया ? आपने जुलाई, सितम्बर के महीने में बोरा खरीदी का ऑर्डर दिया और आपने कितने का ऑर्डर दिया । आपने 1 लाख 45 हजार गठान का ऑर्डर आपने जूट कमीश्नर को दिया ।

श्री अमरजीत भगत :- नेताजी, आप फिर भ्रमित कर रहे हैं । हमने साढ़े तीन लाख गठान मांगा था । उन्होंने 3 लाख देने की बात कही थी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने कितना पैसा पटाया, उसकी रसीद मुझे दे दो।

श्री अमरजीत भगत :- जितने की सहमति होगी उतना ही तो भुगतान करेंगे । एडवांस जमा होता है तब बोरा मिलता है । आप भ्रमित करने वाली बात करते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसकी जानकारी पटल पर रख दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- एडवांस जमा होता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एडवांस जमा होता है तो आप पटल पर रख दीजिए ना ।

श्री अमरजीत भगत :- जितने की सहमति होगी, आप उतना ही तो पैसा जमा करोगे ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब आपने 90 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट फिक्स किया तो बारदाने का इंतजाम करने की जवाबदारी आपकी है । आपने केन्द्र से पूछकर टारगेट तय किया था क्या ? हर चीज के लिए केन्द्र की ओर देखोगे। अपने बूते पर क्या करोगे?।

श्री अमरजीत भगत :- बिल्कुल उसकी जवाबदारी हमारी है और हम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार नीति के मुताबिक हमारी मदद नहीं कर रही है, अभी तक मदद नहीं की है । प्रदेश में भूपेश बघेल जी मुखिया हैं जो धान खरीदी कर रहे हैं । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एखर पहिली धान खरीदी होतेच नइ रिहिस । इही भर धान खरीदत हे । किसान मन रोवत हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 45 हजार गठानों का इन्होंने ऑर्डर दिया । 95,863 गठानें इनको आपूर्ति हो गई । बाकी गठानें मिलना शेष है । इसके बाद 30 हजार गठानें मिलर्स से मिलनी है, 60 हजार गठानें पीडीएस की, कुल 90 हजार गठानें ये हो गईं । 2 लाख 35 हजार गठानों की व्यवस्था हो गई, अब 2 लाख 10 हजार गठानों की व्यवस्था ये कहां से करेंगे ? आपको 90 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करनी है । आपको यह भी मालूम है कि हमको खरीदी करनी

है, यह कोई नई बात नहीं है । आपने पिछली बार भी खरीदी की है । आज पूरे प्रदेश में चले जाइए । मुझे अभी सरगुजा से फोन आया, सूरजपुर से फोन आया, प्रतापपुर से फोन आया । थोड़ा बाहर जाकर फोन करके कन्फर्म कर लीजिए, धान खरीदी बंद हो गई है । बंद इसलिए हो गई है क्योंकि बोरे की व्यवस्था नहीं है । यह केवल सरगुजा में नहीं, सरगुजा और बस्तर से ज्यादा धान हमारे मध्य क्षेत्र में है ।

श्री अमरजीत भगत :- धान खरीदी कहीं बंद नहीं हुई । एफ.सी.आई. में चावल लेने की अनुमति केन्द्र सरकार ने अभी तक नहीं दी है । जिसके कारण डी.ओ. नहीं कट पा रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आपको बोरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी । अभी धान खरीदी शुरू भी नहीं हुई और इनकी पोल खुल गई कि वास्तव में सरकार की नीयत क्या है ? अब उसमें 2500 रूपए की बात आई, अभी तक आपने 2500 रूपए तो दिये नहीं, चलिए जब देंगे तब देंगे । मैं सोसायटियों में गया हूं । जहां पर तौल खरीदी हो रही है । सरकार ने अभी से डंडी मारना शुरू कर दिया है । थोड़ा आपके विधायक और मंत्री भी सोसायटी में जाकर देख लें । 40 किलो के कट्टी में साढ़े 41 किलो तौल रहे हैं । साढ़े 41 किलो मतलब एक कट्टी में 37 रूपए, एक क्विंटल में ढाई कट्टी हो रहा है । 37 रूपए एक कट्टी में और एक एकड़ में 15 क्विंटल, 15 क्विंटल में 1450 रूपए की डंडी मारना इस सरकार ने शुरू कर दिया है । एक एकड़ में 1450 रूपए ।

श्री ननकीराम कंवर :- मेरे क्षेत्र में यह भी आया है कि टोकन काटने के लिए दो बोरा अलग से दिये हैं। जाकर नहीं तो नवापारा में पता कर लीजिए। आप करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। इससे काम नहीं चलेगा।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, एक मिनट।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एला लेग जा दिल्ली।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आपने जो भी कहा, वह तो ठीक है, लेकिन आप भी इसी प्रदेश के नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रदेश के प्रति आपका भी दायित्व है। आप केवल बयानबाजी करने के लिए नहीं हैं। क्या आपने धान के संबंध में या नीतिगत निर्णय के संबंध में मदद करने के लिए केन्द्र को एकाक चिट्ठी लिखी ?

क्या आपने एकाक पत्र लिखा?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- कंवर जी, आप बैठिए न।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं, मैं जवाब तो दूंगा न। मेरी बारे में बोले हैं तो जवाब तो दे दूं। आपको जानकारी तो रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय आप क्यों पूछ रहे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओहा नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोलथे, ते नेता प्रतिपक्ष थोड़े हस।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय आप बैठिए न।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय मंत्री जी, आपको बताउं। आपने रकबा काटने का आदेश नहीं दिया। सब जगह रकबा कट रहा है और बता दूं कि आपने कहा कि 14 क्विंटल 80 किलो..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेता जी।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं, एक मिनट। जवाब तो दे दूं साहब। क्योंकि अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुमति दें तो..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओहा नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोलथे, ते काबर बोलथस।

श्री ननकीराम कंवर :- तें का जवाब देबे गा। ते चुप रह। हर बात में तेहा टोकथस।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- शिव जी, आप बैठ जाइए। (हंसी) आसंदी में आदिवासी नेता बैठे हैं। उधर आदिवासी नेता खड़े हैं। इधर इन्होंने सवाल किया। सवाल इनसे किया, जवाब वे दे रहे हैं। तो थोड़ा देर चलने दीजिए न। (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- श्रीमान जी, मेरे बारे में बोले हैं। उनको नहीं बतलाये हैं। मेरे बारे में बोले हैं।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, कहा इनसे है, लेकिन लगा आपको है। (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं-नहीं। वे मेरे बात का जवाब दे रहे हैं। तो कम से कम उत्तर तो देना पड़ेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे शर्म की बात है कि आज किसान दर-दर भटक रहे हैं। भैसमा, तिनकेजा सब खरीदी केन्द्र में कलेक्टर ने तय कर दिया और ये बोलते हैं कि हम सब धान खरीदेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- कंवर जी, हो गया। नेता जी बोल रहे हैं। समझिए वरिष्ठ नेता हैं। आप भी वरिष्ठ नेता हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- रकबा काटे हैं, उसका प्रूफ है। मैं उस विषय में ध्यानाकर्षण भी ला रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप बोलिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तौल की बात बताई। दूसरी बात पंजीयन हुआ। पिछले साल जिस खेत का रकबे के अनुसार धान की बिक्री हुई थी तो पहले तो पंजीयन में उनके रकबे को काटा और काटने के बाद भी सरकार को लगा कि यह ज्यादा है तो नई प्रथा शुरू की कि गिरदावरी की जायेगी और गिरदावरी में पटवारी वहां गया तक नहीं है और घर से बैठकर उन्होंने

काटना शुरू किया तो लगभग दो लाख एकड़ अभी तक कट चुका है। जो रिकॉर्ड में आया है। इसके बाद आपने आदेश दिया। हम लोगों ने मांग की और लगातार इस मुद्दे को उठाया। आपने आदेश दिया कि 112 नंबर पर भी आप complaint कीजिए। बाकी में complaint कीजिए। आपके पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। किसान पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं। 112 नंबर में जब डायल करते हैं तो 112 से उनका जवाब है कि आपकी बात को हम लोगों ने सुन लिया है और आपकी बात को सुन लिया कहकर फोन उठाकर रख देते हैं। आप थोड़ा सा किसी से डायल करवाइए और डायल करवायेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि क्या स्थिति है ? आपने केवल मौखिक रूप से कहा, किसानों का रकबा कटा है। यह बात प्रमाणित हो गयी है कि गिरदावरी में रकबा कटा। अभी एस.डी.एम. जाकर सोसाइटी में जो टोकन दे रहे हैं, उन्हें गाली-गलौच कर रहे हैं कि आप इतना टोकन क्यों दे रहे हैं ? सोसाइटी वाले अधिकारियों से परेशान हैं। वे टोकन बांट रहे हैं। एक तो टोकन कम दे रहे हैं और उसके बाद वे परेशान हैं कि आकर गाली-गलौच शुरू हो जाती है कि इतना टोकन आपको किसने दिया ? अगर किसानों की धान खरीदने की आपकी नीयत है तो आपको तो दिक्कत भी इस बार नहीं है। आपको 90 लाख टन धान की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है तो 60 लाख मीट्रिक टन में कम से कम आपको 90 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता है। और 90 लाख मीट्रिक टन धान के लिए आपके पास समय कितना है ? आपने पिछली बार जो समय दिया था, अब 76 दिन में आपके पास 60 दिन का समय है। 60 दिन में आप शनिवार और रविवार निकाल दीजिए, यह 16 हो गया। सरकारी छुट्टी 20 हो गई, उसके बाद मौसम खराब हो गया। 4 दिनों से बंद था। बारिश नहीं हुई, लेकिन धान खरीदी बंद। क्यों मौसम खराब है तो कुल मिलाकर के 30, 32, 35 दिन का समय आपके पास धान खरीदी के लिए। 35 दिन में आप 90 लाख मेट्रिक टन धान किसी हालत में नहीं खरीद सकते । जिनको आपने टारगेट दिया है कि आपको 71 हजार क्विंटल तौल कराना है । कांटा कितना रखा हुआ है ? एक कांटा । उनको दूसरा कांटा बढ़ाने नहीं दे रहे हैं । वे एक कांटा में कितना तौल कर लेंगे । सरकार शुरू से प्रयास में है कि किसानों का धान कम से कम खरीदना पड़े । कम से कम धान खरीदना पड़े, उसके लिए पहले रकबा काटना, फिर उसके बाद में गिरदावरी में रकबा काटना, उसके बाद में टोकन कम काटना और जो टोकन दिया हुआ है, यदि आज कोई कारण से छुट्टी हो गई, आज मौसम खराब हो गया तो टोकन दूसरे दिन चलना चाहिए । वे बोलेंगे कि अब टोकन 8 दिन बाद लेकर आएंगे । वह टोकन रद्द हो गया, फिर वह दूसरा टोकन जारी करेगा । आपने किसानों का तमाशा बना दिया है । एक तरफ आप अपने आप को किसानों की सरकार बोल रहे हैं तो आखिर इस प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ? पूरे प्रदेश में आत्महत्या से किसानों की मौत लगातार हो रही है । यदि इतनी ही खुशहाली होती तो किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं सरगुजा क्षेत्र में गया था और मैं वहां परिवार वालों से मिलकर आया । अभनपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर अन्य जगहों में किसानों की मौत

लगातार हो रही है । वास्तव में मौत होने के बाद में जाकर पूछे तो सही कि इसके लिए दोषी कौन है, उस परिवार को क्षतिपूर्ति की राशि दे सकते हैं । इसके लिए भी सरकार के पास समय नहीं है। सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो गई है । जहां एक तरफ किसानों की बात करते हैं, किसान आत्महत्या करे तो वहां पहुंचकर, उस परिवार के साथ मिलकर दो बात कर लें, यह भी परम्परा आज समाप्त होती जा रही है । यह बहुत पीड़ा के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने राजीव गांधी न्याय योजना कहा । फिर हमारे सदस्य इस बात को कहते हैं कि आपके कारण हमने उनको 25 सौ रूपये नहीं दिया । आपने तो न्याय योजना बना दी । जब आपने न्याय योजना बना दी तो फिर किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो ? आप उनको एक मुश्त दे दीजिए न । आप कोई दुकान में जाएंगे और गाड़ी खरीदेंगे और गाड़ी खरीदने के बाद आप उनको बोलेंगे कि मैं आपको चार किस्त में पैसा दूंगा । बिना ब्याज के मुफ्त में होता है न । मुख्यमंत्री जी, बिना ब्याज के होता है न । आप किसानों को ब्याज दीजिए । किसानों का उधारी पैसा लेकर आप बैठे हुए हैं और उस पैसे का 12 महीने का ब्याज आपको देना चाहिए । किसानों को 1800 सौ रूपए मिला, जो केन्द्र सरकार की राशि है । बाकी राशि कब आई, कब गई, वास्तव में किसानों को उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन आजतक किसानों को पता ही नहीं चला कि उनके खाते में यह राशि भी आ रही है । इस प्रकार से सरकार की यह न्याय योजना है ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ सरगुजा संभाग के दौरे में थे और गौठान वालों से, किसानों से, कई लोगों से पूछा कि तोर कितना पईसा अईस । तो सबने अपने से बताया कि इतना पैसा आया । हमने पूछा कि कितना निकाले हस तो बोले कि नहीं निकाले हव । मतलब यह है कि किसानों के पास पैसा है और किसान मस्त हैं । उनको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, यह लोगों में भरोसा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, यह भी भरोसा है कि अभी धान खरीदी हो रही है, लेकिन 15 दिन हो गए, खाते में पैसे नहीं आया है । जिनका पैसा आया है तो किसानों से पूछिए कि किसान बैंक वालों को नगदी देंगे, तभी बैंक वाले किसानों को पैसा दे रहे हैं । हमारे किसान चार किस्त के कारण परेशान हो गए हैं। बैंक में बिना लेन-देन के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, तीन दिन में लोगों के खाते में पैसा पहुंच रहा है । तीन दिन से पांच-छः दिन में उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए न । पांच दिन से आठ दिन कर लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- तीन से पांच दिन में पैसा पहुंच रहा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो सब्सिडी की स्कीम चल रही थी । हम लोगों के समय में बहुत सारे ड्रीप एरिगेशन का, स्प्रिंकलर का छोटे पम्प की स्कीमें चल

रही थीं और बाकी स्कीमें चलाकर किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, आजकल उसकी सब्सिडी घटा दी है । न तो इस सरकार के द्वारा किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं और कृषि विभाग के द्वारा पहले जो सुविधाएं दी जाती थी, वह सुविधाएं भी लगभग बंद कर दी गई है, सब्सिडी को घटा दिया है। ट्रैक्टर का मामला आया था, प्रश्न के जवाब में आया है, केवल एक विधानसभा क्षेत्र में जितना ट्रैक्टर आपके प्रदेश में आया तो एक विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकूलर 50 प्रतिशत हो गया, अब बाकी पूरे प्रदेश में है। उस बात को लेकर हमारे सौरभ जी और बाकी लोग प्रश्न लगाये थे। ये इनका डिस्टीब्यूसन सेंटर बना हुआ है। सरकार का अभी मुख्य स्त्रोत शराब का पैसा है, जिनके माध्यम से तन्ख्वाह ले जाओ करके बांट रही है। अभी प्रश्न के जवाब में आया है कि पिछली बार से इस बार लगभग 1 हजार करोड़ रूपये की कमी आ रही है। दुकानों में लाईन लगी हुई है। ये बोलेंगे कि कोरोना का है। कोरोना के समय दुकानों में जो स्थिति रही है, जिस प्रकार से ओवर रेटिंग के कारण शराब की जो बिक्री हुई है, जो पैसा आया है। आखिर में जो शराब का पैसा आया, सरकार के खजाने में राशि क्यों आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत विचारणीय बिन्दु है। जब पीने वाले बढ़ गये, उनकी लाईने बढ़ गयी है, ओवर रेटिंग भी हो रही है, मिलावटी भी हो रही है, पानी भी मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आखिर सरकार के खजाने को चूना कैसे लग रहा है ? इस बात का निश्चित रूप से खुलासा होना चाहिए। इसलिए मैंने पिछली बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, अभी धान खरीदी के लिये आपने निगरानी समिति बनाई है, आप जिला में दारू के लिये भी निगरानी समिति बना दीजिए। उसमें आप जनप्रतिनिधियों को रख दीजिए, आपके अधिकारियों को रख दीजिए, जिनको रखना है रख दीजिए। कम से कम जा करके एक महीने में दो, चार, पांच, दस दुकानों का निरीक्षण कर लें। उसमें कितने एक नंबर के पेटी में जा रही है, दो नंबर के पेटी में कितना जा रहा है। एक नंबर का दारू कितना आ रहा है, दो नंबर का कितना आ रहा है। प्रदेश के राजस्व को कितना चूना लगा रहे हैं। ये बात साफ हो जायेगी।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता जी, कैसे पता चला कि उसमें अधिक रेट ले रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम दोनों चलते हैं, लाईन में खड़े हो जाते हैं। (हंसी) और उसका क्या उपाय है, बाकी तो आप मानोगे नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वेश बदलकर जाना पड़ेगा, पैजामा कूरता नहीं चलेगा। पटका वगैरह बांध कर लूंहगी लगा कर जाना पड़ेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी छत्तीसगढ़ियों की बात कर रहे थे। हमारे चंद्रा जी कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता के लिये बहुत सारे अच्छा काम किये। वे उनसे पूछ रहे थे कि आपकी जो फैक्टरी है उसमें उनकी नौकरी की क्या स्थिति है ? आपकी जो प्लेसमेंट एजेंसी है, इसमें छत्तीसगढ़ियों की क्या स्थिति है, उनको कौन चला रहा है ? रेत खदान किसको दिया गया है। अब तो रेत खदान बोलना बंद कर दीजिए। माफिया, उसको तो माफिया ही बोल

दोगे तो लोग समझ जायेंगे, रेत खदान बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से रेत खदान में हो रहा है। जो दारू भट्ठी चला रहे हैं, जब हम लोग प्रश्न लगाते हैं, उसमें आया है कि सारे करतूत के बाद में बोलेंगे कि प्लेसमेंट के इतने कर्मचारियों को निकाल दिये। न तो वे मंत्री के कर्मचारी हैं, न मंत्री जी के अधिकारी हैं, वे तो प्लेसमेंट एजेंसी के हैं। आपका जिनसे संबंध है, वह प्लेसमेंट एजेंसी है। उनके खिलाफ में आपने कितनी कार्यवाही की।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, आप जिसमें बोल रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, आउटसोर्सिंग पूरी तरह बंद होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक जगह भी बंद नहीं हुई है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी ला बोलन देबे कि तिही बोले के शुरू कर देबे। कुछ उहू ला तो बोलन दे।

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत-बहुत बधाई। बिना रविन्द्र चौबे के इशारे के खड़े होकर बोल लेते हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही एक समाचार पत्र में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार का जो विकास होता था, वह विकास बड़े प्रोजेक्ट पर आधारित था, अधोसंरचना पर आधारित था। लेकिन हम जो विकास करेंगे, व्यक्तित्व की विकास की बात करेंगे। निश्चित रूप में मैं यहां बताना चाहूंगा, डॉ. साहब ने प्रोजेक्ट लाये, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, सड़कों का निर्माण कार्य आप लोग देख रहे हैं, यहां पर बाकी चीजों को देख रहे हैं लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, मुझे लगता है कि आज की सरकार भूल गयी है कि कहीं स्कूल भी खोले जाते हैं, कहीं कॉलेज भी खोले जाते हैं, वे इस बात को भी भूल गये हैं। उसको भूलने के बाद यह स्थिति हो गई है कि यहां पर जिस प्रकार से सरकार चल रही है, मैं इस सरकार के व्यक्तित्व के विकास को बताना चाहूंगा। व्यक्तित्व के विकास पर बात करना अच्छा लगता है। 2019 का समेकित विकास लक्ष्य, पूरे देश में छत्तीसगढ़ 17वें नंबर से बढ़कर 21वें नंबर पर आ गया है। स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 21वें नंबर पर है। भूख रहित क्षेत्र में 25वें नंबर पर है। हम विस्तार क्षेत्र में 22वें नंबर पर हैं और स्वस्थ उर्जा क्षेत्र में 24वें नंबर पर हैं। मैंने जिस बात का उल्लेख किया, यदि उसकी बात करेंगे कि हमें किस बात का अभिमान है ? तो वास्तव में आत्महत्या की दर में देश में हमारा राज्य चौथे नंबर पर स्थान है, यह सन् 2019 का है, जो सेन्ट्रल ने जारी किया है। इसमें 7,692 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है। यह भारत वर्ष की कुल आत्महत्या का 5 प्रतिशत से अधिक है और देश में प्रदेश का 8वां नंबर है। यदि हम प्रति लाख जनसंख्या में मरने वालों की बात करें तो 26 है, जो पूरे देश में चौथे स्थान पर है। 2019 में 13 राज्यों में आत्महत्या की दर ऋणात्मक थी, जबकि छत्तीसगढ़ में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, सभी सरकार से त्रस्त है, जबकि पूरे देश में आत्महत्या की दर में हम चौथे स्थान पर हैं। कल विधानसभा के प्रश्न के जवाब में

यह आया था कि 1 जनवरी, 2019 से लेकर 4 दिसम्बर, 2020 के बीच यहां पर 12 हजार लोगों ने आत्महत्याएं की हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनाचार की घटना के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़, पूरे देश में चौथे नंबर पर है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2019 ने जो रिपोर्ट जारी किया है, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। प्रति लाख जनसंख्या में 53 महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, जो देश के राज्यों में 13वें स्थान पर है। विधानसभा के प्रश्न के जवाब में आया कि 01 जनवरी, 2019 से 04 दिसम्बर, 2020 तक 5,356 महिलाओं एवं बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं हुई हैं। जिसमें 3,200 नाबालिग हैं। यदि हम अनुसूचित जाति, जनजाति की बात करें तो 2,400 से अधिक महिलाओं और बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री जी, हम किस बात को लेकर अभिमान करे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय नेता जी, आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वह किस सन् का है ? जो रिपोर्ट आया है, वह किस सन् का है ?

श्री धरम लाल कौशिक:- यह नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है।

श्री भूपेश बघेल :- 2019 का है ?

श्री धरम लाल कौशिक:- हां।

श्री भूपेश बघेल :- हां, तो घटना 2018 में हुआ तभी तो 2019 में छपेगा।

श्री कवासी लखमा :- हां।

श्री धरम लाल कौशिक:- यह 2018-19 का नहीं है। जो रिपोर्ट जारी हुआ है, मैं उसको बताया हूं। मैंने बताया है न। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 01 जनवरी, 2019 से लेकर 04 दिसम्बर, 2020. आपकी सरकार आने के बाद की बात है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, वह 15 साल के आपके कार्यकाल का है।

श्री धरम लाल कौशिक:- आपने 15 साल का बहुत गाथा गाया है।

श्री भूपेश बघेल :- जो सन् 2019 की रिपोर्ट है, जो सन् 2018 की घटना है, उसी की तो रिपोर्ट आयेगी। आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं तो जानकारी लेना चाहता था कि यह कब की घटना है ?

श्री धरम लाल कौशिक:- मैंने तो आपको बताया कि विधानसभा के प्रश्न के जवाब में यह आया है। विधानसभा के प्रश्न का जवाब आप सन् 2018 का दिए हो। मैंने जो पूछा है उसको फिर रिपीट कर देता हूं। शायद आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। 01 जनवरी, 2019 से 04 दिसम्बर, 2020 तक 4 हजार से अधिक अपहरण हुए हैं।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, मैं ये बोलत रहेव ये जो रिपोर्ट पढ़थव न, रिपोर्ट पढ़े के पहले बगल के चेहरा ला देख ला करवा कि ओ नाराज हे कि खुश हे।

श्री धरम लाल कौशिक:- मैं आपको बता देता हूं न। 01 जनवरी, 2019 से 04 दिसम्बर, 2020 तक 5,356 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। अब आप प्रसन्न हैं न ? मैं तो पढ़ रहा हूं, आप मुझे याद दिला रहे थे इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। यह विधानसभा के प्रश्न का जवाब है और 01 जनवरी, 2019 से है, कब तक का है ? 04 दिसम्बर, 2020 तक का है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बार-बार खड़े होने वाले मंत्री जी यहां मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में जो घटना घटती है वह तो छोटी घटना घटती है। जितनी बड़ी घटनाएं हैं वह छत्तीसगढ़ के बाहर घटती हैं। आपके मंत्रिमंडल के सदस्य उन घटनाओं को यहां घटना ही नहीं मानते यह आश्चर्यजनक है। इसलिए आप उन आंकड़ों से सहमत नहीं हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां यदि विकास की बात करेंगे तो जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तो इनके आने के बाद जो पंचायत को राशि दी जाती थी चाहे वह समग्र योजना में हो या अन्य योजना के अंतर्गत हो इनके आने के बाद सबसे पहला काम तो यही हुआ कि नगरीय निकाय और पंचायत से पैसा वापस लेकर प्रदेश में बुलाया गया। पैसा वापस लिया गया और उसके बाद समग्र में अभी तक एक नया पैसा जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में न केवल इस पक्ष के बल्कि बाकी विधायक भी जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग इस बात की मांग करते हैं कि साहब हमको सी.सी. रोड चाहिए, हमको सामुदायिक भवन चाहिए। यही एक राशि है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर बात करते हैं लेकिन इस सरकार के आने के बाद ये राशि लगभग बंद हो गई। उसके बाद आपके 14वें वित्त आयोग की राशि पिछली बार जब मैंने बात की थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कितने पैसा सरपंचों को देने का बचा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं मतलब एक बार पूरे प्रदेश का हिसाब-किताब करवायेंगे कि क्वारंटाईन में जिन लोगों ने पैसा लगाया उस पैसे को मुख्यमंत्री जी उन्हें वापस देने वाले हैं। आज भी हमारे कई सरपंच कर्ज में डूबे हुए हैं क्योंकि क्वारंटाईन में उन्होंने राशि लगाई है। प्रदेश में पूरे विकास के कार्य ठप्प हो गये हैं। न मुख्यमंत्री जी के समग्र का पैसा जा रहा है, केंद्र से जो 14वें वित्त आयोग का पैसा आया वह पैसा भी उनसे वापस ले लिया गया और क्वारंटाईन में लगा दिया गया और आज तक वह पैसा मुख्यमंत्री जी ने उनको वापस नहीं किया। 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है वह अभी भी जिला पंचायतों से जारी नहीं हुआ है और अभी भी पंचायतों को राशि नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से यहां पर जो बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि चबूतरा निर्माण किए हैं और वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने चबूतरा निर्माण किया है। आपने जो सारे चबूतरों का निर्माण किया है ना वह मनरेगा का पैसा है। एक भी पैसे का योगदान आपका नहीं है इसलिए अपनी पीठ थपथपाने की आपको जरूरत नहीं है और उसमें भी आपने निर्देश किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मटेरियल 60 एवं 40 के रेशियो में होता है और यह मंडी का पैसा है। मटेरियल 60 एवं 40 के रेशियो में होता है। सारे पैसे मनरेगा के नहीं हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- मटेरियल का पैसा भी आपने नहीं दिया। मटेरियल के पैसे के लिए भी जो 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के पैसे के लिए आप उनको निर्देश कर रहे हैं कि चबूतरे के लिए आप उस पैसे को लगाईये और सरपंचों से आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जितने कार्य हैं जो केन्द्र की योजना से हैं वह भी अब बंद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि कोई भी नये कार्य शुरू नहीं करेंगे। मतलब आपको कोई भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। जो स्वीकृत हो गया है वह भी चालू नहीं होगा।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- अभी आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए छत्तीसगढ़ की जो समावेशी योजना है मोर जमीन मोर मकान उसके लिए अभी 01 जनवरी, 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार को ईनाम मिलने वाला है। उसे थोड़ा देखिए। केंद्र की सरकार ने अभी घोषणा किया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं तो देख लिया हूं, सरकार का सर्कुलर जारी हुआ है और सरकार का जो सर्कुलर जारी हुआ है वही मैं बता रहा हूं कि कोई भी नये कार्य शुरू नहीं किए जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सरकार में एक और नया कल्चर डेव्हलप हुआ है कि जितने भी टेंडर हो रहे हैं उस टेंडर के होने के पहले ही पता नहीं क्या उसमें सांठगांठ हो जाती है और अंतत: टेंडर को निरस्त करना पड़ रहा है चाहे वह जलशक्ति मिशन योजना का हो, चाहे रैपिड किट का हो या अन्य योजनाओं का हो जो भी केंद्र से आया या फिर यहां के टेंडर लगे तो टेंडर लगने क बाद आज टेंडर को निरस्त किए हैं। बिना टेंडर के कई जगह उसके काम प्रारंभ हो गये हैं। अपूर्ण की स्थिति में हैं तो कई जगह पूर्णता की स्थिति में है। लेकिन जिस प्रकार से यहां कार्य चल रहे हैं कि टेंडर में इसके पहले इस प्रकार का घोटाला यहां कभी नहीं हुआ कि टेंडर घोटाला यहां एक नया वर्क कल्चर डेव्हलप हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे पटवारी से लेकर, 62 दिनों से विद्यामितान लोग धरने पर बैठे हैं। एक आदमी पूछने वाला नहीं है। इसी विधान सभा सत्र में चर्चा हुई थी, मंत्री जी ने जवाब दिया था। आसंदी पर अध्यक्ष जी बैठे हुए थे तो उन्होंने आश्वस्त किया था, उस समय मंत्री जी ने कहा था कि हम सब को लेंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है वे लोग 62 दिनों से धरने पर बैठे हैं आपके पास भी प्रतिदिन उनके डेलीगेशन मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको यह भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उठकर चले जाईये, हम आपकी चिंता करेंगे। आप ऐसी स्थिति में छोड़ दिये हैं, वे बाल-बच्चे के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं यहां पर आपके जो कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, 50 फेडरेशन के लोग धरना, आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद में मैंने पटवारी का बताया। पटवारी यहां पर बैठे

हुए हैं चुनाव के पहले तो उनको बड़े-बड़े वायदे किये कि आप चिंता मत करिये। तुरंत वहां पहुंचकर, लिखकर भी दिया गया और लिखकर देने के बाद में आज 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन 2 सालों के बाद में आप कहां पर हैं? आपके द्वारा कितने अनियमित कर्मचारी को नियमित किया गया। आप लोगों का धीरज का बांध टूटते जा रहा है। आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, नहीं तो हम भत्ता देंगे। 2 साल का समय बीत गया। मैं 18 लाख की बात नहीं करता। केवल यदि मैं 10 लाख की बात करूंगा तो यदि 10 लाख भी देते तो 2 सालों में 4 लाख लोगों को भत्ता देते। 4 लाख लोगों को नहीं देते तो कहीं से उनकी शुरूआत तो करते, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी आज उसकी शुरूआत नहीं हुई है।

श्री अमरजीत भगत :- मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दे दी ? दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेरकर रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। नेता जी जल्दी समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अमरजीत जी, आप के.टी.एस. तुलसी साहब को बोल दीजिए कि वहां उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार यहां पर देख रहे हैं कि सीमेंट के दाम अभी 40 रूपये बढ़े हैं आपके रेती के दाम, छड़, बढ़ गये हैं। लगातार पता नहीं, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में क्या हो गया है । जो रेत 8 हजार रूपये में मिलती थी, आजकल 16 हजार रूपये से 25 हजार रूपये में उसकी बिक्री हो रही है। लगातार सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से यहां पर वृद्धि हो रही है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण, निर्णय में इस प्रकार से वृद्धि हो। जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आये तो मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के बाद बैठे तो उन्होंने यहां पर हाऊस के अंदर में दो निर्णय लेने का कहा एक स्काई वॉक और एक हमारे बिलासपुर के सिवरेज के लिए कहा। आज 2 सालों का समय हो गया। हम सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने स्काई वॉक का क्या निर्णय लिया ? उस समय के रेट में और यदि अभी बनायेंगे तो कितनी वृद्धि हो गई, आपको कितना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। क्या आप उसको तोड़ना चाहते हैं ? बिलासपुर के सिवरेज का मामला आया। यहां पर खोदापुर वाले हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं। यदि हम खोदापुर की बात करें तो दो साल में वहां के एक गड्ढे को नहीं पाट पाये। एक बात और बता दूं कि कल मैंने प्रश्न लगाया था मैंने इसके पहले मुख्यमंत्री जी, नगरीय निकाय मंत्री जी से भी आग्रह किया था कि आपसे नगर निगम नहीं संभल रही है वहां पर जो पंचायत अच्छे खासे काम कर रहे हैं। आप उनको शामिल मत कीजिए। हमारे 15 पंचायत को शामिल किये, 3 नगरीय निकाय को शामिल किये। आज उन 15 पंचायतों में कल सरकार का लिखित जवाब है कि उनको शामिल करने के

बाद में जब यह सरकार आयी तो नगर निगम का विस्तार किया, शामिल किया और शामिल होने के बाद में आज तक एक नये पैसे की राशि नहीं गई है। न अधोसंरचना की राशि गई है और न ही 14 वें वित्त आयोग की राशि गई है न उसमें किसी फंड की राशि गई है। आप जब बना नहीं सकते तो आपको बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। यदि आज वहां पर उन पंचायतों में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है वहां पर जो आक्रोश पनप रहे हैं वहां पर पूरा सत्यानाश करके रखे हुए हैं यह सरकार उसके लिए दोषी है। यदि आप उनको शामिल किये हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं तो आपको सुविधाएं भी मुहैया करानी चाहिए। आप एक सी.सी. रोड बनाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। आप लाईट नहीं बदल पा रहे हैं। पिछले समय में जो हमारी सरकार थी जिस लाईट को निकालकर रख दिये थे, आज यदि कहीं फ्यूज हो रही है तो लाईट को निकलवाकर, ठीक करवाकर लगा रहे हैं। ये सरकार की स्थिति हो गई है। सरकार की एक बल्व बदलने की स्थिति नहीं है। आपने नगरीय निकाय को पूरा चौपट कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी परसों ही प्रश्न के जवाब में आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, 34 हजार पंप के कनेक्शन पेन्डिंग हैं। जिस प्रकार से आपकी सरकार की गति चल रही है, ये आपका 3 साल का कार्यकाल बाकी है, उसमें भी आप उन्हीं को पंप कनेक्शन नहीं दे पायेंगे। यदि आप अनुपूरक में व्यवस्था कर दिये होते तो किसानों को पंप का कनेक्शन मिल जाता। प्रदेश में लगभग 94 हजार अस्थाई कनेक्शन हैं और अस्थाई कनेक्शन इसलिए है क्योंकि उसमें सरकार को राशि देनी पड़ेगी। उनको स्थाई नहीं कर रहे हैं। एक बार में निरस्त कर देते हैं, इतने कनेक्शन के आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा था। आप सिंचाई को डबल करना चाहते हैं, जो अधूरी सिंचाई योजनायें हैं, उनके लिए आप पैसा दे दीजिए। मैं देख रहा था कि अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं पर शायद अनुपूरक में राशि उपलब्ध हो, लेकिन इसमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की कविता की पंक्ति है- "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।" ये सरकार की स्थिति है। इनके कार्यकाल में 30,632 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करिये। बहुत समय हो गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट और समय लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, जल्दी क्यों है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में नेता प्रतिपक्ष का ढाई घंटे का रिकार्ड है, सवा दो घंटे वाले तो हमारे सामने बैठे हैं। अभी इनको तो बोलते हुए एक ही घंटा हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी हम लोग बैठेंगे न। 30,632 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने एक मिनट कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग ढाई घंटा बिना टोका-टोकी के सुने हैं। कोई टोका-टोकी नहीं हुई है। हम लोग ढाई घंटा तक सुने हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सवा दो घंटे वाले हमारे सामने बैठे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराज साहब जब बोलते थे, हम लोग जो बोले रहते थे, वह उन विषयों को रिपीट नहीं करते थे। वह नये विषय में बात करते थे। लेकिन आज तो ये है कि सब जो बोला जा चुका है, वह सारे विषय रिपीट हो रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार करोड़ रुपये, प्रतिदिन लगभग 42 करोड़ रुपये, प्रतिघंटे 2 करोड़ रुपये, प्रति मिनट 2 लाख 92 हजार रुपये यह सरकार कर्ज ले रही है। मैं जब बात करना शुरू किया था और अभी तक जितना बोला हूं तो प्रति सेकंड 5 हजार रुपये कर्ज यह सरकार ले रही है। अब इस बजट को देख करके नई बात बोलने के लिए क्या है ? जब अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की तो उनको मालूम था कि यहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े मन से निर्णय लिया। हम लोग मध्यप्रदेश में आरोप लगाते थे, वहां का जब बजट देखते थे तो ये लगता था कि छत्तीसगढ़ कहां पर है और ढूंढकर देखना पड़ता था। आप इस अनुपूरक बजट में भी ढूंढकर देखना पड़ रहा है। कोई मंत्री ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश का मंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल की मानसिकता कुछ क्षेत्रों तक सिमटकर रह गई है, यह स्पष्ट इस बजट से नजर आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए क्योंकि यह न जनहित में, न किसान हित में और न गरीब हित में हैं, केवल कर्ज लेकर के कर्ज पटाने के लिए है, बाकी जो विषय है, केन्द्रीय अनुदान का राज्य का जो शेयर है, उसके लिए आपने लाया है। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यंमत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 कि द्वितीय अनुपूरक अनुमान के अनुदान मांगों पर चर्चा में माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी, मोहन मरकाम जी, माननीय डॉ. रमन सिंह जी, संतराम नेताम जी, धर्मजीत सिंह जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, सौरभ सिंह जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी, शैलेश पांडे जी, देवव्रत सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी ने चर्चा में भाग लिया। बहुत ही अच्छी बहस हुई। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारी जानकारियां दीं और बहुत से आंकड़ें भी इस सदन में प्रस्तुत किये गये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत ही सार्थक चर्चा इस दौरान हुई हैं । मैं इसके लिये सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 के मुख्य बजट का कुल प्रावधान 1 लाख 2907 करोड़, प्रथम अनुपूरक का आकार 3807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2387 करोड़, प्रथम और द्वितीय अनुपूरक सहित कुल बजट का आकार 01 लाख 9101 करोड़ इस प्रकार से अब हमारे बजट का जो आकार 01 लाख 9101 करोड़ का है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बात कही । माननीय अजय जी ने जिस बात से शुरूआत की कि हमारे शासनकाल में कितने करोड़ थे और हमारे शासनकाल में कितने थे ? मैं हमारे 03 साल के कार्यकाल की बात करना चाहूंगा । खजाने में 400 करोड़ रूपए छोड़कर गए थे और धर्मजीत जी, जब हमारे विधायक दल की बैठक होती थी तो यही बोलते थे कि यह 400 करोड़ रूपए खर्चा कर देते तो हम लोग सरकार में आ जाते । धर्मजीत जी यह बात बार-बार बोलते थे। उस समय 4000 करोड़ के बजट में 400 करोड़ खजाने में छोड़कर गये थे और आपके शासनकाल में 90 से 01 लाख करोड़ का बजट रहा है उसमें से 41,000 करोड़ का कर्ज मतलब वह कितने परसेंट हो गया ? जहां हम 10 परसेंट प्लस में थे, आप 40 परसेंट माइनस में और आज हमको कहते हैं कि कर्ज क्यों ले रहे हैं ? कर्ज ले रहे हैं, हमारी योजनाएं अलग थीं, आपकी योजनाएं अलग हैं जिसके बारे में आपने बात कही । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां, हमने किसानों का कर्ज पटाने के लिये कर्ज लिया । हमने धान खरीदी के लिये कर्ज लिया । लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये हमने कर्ज लिया । (मेजों की थपथपाहट) आपके शासनकाल में क्या होता था ? आपने स्कायवाक के लिये कर्ज लिया था, आपने एक्सप्रेस वे के लिये कर्ज लिया था, जो पुल 05 बार उखड़ चुका है । आप मोबाईल के लिये कर्ज लेते थे । आपने नयी राजधानी बनाने के लिये कर्ज लिया जिसमें कोई रहता नहीं था, अब बसाने के लिये, आप मंत्रियों के लिये तो निवास बना देते । उसको हम शुरू कर रहे हैं ताकि वह शहर तो बस जाये । हजारों-करोड़ों रूपया का कर्ज लिये लेकिन वहां कोई रहने के लिये तैयार नहीं इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम लोग ही जाकर वहां रहेंगे तो शायद वह शहर बसे तो आपकी प्राथमिकता अलग थी और हमारी प्राथामिकता अलग है । हमारी प्राथमिकता हमारे पुरखों ने जो तय किया । हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब आदिवासी निवास करते हैं, मजदूर निवास करते हैं, किसान निवास करते हैं उनके जीवन को कैसे ऊपर उठायें ? यह हमारी चिंता है और जब आपने 41,000 करोड़ का कर्जा छोड़ ही दिया और हमारे जो वायदे थे उसको पूरा करना है तो हमको तो कर्ज लेना ही पड़ेगा न और माननीय रमन सिंह जी बोल रहे थे कि गंगाजल की कसम खाये थे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिटलर का नाम सबने सुना है, गोएबल्स उनके प्रचार मंत्री थे । एक झूठ को 100 बार बोलो तो वह सच लगने लगता है । बात की शुरूआत कहां हुई ? वह आपका आई.टी. सेल है न, उसमें शैलेष नितिन त्रिवेदी हमारे जो मीडियासेल के चैयरमेन हैं उनका लेटरपेड और हस्ताक्षर किसका हमारे संगठन के प्रभारी महामंत्री श्री गिरीश देवांगन का और मेटर क्या था, मेटर यह था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा । यह दुष्प्रचार किया गया (शेम-शेम की आवाज) और उस दुष्प्रचार के काट के लिये हमारे नेताओं ने फिर मीडिया के सामने गंगाजल लेकर यह कसम खायी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे यह बात कही गयी । (मेजों की थपथपाहट) आप किस बात को कहां ले जाते हैं ? आप तो उससे प्रभावित हैं न । नागपुर में जो बैंड रखा हुआ है वह हिटलर का ही दिया हुआ है, हिटलर ही आपके आदर्श हैं तो उन्हीं का अनुसरण

करते हैं । अभी नेता जी बोल रहे थे और हमारे खाद्य मंत्री जी उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे । बारदाने की कमी है, हमने स्वीकार किया कि पर्याप्त बारदाना नहीं है । भारत सरकार से, जूट कमीश्नर से सभी लोग मांग करते हैं । पिछले साल भी वहीं से आया था, उसके पिछले साल भी वहीं से आया था। जब आप 15 साल तक सरकार में था और जानते थे कि धान खरीदना ही है तो छत्तीसगढ़ में आपने एक भी जूट मिल क्यों शुरू नहीं की ? एक जूट मिल रायगढ़ में थी, वह भी बंद पड़ी है । उसको भी शुरू करने की कोशिश नहीं की । उपाध्यक्ष महोदय, देश में 70 जूट मिलें हैं और उनमें से 60 जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हैं । इसलिए बारदाना तो वहीं से आना है और कोरोनाकाल में वे जूट मिलें भी बंद थीं । प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेसिंग से बैठक ली, तो हम लोगों को बुलाया और ममता जी भी थीं । उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में आपके आदेश के कारण हमें जूट मिलें शुरू करनी पड़ी क्योंकि आपको बारदाने की जरूरत है । जूट मिल शुरू करने के कारण कोरोना फैला भी । ममता बैनर्जी जी का बयान है कि देश को आवश्यकता है इसलिए हमने शुरू की । हमें आवश्यकता थी इसलिए हमने जूट कमीश्नर से मांगा । अब हमने कितना पैसा पटाया यह महत्वपूर्ण नहीं है । एडवांस नहीं पटाएंगे तो नहीं देंगे क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, हमने 3 लाख गठान से अधिक की मांग की थी । जूट कमीश्नर ने कहा कि हम 1 लाख 43 हजार से अधिक गठानें आपको दे ही नहीं सकते तो फिर हमने कहा कि आपकी तरफ से 1 लाख 43 हजार गठानें मिलना चाहिए । अब मैं आपको बता देता हूं अभी तक 1 लाख 5 हजार गठानें प्राप्त हुई हैं, हमको जरूरत है साढ़े चार लाख गठानों की, इसलिए व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी । आप कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, हां है सरकार की जिम्मेदारी । लेकिन क्या देश के अन्य लोगों से सहयोग नहीं लेंगे, क्या छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है ? जब प्रदेश में आपकी सरकार थी तो क्या केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं लेती थी, क्या उनका अनुदान आपको नहीं मिलता था ? यह संघीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत चलना ही है । आपने तो छत्तीसगढ़ के उद्योगों के हित को बलाए-ताक पर रखकर जैम पोर्टल से खरीदी करते थे और यहां के उद्योग खाली बैठे रहते थे, यहां के कर्मचारी खाली बैठे रहते थे । आपने तो यह व्यवस्था कर ली थी ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप पीडीएस के बारे में बोल रहे थे । पीडीएस की दुकान से कितना मिल जाएगा ? मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 70 हजार गठानें पीडीएस से हम ले रहे हैं और उसमें से 65 हजार गठानें हमारे पास आ चुकी हैं, पीडीएस की दुकानों से थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा किये तो 65 हजार गठानें हमारे पास आ चुकी हैं । मिलर्स के पास जो पुराने बारदाने थे उनसे हमने डिमांड की तो उन्होंने 1 लाख 60 हजार गठानें देने की बात कही लेकिन 80 हजार गठानें हमें मिल चुकी हैं । उसी प्रकार से एच.डी.पी.ई. से 12 हजार आए । कुल मिलाकर 4 लाख 43 हजार गठानों की हमें आवश्यकता है उसमें से 2 लाख 62 हजार गठानें हमारे पास आ चुकी हैं । 1 लाख 83 हजार शेष है, 1 लाख 58 हजार का उपयोग हो चुका है । 1 लाख 4 हजार गठानें उपयोग हेतु शेष है । इस प्रकार कोरोनाकाल में विपरीत

परिस्थिति में व्यवस्था कर रहे हैं । अब वे फटे बारदाने हैं, पुराने बारदाने हैं, कैसे भी करके हमें व्यवस्था करना है, किसानों का धान खरीदना है । जूठ मिलें यदि उत्पादन नहीं कर पा रही हैं तो यह उनका दोष नहीं है, या हम नहीं ला पा रहे हैं तो यह हमारा दोष नहीं है । इस कोरोनाकाल से सबको मिलजुलकर लड़ना है और हमने व्यवस्था की । हम तो यह कह सकते थे कि जूट कमीश्नर नहीं दे रहे हैं । आप कहते हैं कि सरकार को नया खरीद लेना था । मैं आपसे कह रहा हूं कि नया दिला दीजिए हम खरीद लेते हैं। जब वह चीज देश में है ही नहीं, क्योंकि जूट की आवश्यकता सभी प्रदेशों में है । पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी को आवश्यकता है । उसके हिसाब से उस जूट कमीशनर से डिवाइड किया और उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी आप व्यवस्था करें और वह व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ ने किया है और उसके तहत चल रहे हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि यदि आप बहुत सक्षम हैं। यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो हम आपसे निवेदन कर लेते हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। यदि आप हमें बारदाना देंगे तो हम इस सदन में आपकी प्रशंसा करेंगे। हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन बारादाना रहे तब न, लेकिन आपको तो आदत है कि कैसे अफवाह फैलाना है? आपने डिमाण्ड ही नहीं किया। ये उसी प्रकार से है, जैसे कसम खाई। यह उसी प्रकार की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रमन सिंह जी ने जो बात कही, मैं उसमें आउंगा, लेकिन इस बात के लिए दो साल में हम लोगों ने जहां लगातार चुनाव लड़े और दूसरे साल में कोरोनाकाल हुआ और इसमें पूरा देश और पूरा विश्व प्रभावित हुआ, उसके बाद भी जो सुविधाएं आम जनता को हम लोगों ने उपलब्ध करायीं, वह प्रशंसनीय है और कोरोनाकाल में जो व्यवस्थाएं कीं, उसकी भारत सरकार ने खुद प्रशंसा की। ये हमने नहीं भारत सरकार ने प्रशंसा की। हमने 22 हजार से अधिक क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की। हमने 35 किलो चावल प्रति माह के हिसाब से तीन महीने का चावल चावल मुफ्त में दिया, जबकि देश में यह व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने बाद में घोषणा किया। हम लोगों ने तय किया और उसके वितरण की व्यवस्था उस कोरोनाकाल में की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों तक मध्यान्ह भोजन व सूखा भोजन पहुंचाया, उसकी प्रशंसा नीति आयोग ने की। ऐसी कितनी बातें हैं। मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार ने प्रशंसा की, उसके दो दर्जन से अधिक मेरे पास पत्र हैं और उसकी सूची है। पंचायत विभाग से, एग्रीकल्चर विभाग से, पी.डी.एस. से, महिला एवं बाल विकास से, शहरी विकास से। अभी जो मोर जमीन मोर मकान के बारे में विनय जायसवाल जी बोल रहे थे। एक जनवरी को हरदीप पुरी जी ने छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मानित करने के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है। हमारी सरकार लगातार इस विपरीत परिस्थिति में काम कर रही है। आप लगातार कह रहे हैं कि 2500 रूपया प्रति क्विंटल का पैसा नहीं दिये। पिछली विधान सभा सत्र में भी यह बात हुई। हमने पिछले सत्र से ही कहा कि हम समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे। हमारे हाथ-पांव भारत सरकार ने बांध दिये हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने यदि समर्थन मूल्य के अतिरिक्त एक रूपया भी दिया, आपने बोनस दिया तो हम एफ.सी.आई. में आपका

चावल खरीदेंगे ही नहीं। इसके बारे में कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी से हम लोग मिले, फिर भी कोई टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री जो को कितने ही बार चिट्ठी लिखी तो आखिर में हमें निर्णय लेना पड़ा कि हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन इसी सदन में मैंने घोषणा की थी कि हम किसी दूसरे माध्यम से किसानों के अंतर की राशि की भरपाई करेंगे। फिर पिछले बजट सत्र में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 10 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने का फैसला किया। (मेजों की थपथपाहट) वह योजना है। वह 2500 रूपये नहीं है। जो रमन सिंह जी बार-बार कह रहे हैं कि 2500 रूपये एक साथ दे दीजिए। 4 किश्त में दे रहे हैं। व्यापारी के दुकान में जाकर बात करो। आप जो कह रहे थे। यह योजना है और योजना के माध्यम से हम किश्तों में दे रहे हैं और कब-कब दे रहे हैं, जब हमारा धान बोवाई का सीजन है। हम शुरूआत कर रहे हैं। उस समय हम 21 मई को दिये। तीजा-पोरा का सीजन और धान रोपाई के बाद निंदाई, गुड़ाई और खाद डालने के समय 20 अगस्त को दिये। हमने तीसरा किश्त 1 नवंबर को दिया, जब किसानों को दीपावली बनाना था, त्यौहार मनाना था। अपने मजदूरों को भुगतान करना था। परिवार के लिए कपड़े लत्ते खरीदने थे। धान कटाई करना है, ऐसे समय में दिये और चौथा किश्त भी हम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले दे देंगे। (मेजों की थपथपाहट) यह हमारा commitment है और हम दे रहे हैं। हम 3 किश्त में दे रहे हैं। 4 किश्त में दे रहे हैं। अभी अमरजीत जी बोल रहे थे न। अभी हम लोगों ने सरगुजा संभाग का दौरा किया। मैं सभी जिलों के एक-एक गोठान में और एक जगह धान संग्रहण केन्द्र में गया हूं। हमारे मंत्रीगण भी थे। हमारे विधायक भी थे। हमारे अधिकारी भी थे। कहीं कोई भीड़ नहीं। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि हमने धान संग्रहण केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी। आपके समय में 1900 धान संग्रहन केन्द्र था। पिछले साल हमने 2000 धान संग्रहण केन्द्र खोले और इस साल 2300 धान संग्रहण केन्द्र हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे थे कि धान कैसे खरीद लेंगे । मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष इसी दिन में 23 दिसम्बर तक जो किसान धान बेचे थे, उनकी संख्या 5 लाख थी और 5 लाख किसानों ने 18 लाख, 47 हजार मेट्रिक टन धान बेचा था और इस साल उसी समय में, सेम समय में इस वर्ष 9 लाख, 90हजार किसान 37.3 लाख मेट्रिक टन धान बेच चुके हैं । यह हमारी व्यवस्था है । 17 कार्य दिवस में हम 38 लाख मेट्रिक टन धान खरीद चुके हैं तो आने वाले जनवरी तक 90 लाख मेट्रिक टन धान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है । जो व्यवस्था किये हैं, वह आसानी से सब जगह हो रहा है । हम लोग बारदाने की व्यवस्था निश्चित रूप से कर रहे हैं । जहां से भी मिले, हम लोग ले रहे हैं । अंत में तो हमने यह कहा कि किसानों के पास बारदाना हो तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है । अभी चंद्रा जी कह रहे थे कि किसानों के पास बारदाना ? चंद्रा जी, किसानों के पास क्या नहीं होता ? सब कुछ होता है, आखिर धान बेचने जाते हैं तो कहां से बारदाना लाते हैं । कभी अड़तिया से लेते थे, कभी मिलर से लेते थे, कभी खुद का रखते थे और ऐसा करके वे धान बेच लेते थे । आज भी जो अतिरिक्त धान बचता है, आखिर

उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं । उसी प्रकार से करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक एफ.सी.आई. में अरवां और उसना चांवल जमा करने की अनुमति नहीं दी है । कल ही मैंने माननीय पीयूष गोयल जी से बात की कि अनुमति तो दे दीजिए तो वे बोले कि मैं किसान आंदोलन में फंसा हूं । अच्छी बात है कि आप किसानों की चिन्ता कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों की भी चिन्ता करिए, कम से कम अनुमति दीजिए, आपको एक चिड़िया तो बिठानी है । वे अनुमति भी नहीं दे रहे हैं । आप काम को किस प्रकार से अटकाते हैं । धान खरीदी शुरू किए 23 दिन हो गए और अभी तक चांवल जमा करने की अनुमति नहीं दी गई है तो राईस मिल से कहां जाएगा । हमने तो सोसायटी में धान खरीद लिया है, सोसायटी से राईस मिल में जायेगा । अब राईस मिल वाले कहां जमा करेंगे और यदि जमा नहीं करेंगे तो फिर बारदाने की कमी होगी । अटकाने का काम न करें, मैंने पीयूष गोयल जी से कल ही टेलीफोन पर बात की । मैंने निवेदन किया कि सिर्फ आपके दस्तखत के लिए रूका है, आप दस्तखत कर दीजिए, एफ.सी.आई. को आदेश का देंगे तो हमारा चांवल जमा होना शुरू हो जायेगा । अभी तक 7 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान का उठाव राईस मिलर्स कर चुके हैं । ऐसा नहीं कि उठाव शुरू नहीं हुआ है । कहीं उठाव शुरू नहीं हुआ है, उसको हम शुरू करेंगे । हमने उस प्रकार से व्यवस्था कर दी है कि उसी रेट से यदि कोई ठेकदार नहीं उठा पाता तो उसकी व्यवस्था करें । हमारी सरकार धान खरीदी के प्रति पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग लगे हुए हैं । किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि गिरदावली किया गया है और कटौती हुई । मेरे पास सारे आंकड़े हैं । आपके शासनकाल में कितनी धान खरीदी होती थी । आपने 2017 में 15 लाख, 77 हजार मेट्रिक टन धान खरीदी, 2018 में 16 लाख, 96 हजार और आज 2019 में जब हमारी सरकार आई तो 19 हजार, 55 हजार मेट्रिक टन धान खरीदा और 2020-21 में 21 लाख...

श्री अजय चन्द्राकर :- पंजीयन कराया ।

श्रीभूपेश बघेल:- क्षमा चाहूंगा, वह पंजीयन है । ये किसान हैं, मैं फिर से क्षमा चाहूंगा । 2017-18 में 15 लाख, 77 हजार किसानों ने पंजीयन किया और आज की तारीख में 2020-21 में 21 लाख, 52 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है और रकबा भी बढ़े हैं, 27लाख हेक्टेयर रकबे का रजिस्ट्रेशन किसानों ने किया है । जहां गड़बड़ी हुई और वह भी आप कहें कि 112 में शिकायतें हुईं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं । कुल 1700 शिकायतें मिली, जिसमें निराकृत 483 है, लंबित 1212 है, पूरे प्रदेश में रकबा संबंधित शिकायतों की श्रेणी केवल 413 है, जिसके बारे में हल्ला कर रहे हैं। साढ़े 21 लाख किसान जहां रजिस्ट्रेशन कराये हैं, उसमें शिकायत केवल 413 आई है। भुगतान संबंधी 158...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 400 पत्र तो एक अकेला तहसील जैजेपुर में मैं खुद रकबा से संबंधित लिखा हूं। ये आंकड़ा आपके पास क्यों नहीं है, पूरे प्रदेश में है। एक अकेला तहसील जैजेपुर में 400 पत्र मैं अकेला लिखा हूं, किसानों का जो आवेदन आया है और एक का भी निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। आज ही जैजेपुर की समस्या मैं माननीय मंत्री जी को दो पत्र लिखकर दिया हूं।

श्री भूपेश बघेल :- बैठिये।

श्री केशव प्रसा चंद्रा :- पिछले साल से इस साल आपके धान का रकबा कम हुआ है...।

श्री भूपेश बघेल :- चंद्रा जी मैं खड़ा हूं। आपको अनुमति मिली है। भुगतान संबंधित 158, बारदाना संबंधित 101, टोकन संबंधित 171, धान रिजेक्ट संबंधित 199, किसान पंजीयन संबंधित 124। ये आंकड़े आये हैं, आपके पास जानकारी है, वह दे दीजिए। मैंने आपको 112 के बारे में जानकारी दी। यदि तहसील स्तर पर कोई आया हो तो वह अलग हो सकता है। निश्चित रूप से हम लोग हर स्तर पर, यदि कोई शिकायत है तो उसका निराकरण करने के लिये कटिबद्ध हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजय जी और डॉ. रमन सिंह जी, दोनों ने कहा मुफ्त ईलाज। मध्यप्रदेश में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, हमारे यहां नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आज के कार्यसूची के पद 7 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि किया जावे। मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी प्रक्रिया सरकारी तौर पर थी। पूरे देश में पैनडेमिक एक्ट लगा हुआ है। भारत सरकार जो निर्देश देती है, उसे हर राज्य को पालन करना उसकी बाध्यता है। अभी बृजमोहन जी लगातार बोल रहे थे कि आगे की कार्ययोजना क्या है ? आगे कार्य योजना भारत सरकार से मिल चुकी है, उस हिसाब से हमारी तैयारी हो रही है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के सभी राज्य कर रहे हैं। पैनडेमिक एक्ट है, वह लागू है, इसलिए हम अलग से व्यवस्था नहीं कर सकते। जब वह छूट देती है, जब वह नहीं सक पाते न तब हमको कहते हैं कि अब कर लो। अभी जैसे पी.पी.ई. किट का हुआ, आप नहीं खरीद सकते। आर.टी.पी.सी.आर, आप नहीं कर सकते, आप जांच नहीं कर सकते। जांच के लिये पुणे भेजते थे। आखिर में जब देखा, 21 दिन में जब कोरोना समाप्त नहीं हुआ, ढोल, नंगाड़ा और घंटी बजाने से जब नहीं रूका तब राज्यों को कहा कि आप भी जांच कर ले। क्या स्वास्थ्य की बात करते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। आपके राज में आई.सी.यू. यूनिट कितनी थी, बतायेंगे ? मात्र 46 थी और आज हमारे पास इस 10 महीने में 400 से अधिक हैं। खर्चा में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन 15 साल में केवल आपके पास 46 आई.सी.यू.

थे। आपकी क्या व्यवस्था थी? आपकी व्यवस्था में तो लड़ ही नहीं पाते, यदि हम व्यवस्था नहीं करते, हमारी शासन में व्यवस्था नहीं करते, ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। हजारों की तादाद मे बेड तैयार किये, आई.सी.यू. तैयार किये, वेंटिलेटर तैयार किये, पूरा स्वास्थ्य अमला सहित पंचायत, पुलिस, गृह विभाग, कौन से विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सब लोग लगे, आप भी उसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने मेहनत नहीं की है। कोराना संकट में जब मजदूर आ जा रहे थे, सारे जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की है। मैं सबकी प्रशंसा करता हूं, सब लोग संकट में एक जूट होकर लड़ाई लड़, तब हम लोग उसमें टिक पाये। लेकिन अब सेकंट स्टेन आ रहा है, अभी जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे, 37 बताये, अब 91 हो गये। अब उसे हमको आईसोलेट करना है। यदि उनको समय रहते वहीं रोक लेते, जहां से आये, चाहे वे दिल्ली उतरे, मुम्बई उतरे, कलकत्ता उतरे, जहां उतरे वे रोक लेते, तो फिर रायपुर कहां से आते। हमारे यहां तो हवाई जहाज से ही सारी बीमारियां आ रही है। वहां से आप रोक नहीं रहे हैं और हमको कह रहे हें कि हमारी योजना क्या है ? हमारी बिलकुल योजना है। जो भारत सरकार की गाईड लाईन है, हम उसका पालन कर रहे हैं। आपने कहा कि मुफ्त में ईलाज करना है, मुफ्त में ईलाज करने की बात कही, हम मुफ्त में ही ईलाज कर रहे थे। जब सारे आकड़ें बढे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी फोन किया, और लोगों को भी कहा कि हम लोग प्रायवेट में ईलाज कराना चाहते हैं, हमारी हैसीयत है, हम खर्च करना चाहते हैं, तो आप कम से कम प्रायवेट अस्पाल खुलवा दीजिये, हम लोग भी उस खर्च को वहन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रायवेट अस्पताल भी खुलवाये। जो सक्षम हैं, वे प्रायवेट हास्पिटल में जायें। लेकिन जो सरकारी हास्पिटल में ईलाज करवाना चाहते हैं तो आज भी छत्तीसगढ़ में मुफ्त में ईलाज हो रहा है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमारे अजय जी को भौंरा खेलने से, रैचुली झूलने से, छत्तीसगढ़ी बोलने से बहुत तकलीफ है। हमारा बचपन उसी में बीता है। हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आज अचानक कोई गेड़ी चढ़ना चाहे तो वह चढ़ लेगा क्या ? आज कोई भौंरा चलाना चाहे तो चला लेगा क्या ? आज अचानक 60 साल की उम्र में तैरना चाहेगा तो तैर लेगा क्या ? क्योंकि जो तैरना जानता है, वह तैर लेगा। आपको भौंरा चलाना नहीं आता है, रैचुली, गेड़ी चढ़ना नहीं आता है, तो मैं उसको आपकी कमजोरी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमको इस पर गर्व है। नेता जी, अभिमान इसी बात का है हम छत्तीसगढ़िया हैं, और छत्तीसगढ़िया होने पर अभिमान है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) लेकिन आपको यह पसंद नहीं है। नरवा, गुरूवा, घुरवा, बाड़ी, बजट में नहीं हे संगवारी, गोबर कहां से खरीदेंगे, गौठान कहां पर बनेगा, नरवा कहां पर बनेगा ? रमन सिंह जी, इसी नाला प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने सूरजपुर जिले को पहला स्थान दिया है और बिलासपुर को दूसरा स्थान दिया है, उस नरवा प्रोजेक्ट में दूसरा ईनाम मिला है। (सत्तापक्ष के

सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) स्वच्छता में पूरे छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) तो यह अपने आप तो नहीं हो गया है। वहां सरकार तो आपकी है, आपकी एजेंसी काम कर रही है। डॉ. साहब, फिर आपको नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी कैसे समझ में आयेगा ? यदि समझ में आता तो सवाल नहीं करते। आज गौठान में 10 किश्त जारी किया है। हम लोग 32 लाख क्विंटल खरीदे हैं और 64 लाख करोड़ रूपये का भुगतान हो गया है। आप उस गरीब आदमी से जाकर पूछो, जिसके पास न खेत है और न जमीन है, न जानवर है। ऐसे लोग भी गोबर बीनकर पैसा कमा रहे हैं। स्वच्छता अलग से हो रही है। जो फसल चराई हो रहा था, उससे बच रहे हैं, वह अलग है। उसके बाद वर्मी कम्पोस्ट बना रहे हैं। हमारी सरकार 10 रूपये किलो में खरीदेगी। अभी अम्बिकापुर में हमारी स्वसहायता समूह की बहनें हैं, उन्होंने 16/- रूपये किलो में एम.ओ.यू. किए हैं, बड़ी कम्पनी के साथ समझौता हुआ है। आपको गोबर से चिढ़ हो सकती है, गोबर से दुर्गन्ध आ सकती है। गर्मी के दिन में नाक फूटत रहय न तो हमन ओही सूंघ लेवत रहेन। नाक फूटय तो खून निकलना बंद हो जावत रहेय। आज भी घर में जो लीपाई होती है, चूल्हे की जो लीपाई होती है, गोबर से होती है। यदि पूजा घर की लीपाई है, वह गोबर से ही होना है। हमारे लिए गोबर पवित्र है। यह हमारे के लिए केवल भावनात्मक बात नहीं है, हमने उसे अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के 2 लाख लोग पंजीयन करा चुके हैं और 1 लाख 36 हजार लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और आगे यह संख्या बढ़ने वाला है। अभी 7 हजार गौठान निर्माणाधीन है और 4,700 गौठान संचालित हो रहा है। तो हम प्रदेश भर में लगातार ये काम को ले रहे हैं, इसे हम सभी ग्राम पंचायतों में करेंगे ।इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा, किसानों को मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बात माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने उठाई है। उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि यहां कर्ज का आकार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट में पूरा विश्व पूरा देश जहां जहां प्रभावित हुआ है तो सब प्रभावित हुआ है। भारत सरकार की यदि प्रथम तिमाही की बात करें तो 23 प्रतिशत जीडीपी में गिरावट आई, दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आई। सौरभ सिंह सही कह रहे थे कि हमारा साल में एक बार आता है तो जब बजट आयेगा तो पता चलेगा कि हमारे यहां कितनी गिरावट आई है। आप कह रहे थे लेकिन भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए जो बजट आवंटित किया था, हमारे करों का जो हिस्सा देना था जो कि बजटेड है उसमें 26013 करोड़ रूपये निर्धारित था जिसमें केवल 20205 करोड़ रूपये ही राज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 6 हजार करोड़ रूपये हमको भारत सरकार से मिलना था वह नहीं मिला। क्षतिपूर्ति की जो राशि है जीएसटी का क्षतिपूर्ति अनुदानर 4506 करोड़ रूपये राज्य को प्राप्त होना था किंतु मिला केवल 2644 करोड़ रूपये। ये वर्ष 2019-20 का है। जबकि कोरोना नहीं था तब का है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने खुद कहा कि आप अतिरिक्त ऋण ले लें 1813 करोड़ रूपये अतिरिक्त ऋण लेने का निर्देश दिया लेकिन अभी तक वह

ऋण हमने नहीं लिया है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि सभी राज्यों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है किंतु छत्तीसगढ़ ने यह ऋण अभी तक नहीं लिया है। केंद्र सरकार में जो राजस्व संग्रहण में कमी आई और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र द्वारा ऋण लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। इस विकल्प का चयन करने पर राज्य को 3109 करोड़ रूपये के विरूद्ध अभी तक 507 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। 3109 करोड़ के विरूद्ध केवल 507 करोड़ प्राप्त हुए हैं और अक्टूबर माह राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान की तुलना में केवल 34 प्रतिशत रहा है। हमारे यहां जबकि राज्य की राजस्व प्राप्तियां 37 प्रतिशत है। केंद्र की राजस्व प्राप्ति 34 प्रतिशत है और राज्य की राजस्व प्राप्तियां 37 प्रतिशत है। हमने केंद्र से बेहतर काम करके दिखाया है। केंद्र का वित्तीय घाटा अक्टूबर तक बजट अनुमान में 20 प्रतिशत से अधिक हो चुका है डॉ. रमन सिंह 20 प्रतिशत जबकि राज्य का वित्तीय घाटा बजट अनुमान से केवल 7 प्रतिशत से भी कम है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने भारत सरकार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा और बात न कहते हुए इस दौरान भी जहां आप स्कूल के बारे में कहते थे तो स्कूल तो आपने बंद किया है। आपके शासनकाल में तीन हजार स्कूल बंद हुए। हम तो अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। आपने सेंट्रल से जो पैसा मिला था उसको डी.ए.वी. स्कूल को दे दिये, पता नहीं कि उसका स्टैंडर्ड क्या है लेकिन आपने प्रायवेटाईजेशन किया। हम उसको भी इस दायरे में लायेंगे जिसका लाभ हमारे गरीब बच्चों और आदिवासी बच्चों को मिले। यह हमारी कोशिश होगी। (मेजों की थपथपाहट) बहुत सारे और भी साथी लोगों ने अपनी बात कही है। धर्मजीत सिंह जी ने बात कही है, हमने इस साल 23 नए तहसील घोषित किए हैं। आने वाले समय में जब तहसील घोषित होगा तो निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए जो मांग करेंगे निश्चित रूप से हम वहां भी तहसील कार्यालय खोलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह जो अनुपूरक बजट है उसे परित करायें। माननीय सभी सदस्यों ने जो भाग लिया। उनको धन्यवाद् देते हुए,मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 64, 67, 68, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल

महोदया को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :

5:41 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020(क्रमांक 35 सन् 2020) का पुर:स्थापन</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020(क्रमांक 35 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020(क्रमांक 35 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020) पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020(क्रमांक 35 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)

वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को सभा में शासकीय संकल्प के प्रस्तुतिकरण के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा संकल्प से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के बाद संकल्प पर चर्चा कराये जाने की मांग किये जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबंधित सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराने की सहमति दी थी।

जिसके तारतम्य में शासकीय संकल्प से संबंधित सुसंगत दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं, जिन्हें खानेदार आलमारी से माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ वितरित किया जा रहा है।

अशासकीय संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल अशासकीय संकलप को आगामी सत्र में लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(5 बजकर 47 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 दिसंबर, 2020 (पौष 7, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 24 दिसंबर, 2020